सत्यमेव जयते

भारत सरकार

वित्त विधेयक, 2021 के उपबंधों का व्याख्यात्मक ज्ञापन

(जिन खंडों के प्रतिनिर्देश किया गया है वे विधेयक के खंड हैं)

वित्त विधेयक, 2021

प्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रावधान

प्रस्तावना

प्रत्यक्ष करों से संबंधित वित्त विधेयक, 2021 (इसके बाद "विधेयक" के रूप में संदर्भित) के प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 (इसके बाद 'अधिनियम '), बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (इसके बाद "पीबीपीटी अधिनियम"), वित्त (नंबर 2) अधिनियम, 2004 और वित्त अधिनियम, 2016 और प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 में संशोधन के द्वारा कर-प्रोत्साहनों के माध्यम से प्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार जारी रखना, करदाताओं के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करना और विभिन्न प्रावधानों का युक्तिकरण करना है।

उपरोक्त की प्राप्ति के लिए संशोधन के लिए विभिन्न प्रस्ताव निम्न शीर्षकों में संयोजित किए गए हैं:—

(क) आयकर की दरें ;

(ख) कर प्रोत्साहन ;

(ग) करदाताओं के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करना;

(घ) विभिन्न प्रावधानों का युक्तिकरण।

प्रत्यक्ष कर

क. आयकर की दरें

I. निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए कर के लिए उत्तरदायी आय के संबंध में आयकर की दरें ।

निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए कर के प्रति उत्तरदायी सभी श्रेणियों की आय के संबंध में, आयकर की दरों को या तो विशिष्ट धाराओं (जैसे घरेलू कंपनियों के लिए धारा 115बीएए या धारा 115बीएबी, व्यक्तिगत/ हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए 115बीएसी और सहकारी समितियों के लिए 115बीएडी) में निर्दिष्ट किया गया है या विधेयक के लिए पहली अनुसूची के भाग I में निर्दिष्ट किया गया है । इन विशिष्ट वर्गों में या पहली अनुसूची में कर दरों में

कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है । निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए धारा 115बीएए या 115 बीएबी या 115बीएसी या 115बीएडी में प्रदान की गई दरें पहले से ही लागू होंगी । इसी प्रकार वित्त अधिनियम, 2020 के लिए पहली अनुसूची के भाग-3 में निर्धारित दरें, "अग्रिम कर" की गणना, "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती और निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए कुछ मामलों में देय कर का प्रभार अब पहली अनुसूची का हिस्सा बन जाएंगी। भाग III अब निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए लागू होंगे और यह अपरिवर्तित रहेगा सिवाय इसके कि यह प्रस्तावित धारा 194पी पर भी लागू होगा ।

(1) धारा 115बीएसी और धारा 115बीएडी के तहत कर की दरें—

निर्धारण वर्ष 2021-22 (वित्त वर्ष 2020-21) से व्यक्ति तथा हिन्दू अविभाजित परिवार कर दाताओं के पास अधिनियम की धारा 115बीएसी के अंतर्गत कराधान का विकल्प है तथा रेजिडेंट को-ऑपरेटिव सोसायटी के पास अधिनियम की नई डाली गई धारा 115बीएडी के तहत कराधान का विकल्प है।

धारा 115बीएसी के प्रावधानों के अनुसार कुछ शर्तों की संतुष्टि पर, एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार को निर्धारण वर्ष 2021-22 के बाद से निम्नलिखित दरों पर कुल आय के संबंध में कर का भुगतान करने का विकल्प होगा

कुल आय (रु)	दर
2,50,000 तक	शून्य
2,50,001 से 5,00,000 तक	5 प्रतिशत
5,00,001 से 7,50,000 तक	10 प्रतिशत
7,50,001 से 10,00,000 तक	15 प्रतिशत
10,00,001 से 12,50,000 तक	20 प्रतिशत
12,50,001 से 15,00,000 तक	25 प्रतिशत
15,00,000 से ऊपर	30 प्रतिशत

इसी प्रकार, भारत में एक सहकारी समिति निवासी के पास कुछ शर्तों को पूरा करने की शर्त पर धारा 115बीएडी के प्रावधानों के अनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 के से 22 प्रतिशत पर कर का भुगतान करने का विकल्प होगा ।

(2) निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए लागू पहली अनुसूची के भाग 1 के तहत कर दरें

(क) व्यक्तिगत, एचयूएफ, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का निकाय, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति।

विधेयक के लिए पहली अनुसूची के भाग-1 का पैरा क आयकर की निम्नलिखित दरें प्रदान करता है :—

(i)

i.प्रत्येक व्यक्ति (नीचे उल्लिखित (ii) और (iii) के अलावा या एचयूएफ या व्यक्तियों या व्यक्तियों के प्रत्येक संघ के मामले में आयकर की दरें, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उप-खंड (सात) में संदर्भित प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (एक ऐसा मामला नहीं है जिस पर भाग III का कोई अन्य पैराग्राफ लागू होता है) :—

रु.2,50,000	शून्य
रु. 2,50,001 से रु.5,00,000	5 प्रतिशत
रु. 5,00,001 से रु.10,00,000	20 प्रतिशत
रु. 10,00,000 से अधिक	30 प्रतिशत

(ii) हर व्यक्ति के मामले में, भारत में निवासी होने के नाते, जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का है लेकिन अस्सी वर्ष से कम है ,—

रु. 3,00,000 तक	शून्य
रु. 3,00,001 से रु.5,00,000 तक	5 प्रतिशत
रु. 5,00,001 से रु.10,00,000 तक	20 प्रतिशत
रु .10,00,000 से अधिक	30 प्रतिशत

(iii) हर व्यक्ति के मामले में, भारत में निवासी होने के नाते, जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का है ,—

रु.5,00,000 तक	शून्य
रु. 5,00,001 से रु.10,00,000 तक	20 प्रतिशत
रु.10,00,000 से अधिक	30 प्रतिशत

ख. सहकारी समितियाँ

सहकारी समितियों के मामले में, विधेयक के लिए पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा बी में आयकर की दरों को निर्दिष्ट किया गया है । वे (10,000 रुपये तक 10%; 10,000 रुपये और 20,000 रुपये के बीच 20% और 30% 30,000 रुपये से अधिक) पर अपरिवर्तित रहेंगे।

ग. फर्म

फर्मों के मामले में, विधेयक के प्रथम अनुसूची के भाग-1 के पैरा सी में आयकर की दर निर्दिष्ट की गई है । वे 30% पर अपरिवर्तित हैं।

घ. स्थानीय प्राधिकरण

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के मामले में आयकर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-1 के पैरा डी में निर्दिष्ट की गई है। वे 30% पर अपरिवर्तित हैं ।

ड. कंपनियां

कंपनियों के मामले में आयकर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा ई में निर्दिष्ट की गई हैं। घरेलू कंपनी के मामले में आयकर की दर पच्चीस प्रतिशत होगी। कुल आय का, यदि पिछले वर्ष 2018-19 के कुल टर्नओवर या सकल प्राप्तियां चार सौ करोड़ रुपये से अधिक नहीं होती हैं और अन्य सभी मामलों में आयकर की दर कुल आय का तीस प्रतिशत होगी।

घरेलू कंपनी के अलावा अन्य कंपनी के मामले में आयकर की दर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित दर ही रहेंगी।

(3) आयकर पर अधिभार

आयकर की राशि में संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार की वृद्धि की जाएगी-

क. प्रत्येक व्यक्ति या एचयूएफ या व्यक्तियों के संघों या व्यक्तिगत निकाय के मामले में, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उप-खंड (vii) में संदर्भित प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जिसमें धारा 115बीएसी के तहत एक व्यक्ति या एचयूएफ व्यायाम विकल्प शामिल है, जिसके पास अधिनियम की धारा 115एडी के तहत कोई आय नहीं है-

i. कुल आय (अधिनियम की धारा 111ए और 112ए के प्रावधानों के तहत लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित) पचास लाख रुपये से अधिक है लेकिन ऐसे आयकर के दस प्रतिशत की दर से एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है; और

ii. कुल आय (अधिनियम की धारा 111ए और 112ए के प्रावधानों के तहत लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित) एक करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर से दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;

iii. कुल आय (अधिनियम की धारा 111ए और 112ए के प्रावधानों के तहत लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर) दो करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन ऐसे आयकर के पच्चीस प्रतिशत की दर से पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;

iv. कुल आय (अधिनियम की धारा 111ए और 112ए के प्रावधानों के तहत लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर) ऐसे आयकर के सैत्तीस प्रतिशत की दर से पांच करोड़ रुपये से अधिक;

v. कुल आय (अधिनियम की धारा 111ए और 112ए के प्रावधानों के तहत लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित) दो करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर से खंड (iii) या (iv) के तहत कवर नहीं किया जाता है ।

बशर्ते कि यदि कुल आय में अधिनियम की धारा 111A और 112ए के तहत लाभांश या आय प्रभारित के माध्यम से कोई आय शामिल है, तो आय के उस हिस्से के संबंध में गणना की गई आयकर की राशि पर अधिभार की दर पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

हालांकि, धारा 115ए, 115एबी, 115एसी , 115एसीए और 115 ई के तहत आय कर योग्य है, तो लाभांश या पूंजीगत लाभ को छोड़कर सभी श्रेणी की आय के लिए अधिभार ऊपर (i) से (v) में प्रदान की गई दरों पर होगा ।

(एए) व्यक्ति या व्यक्ति के प्रत्येक संघों व्यक्ति के निकायों के मामले में, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति को अधिनियम की धारा 115एडी के तहत आय वाले आयकर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उप-खंड (सात) में संदर्भित किया गया हो,-

i.कुल आय पचास लाख रुपये से अधिक है लेकिन एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे आयकर के दस प्रतिशत की दर से; और

ii.कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर से;

iii.कुल आय [अधिनियम की धारा 115एडी की उप-धारा (1) के खंड (बी) में संदर्भित लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर कुल आय होना] दो करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन ऐसे आयकर के पच्चीस प्रतिशत की दर से पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;

iv.कुल आय [अधिनियम की धारा 115एडी के उप-खंड (1) के खंड (बी) में संदर्भित प्रकृति के लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर] ऐसे आयकर के सैत्तीस प्रतिशत की दर से पांच करोड़ रुपये से अधिक;

v.कुल आय [अधिनियम की धारा 115एडी के उप-खंड (1) के खंड (1) में संदर्भित लाभांश या आय के माध्यम से कुल आय [आय सहित] दो करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर से उप-खंड (iii) और (iv) में शामिल नहीं है ।

बशर्ते कि यदि कुल आय में अधिनियम की धारा 115एडी के उप-अनुभाग (1) के खंड (बी) के तहत लाभांश या आय प्रभारित करके कोई आय शामिल है, तो आय के उस हिस्से पर गणना की गई आयकर पर अधिभार की दर पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

ख. प्रत्येक सहकारी समिति (धारा 115बीएडी के तहत चुनने वाली निवासी सहकारी समिति के अलावा) या फर्म या स्थानीय प्राधिकरण के मामले में, ऐसे आयकर के बारह प्रतिशत की दर से, जहां कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक है;

ग. धारा 115 बीएडी के तहत चुनने वाली निवासी सहकारी समिति के मामले में, ऐसे आयकर के दस प्रतिशत की दर से।

घ. हर घरेलू कंपनी के मामले में, ऐसी घरेलू कंपनी को छोड़कर जिसकी आय अधिनियम की धारा 115बीएए या धारा 115बीएबी के तहत कर के लिए प्रभार योग्य है,—

i.ऐसे आयकर के सात प्रतिशत की दर से, जहां कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;

ii.ऐसे आयकर के बारह प्रतिशत की दर से, जहां कुल आय दस करोड़ रुपये से अधिक है;

ड. घरेलू कंपनी के मामले में जिसकी आय दस प्रतिशत की दर से अधिनियम की धारा 115बीएए या 115बीएबी के तहत कर के योग्य है;

च. घरेलू कंपनी के अलावा हर कंपनी के मामले में ,—

i.ऐसे आयकर के दो फीसद की दर से, जहां कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;

ii. ऐसे आयकर के पांच फीसद की दर से, जहां कुल आय दस करोड़ रुपये से अधिक है ;

छ. अन्य मामलों में (धारा 92सीई, 115ओ, 115क्यूए, 115आर, 115टीए या 115टीडी सहित) अधिभार बारह प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा

4. सीमांत राहत —

जिन मामलों में अधिभार लगाने का प्रस्ताव है, उनमें सीमांत राहत का भी प्रावधान किया गया है।

5. शिक्षा उपकर —

निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए "स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर" चार प्रतिशत की दर से वसूला जाना है। आयकर की राशि पर, इसलिए गणना की जाती है, जिसमें सभी मामलों में जहां भी लागू होता है, अधिभार शामिल है। ऐसे उपकर के संबंध में कोई मामूली राहत उपलब्ध नहीं होगी।

II. वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2021-22 के दौरान स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए दरें

"वेतन" के अलावा कुछ आय से।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धारा 193, 194ए, 194बी, 194बीबी, 194डी, 194एलबीए, 194एलबीबी, 194एलबीसी और 195 के प्रावधानों के तहत स्रोत पर आयकर की कटौती की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग II में निर्दिष्ट की गई हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान स्रोत पर आयकर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2020 के लिए पहली अनुसूची के भाग-2 में निर्दिष्ट दरें समान रहेंगी। स्रोत पर कर की कटौती की दर निर्दिष्ट वर्गों के लिए, इन वर्गों के प्रावधानों के अनुसार कर में कटौती जारी रहेगी।

अधिभार —

इस प्रकार काटे गए कर की राशि अधिभार द्वारा बढ़ाई जाएगी,—

क. प्रत्येक व्यक्ति या एचयूएफ या व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के निकाय के मामले में, चाहे वह शामिल किया निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उप-खंड (vii) में संदर्भित प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, एक अनिवासी होने के नाते, गणना की गई,—

i. ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से, जहां आय या आय का कुल (अधिनियम की धारा 111ए और 112ए के प्रावधानों के तहत लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित) भुगतान किया गया या भुगतान किए जाने की संभावना है और कटौती के अधीन पचास लाख रुपये से अधिक है लेकिन एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;

ii. ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से, जहां आय या आय का कुल (अधिनियम की धारा 111ए और 112ए के प्रावधानों के तहत लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित) भुगतान किया गया या भुगतान किए जाने की संभावना है और कटौती के अधीन एक करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;

iii. ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से, जहां आय या आय का कुल (अधिनियम की धारा 111ए और 112ए के प्रावधानों के तहत लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर) भुगतान किया जाता है या भुगतान किए जाने की संभावना है और कटौती के अधीन दो करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;

iv. ऐसे कर के सैतीस प्रतिशत की दर से, जहां आय या आय का कुल (अधिनियम की धारा 111ए और 112ए के प्रावधानों के तहत लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर) भुगतान किया जाता है या भुगतान किए जाने की संभावना है और कटौती के अधीन पांच करोड़ रुपये से अधिक है;

v. ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से, जहां आय या आय का कुल (अधिनियम की धारा 111A और 112ए के प्रावधानों के तहत लाभांश

या आय के माध्यम से आय सहित) भुगतान या भुगतान किए जाने की संभावना है और कटौती के अधीन दो करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन ऊपर (iii) और (iv) के तहत कवर नहीं किया जाता है

बशर्ते कि यदि कुल आय में अधिनियम की धारा 111ए और अधिनियम की धारा 112ए के तहत वसूले जा सकने वाली आय के लाभांश के माध्यम से कोई आय शामिल है, तो आय के उस हिस्से के संबंध में काटी गई आयकर की राशि पर अधिभार की दर पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

ख. प्रत्येक सहकारी समिति या फर्म के मामले में, एक गैर-निवासी होने के नाते, बारह प्रतिशत की दर से गणना की जाती है। ऐसे कर का, जहां भुगतान की गई आय या ऐसी आय का कुल भुगतान किया जाता है या भुगतान किए जाने की संभावना है और कटौती के अधीन एक करोड़ रुपये से अधिक है;

ग. घरेलू कंपनी के अलावा हर कंपनी के मामले में, गणना,—

i. ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से, जहां भुगतान की गई या भुगतान की जाने वाली ऐसी आय की आय या कुल भुगतान किए जाने की संभावना है और कटौती के अधीन एक करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;

ii. ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से, जहां ऐसी आय या भुगतान की जाने वाली आय या भुगतान किए जाने की संभावना और कटौती के अधीन आय दस करोड़ रुपये से अधिक है।

अन्य मामलों में कटौती पर कोई सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा।

2. शिक्षा उपकर—

"स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" चार प्रतिशत की दर से लगाया जाता रहेगा। घरेलू कंपनी के अलावा अन्य कंपनी सहित भारत में निवासी व्यक्तियों के मामलों में सरचार्ज सहित आयकर का।

III. "वेतन" से स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए दरें, "अग्रिम कर" की गणना और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान विशेष मामलों में आयकर का शुल्क।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान "वेतन" से या अधिनियम की धारा 194 क्यू के तहत स्रोत पर आयकर की कटौती की दरें और निर्धारिती की सभी श्रेणियों के मामले में उक्त वर्ष के दौरान देय "अग्रिम कर" की गणना के लिए विधेयक की पहली अनुसूची के भाग III में निर्दिष्ट किया गया है। यह दरें वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उन आय पर कर लगाने के लिए भी लागू होती हैं, जिन मामलों में त्वरित मूल्यांकन किया जाना है, उदाहरण के लिए, गैर–निवासियों को भारत में होने वाले नौवहन मुनाफे का अनंतिम मूल्यांकन, भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन वित्तीय वर्ष के दौरान अच्छे लोगों के लिए, जो कर से बचने के लिए संपत्ति स्थानांतरित करने की संभावना रखते हैं, कम अवधि के लिए गठित निकायों का आकलन, आदि। पिछले वर्ष से कर दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उक्त भाग III में निर्दिष्ट दरों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित पैराग्राफ में दर्शाई गई हैं–

क. व्यक्तिगत, हिन्दू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का निकाय, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति।

विधेयक के लिए पहली अनुसूची के भाग- III के पैरा ए में आयकर की निम्नलिखित दरें प्रदान की गई हैं :—

i. प्रत्येक व्यक्ति (नीचे उल्लिखित (ii) और (iii) के अलावा) या हिन्दू अविभाजित परिवार या व्यक्तियों के प्रत्येक संघ या व्यक्तियों के निकायों के मामले में चाहे वह निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उप-खंड (सात) में संदर्भित प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ऐसा मामला नहीं है जिस पर भाग III का कोई अन्य पैराग्राफ लागू होता है) आयकर की दरें निम्नानुसार हैं :—

रु.2,50,000 तक	शून्य
रु.2,50,001 से रु.5,00,000 तक	5 प्रतिशत
रु.5,00,001 से रु.10,00,000 तक	20 प्रतिशत

रु.10,00,000 से अधिक	30 प्रतिशत

(ii) हर व्यक्ति के मामले में, भारत में निवासी होने के नाते, जो साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का है, लेकिन पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष से कम है ,—

रु.3,00,000 तक	शून्य
रु. 3,00,001 से रु.5,00,000 तक	5 प्रतिशत
रु. 5,00,001 से रु.10,00,000 तक	20 प्रतिशत
रु. 10,00,000 से अधिक	30 प्रतिशत

(iii) हर व्यक्ति के मामले में, भारत में निवासी होने के नाते, जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का है ,—

रु. 5,00,000 तक	शून्य
रु.5,00,001 से रु.10,00,000 तक	20 प्रतिशत
रु.10,00,000 से अधिक	30 प्रतिशत

इस पैराग्राफ के पूर्ववर्ती प्रावधानों (धारा 111ए, 112 और 112ए के तहत पूंजीगत लाभ सहित) के साथ-साथ धारा 115बीएसी के तहत आयकर गणना के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार गणना की गई आयकर की राशि को की दर से अधिभार बढ़ाया जाएगा, -

क. कुल आय (अधिनियम की धारा 111ए और 112ए के प्रावधानों के तहत लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित) पचास लाख रुपये से अधिक है लेकिन एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है ऐसे आयकर के दस प्रतिशत की दर से;

ख. कुल आय (अधिनियम की धारा 111ए और 112ए के प्रावधानों के तहत लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित) एक करोड़ रुपये से अधिक ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर से;

ग. कुल आय (अधिनियम की धारा 111ए और 112ए के प्रावधानों के तहत लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर) दो करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे आयकर के पच्चीस प्रतिशत की दर से;

घ. कुल आय (अधिनियम की धारा 111ए और 112ए के प्रावधानों के तहत लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर) पांच करोड़ रुपये से अधिक ऐसे आयकर के 37 प्रतिशत की दर से;

ङ. कुल आय (अधिनियम की धारा 111ए और अधिनियम की धारा 112 ए के प्रावधानों के तहत लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित) दो करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन खंड (सी) और (डी) के तहत कवर नहीं किया जाता है, ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर से लागू होगा:

बशर्ते कि यदि कुल आय में अधिनियम की धारा 111ए और अधिनियम की धारा 112ए के तहत लाभांश या आय प्रभारी के माध्यम से कोई आय शामिल है, तो आय के उस हिस्से के संबंध में गणना की गई आयकर की राशि पर अधिभार की दर पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

अधिभार के मामलों में सीमांत राहत प्रदान की जाती है।

धारा 115बीएसी के प्रावधानों के अनुसार कुछ शर्तों की संतुष्टि पर, एक व्यक्ति या एचयूएफ, निर्धारण वर्ष 2021-22 के बाद से, निम्नलिखित दरों पर कुल आय के संबंध में कर का भुगतान करने का विकल्प होगा:

कुल आय (रु)	दरें
2,50,000 तक	शून्य
2,50,001 से 5,00,000 तक	5 प्रतिशत
5,00,001 से 7,50,000 तक	10 प्रतिशत
7,50,001 से 10,00,000 तक	15 प्रतिशत
10,00,001 से 12,50,000 तक	20 प्रतिशत
12,50,001 से 15,00,000	25 प्रतिशत

15,00,000 से अधिक 30 प्रतिशत

ख. सहकारी समितियां

सहकारी समितियों के मामले में, बिल की पहली अनुसूची के भाग III के पैरा बी में आयकर की दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है। ये दरें वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विनिर्दिष्ट की गई दरों के समान ही रहेंगी। ऐसी सहकारी समिति, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक है, के मामले में आयकर की राशि पर बारह प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ाया जाएगा। हालांकि, एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि एक करोड़ रुपये से अधिक आय की राशि से एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी। हालाँकि, एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर देय आयकर और अधिभार की कुल राशि आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी।

कुछ शर्तों पर सहमति की स्थिति में, धारा 115बीएडी के प्रावधानों के अनुसार प्राक्कलन वर्ष 2021-22 के बाद भारतीय सहकारी समिति के पास 22 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करने का विकल्प होगा। ऐसे करों पर अधिभार 10% होगा।

ग. फर्म

फर्मों के मामले में, विधेयक के प्रथम अनुसूची के भाग-3 के पैरा सी में आयकर की दर निर्दिष्ट की गई है । यह दर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए निर्दिष्ट के समान ही रहेगी । आयकर की राशि में एक करोड़ रुपये से अधिक कुल आय रखने वाली फर्म के मामले में ऐसे आयकर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ाया जाएगा। हालांकि, एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि एक करोड़ रुपये से अधिक की आय से अधिक आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी।

घ. स्थानीय प्राधिकरण

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के मामले में आयकर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा डी में निर्दिष्ट की गई है। यह दर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए निर्दिष्ट के समान ही रहेगी । आयकर की राशि में बारह प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ाया जाएगा। एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय वाले स्थानीय प्राधिकरण के मामले में ऐसे आयकर का। हालांकि, एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि एक करोड़ रुपये से अधिक की आय से अधिक आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी।

ड. कंपनियां

कंपनियों के मामले में आयकर की दरों को विधेयक की पहली अनुसूची के भाग III के पैरा ई में निर्दिष्ट किया गया है। घरेलू कंपनी, जिनका पिछले वर्ष 2019-20 के कुल टर्नओवर या सकल प्राप्तियां चार सौ करोड़ रुपये से अधिक नहीं होती हैं, उन कंपनियों के मामले में आयकर की दर पच्चीस प्रतिशत होगी और अन्य सभी मामलों में आयकर की दर कुल आय का तीस प्रतिशत होगी। हालांकि, घरेलू कंपनियों के पास उसमें निहित शर्तों की पूर्ति पर अधिनियम की धारा 115बीएए या धारा 115बीएबी के तहत कराधान का विकल्प भी है। कर की दर धारा 115बीएबी में 15 प्रतिशत और धारा 115बीएए में 22 प्रतिशत है। दोनों मामलों में सरचार्ज 10 फीसदी है।

घरेलू कंपनी के अलावा अन्य कंपनी के मामले में, कर की दरें वित्त वर्ष 2020-21 के लिए निर्दिष्ट समान हैं।

घरेलू कंपनी (अधिनियम की धारा 115बीएए और धारा 115बीएबी के तहत कराधान का चयन करने वालों को छोड़कर) के मामले में सात प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाता रहेगा, यदि घरेलू कंपनी की कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है । यदि घरेलू कंपनी की कुल आय (115बीएए और अधिनियम की धारा 115बीएबी के तहत कराधान का चयन करने वालों को छोड़कर) दस करोड़ रुपये से अधिक है, तो बारह प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाता रहेगा।

घरेलू कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के मामले में, यदि कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है तो दो प्रतिशत का मौजूदा अधिभार लगाया जाता रहेगा। घरेलू कंपनी के अलावा अन्य कंपनी की कुल आय दस करोड़ रुपये से अधिक होने पर पांच प्रतिशत की दर से सरचार्ज लगाया जाता रहेगा।

सभी मामलों में अधिभार में मामूली राहत प्रदान की जाती है।

धारा 92सीई की उप-धारा (2 ए), धारा 115-ओ, 115क्यूए, 115आर, 115टीए या 115टीडी सहित अन्य मामलों में बारह प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाएगा।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, "आयकर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" नामक अतिरिक्त अधिभार सभी मामलों में अधिभार (जहां भी लागू हो) को शामिल कर गणना की राशि पर चार प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा। ऐसे उपकर के संबंध में कोई मामूली राहत उपलब्ध नहीं होगी।

[खंड 2 एवं प्रथम अनुसूची]

कर प्रोत्साहन

एलटीसी नकद योजना के लिए छूट

अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत, अधिनियम की धारा 10 के खंड (5) में भारत में किसी भी स्थान पर छुट्टी पर जाने के संबंध में अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से किसी कर्मचारी द्वारा या उसके परिवार के लिए प्राप्त या उसके कारण प्राप्त यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य के संबंध में छूट का प्रावधान है। कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए एलटीसी के बदले नकद भत्ते में कर छूट देने का प्रस्ताव है।

इसलिए, धारा 10 के खंड 5 में दूसरा नियम डालने का प्रस्ताव है, ताकि यह प्रदान किया जा सके कि अप्रैल, 2021 के प्रथम दिन, 2021 से शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए किसी यात्रा रियायत या सहायता के बदले मूल्य, या उसके कारण, किसी व्यक्ति को भी निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर इस खंड के अंतर्गत छूट दी जाएगी। स्पष्टीकरण द्वारा यह भी स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि जब एक व्यक्ति निर्धारित व्यय के संबंध में दूसरे नियम के तहत छूट का दावा करता है और अनुमति दी जाती है, तो किसी अन्य व्यक्ति को समान निर्धारित व्यय के संबंध में इस खंड के अंतर्गत कोई छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस उद्देश्य के लिए शर्तें यथासमय आयकर नियमों में निर्धारित की जाएंगी और अन्य *बातों के साथ-साथ,* निम्नानुसार रहेंगी:

(क) कर्मचारी ब्लॉक वर्ष 2018-21 में लागू एलटीसी के बदले डीम्ड एलटीसी किराए के विकल्प का उपयोग करे;

(ख) "निर्दिष्ट व्यय" का अर्थ है किसी व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य द्वारा उन वस्तुओं या सेवाओं पर निर्दिष्ट अवधि के दौरान किया गया व्यय जो विभिन्न जीएसटी कानूनों के तहत बारह प्रतिशत या उससे अधिक की कुल दर से कर के लिए उत्तरदायी होते हैं और वस्तुओं को जीएसटी पंजीकृत विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं से खरीदा जाता है या सेवाएं खरीदी जाती हैं;

(ग) "निर्दिष्ट अवधि" का अर्थ है अक्तूबर, 2020 के 12वें दिन से शुरू होने वाली और मार्च, 2021 के 31वें दिन समाप्त होने की अवधि;

(घ) छूट की राशि प्रति व्यक्ति छत्तीस हजार रुपये या निर्दिष्ट व्यय का एक तिहाई, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी;

(ङ) जीएसटी पंजीकृत विक्रेता/सेवा प्रदाता को भुगतान बैंक या खाता पेयी बैंक ड्राफ्ट पर तैयार किए गए खाता आदाता चेक द्वारा किया जाता है, या बैंक खाते के माध्यम से या नियम 6एबीबीए के तहत निर्धारित अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग किया जाता है और ऐसे विक्रेता/सेवा प्रदाता से कर चालान प्राप्त किया जाता है;

(च) यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त राशि, या उसके रोजगार की शर्तों के अनुसार, अपने और अपने परिवार के संबंध में अपने नियोक्ता से, एलटीसी उपरोक्त चर्चा किए गए प्रावधानों के तहत ऐसे व्यक्ति के लिए स्वीकार्य से अधिक है, तो प्रस्तावित संशोधन के तहत छूट केवल उपरोक्त सूचीबद्ध प्रावधानों के तहत स्वीकार्य छूट की सीमा तक ही उपलब्ध होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और केवल निर्धारण वर्ष 2021-22 से संबंधित होंगे।

[खंड 5]

किफायती वहनीय रेंटल हाऊसिंग हेतु प्रोत्साहन

अधिनियम की धारा 80-आईबीए का मौजूदा प्रावधान यह प्रदान करता है कि जहां एक आकलन की सकल कुल आय में किफायती आवास परियोजना के विकास और निर्माण के व्यवसाय से प्राप्त कोई लाभ और लाभ शामिल हैं, वहाँ कुछ शर्तों के अधीन निर्दिष्ट किया जाएगा, ऐसे व्यवसाय से प्राप्त लाभ और लाभ को सौ प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती की अनुमति दी। शर्तों में से एक यह है कि परियोजना को जून 2016 के 1 दिन के बाद लेकिन मार्च 2021 के 31 वें दिन या उससे पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

प्रवासी मजदूरों की मदद करने और किफायती किराये को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किराये की आवासीय परियोजना जो उक्त अधिसूचना में निर्देशित है को पूरा करता है, उस योजना को अधिनियम की धारा 80-आईबीए के तहत कटौती की अनुमति देना भी प्रस्तावित है।

इसके अलावा, यह भी प्रस्तावित है कि किफायती आवास परियोजना को मंजूरी देने के लिए इस खंड में 31 मार्च 2021 के लिए बाहरी समय सीमा 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी जाए और प्रस्तावित सस्ती किराये की आवासीय परियोजना के लिए बाहरी समय सीमा भी प्रदान की जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-23 और उसके बाद के मूल्यांकन वर्षों पर लागू होगा।

[खंड26]

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में स्थित इकाइयों हेतु कर प्रोत्साहन

सरकार ने एक विश्व स्तरीय वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना की है। आईएफसीएस में स्थित इकाइयाँ कुछ रियायत का लाभ प्राप्त करती हैं। आईएफसीएस में स्थान को और अधिक आकर्षक बनाने हेतु यह निम्नलिखित अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रस्तावित है:

(i) अधिनियम की धारा 9ए में संशोधन प्रस्ताव है बशर्ते केंद्र सरकार अपने राजपत्र की अधिसूचना के जरिये एक निर्दिष्ट करे कि अधिनियम की धारा 9(ए) के उपखंड 3(3) के खंड (क) से उपखंड (एम) या उपखंड 4(4) के खंड (ए) से खंड (बी) किसी पात्र निधि या इसके पात्र निधि प्रबंधक पर लागू (या संशोधन के साथ लागू) नहीं होगा। यदि फंड मैनेजर एक अंतर्राष्ट्रीय

वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित है और मार्च, 2024 के 31 वें दिन या उससे पहले परिचालन शुरू कर दिया है।

(ii) अधिनियम की धारा 10 के खंड (4 डी) में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि इस खंड के तहत छूट किसी भी आय अर्जित या उत्पन्न होने या निवेश प्रभाग को प्राप्त होने की स्थिति में भी उपलब्ध होगी। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट इसके लिए जिम्मेदार है और निर्धारित तरीके से गणना की गई है।

(iii) ऑफशोर बैंकिंग यूनिट के निवेश प्रभाग को "निर्दिष्ट निधि" की उक्ति को संशोधित करने का भी प्रस्ताव है, जिसे एआईएफ पंजीकरण III की श्रेणी दी गई है और जो अलग-अलग खातों को बनाए रखने की शर्त के साथ-साथ अन्य शर्तों को पूरा करे। विदेशी बैंकिंग इकाई के निवेश प्रभाग को एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित एक अनिवासी की बैंकिंग इकाई के निवेश प्रभाग के रूप में परिभाषित किया जाना प्रस्तावित है और जिसने मार्च, 2024 के 31 वें दिन या उससे पहले परिचालन शुरू किया है।

(iv) अधिनियम की धारा 10 में नए खंड (4 ई) सम्मिलित करने का भी प्रस्ताव है कि किसी गैर-निवासी को गैर-पहुंच योग्य अग्रेषित अनुबंधों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप अर्जित या उत्पन्न होने वाली छूट प्राप्त हो सके। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की एक अपतटीय बैंकिंग इकाई के साथ प्रवेश किया, जो मच, वर्ष 2024 के 31 वें दिन या उससे पहले परिचालन शुरू किया और निर्धारित शर्तों को पूरा करता है।

(v) अधिनियम की धारा 10 की धारा 10 में नए खंड (4एफ) सम्मिलित करने का भी प्रस्ताव है ताकि किसी पिछले वर्ष में भुगतान किए गए विमान के पट्टे के आधार पर रॉयल्टी के माध्यम से किसी अनिवासी की आय को छूट दी जा सके। एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की इकाई, यदि इकाई उस पिछले वर्ष के लिए धारा 80 एलए के तहत कटौती के लिए पात्र है और मार्च 2014 के 31वें दिन या उससे पहले परिचालन शुरू किया है।

(vi) अधिनियम की धारा 10 में नए खंड (23एफएफ) सम्मिलित करने का भी प्रस्ताव है ताकि पूंजीगत लाभ की प्रकृति की किसी भी आय को छूट देने के लिए, एक गैर-निवासी द्वारा उत्पन्न या प्राप्त किया जाए, जो कि शेयर के हस्तांतरण के कारण है परिणामी निधि द्वारा भारत में रहने वाली कंपनी और इस तरह के शेयरों को मूल कोष से स्थानांतरण में परिणामी निधि में स्थानांतरित किया गया था, अगर ऐसे शेयरों पर पूंजीगत लाभ कर के लिए प्रभार्य नहीं थे, तो उस स्थान पर स्थानांतरण नहीं हुआ था।

"मूल निधि" को भारत के बाहर स्थापित या शामिल या पंजीकृत निधि के रूप में परिभाषित करने का प्रस्ताव है, जो अपने सदस्यों से अपने लाभ के लिए निवेश करने के लिए धन एकत्र करता है और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात्:-

(क) निधि भारत में निवासी व्यक्ति नहीं है;

(ख) निधि किसी देश या निर्दिष्ट क्षेत्र का निवासी है जिसके साथ धारा 90ए की धारा 90 या उप-धारा (1) की उप-धारा (1) में संदर्भित एक समझौता किया गया है; या किसी देश में स्थापित या शामिल या पंजीकृत है या इस ओर से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक निर्दिष्ट क्षेत्र है;

(ग) निधि और इसकी गतिविधियां देश या निर्दिष्ट क्षेत्र में लागू निवेशक संरक्षण नियमों के अधीन हैं जहां इसे स्थापित या शामिल किया गया है या निवासी है; और

(घ) निर्धारित ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करता है;

"स्थानांतरण" को 31मार्च, 2023 को या उससे पहले मूल निधि की परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के रूप में परिभाषित करने का प्रस्ताव है, जहां इस तरह के हस्तांतरण के लिए शेयर या इकाई या परिणामी निधि में ब्याज के रूप में शेयरधारक या इकाई धारक या मूल निधि के ब्याज धारक को उसी अनुपात में छुट्टी दी जाती है जिसमें शेयर या इकाई या ब्याज ऐसे शेयरधारक या इकाई धारक या ब्याज धारक द्वारा ऐसे मूल फंड में किया जाता था।

"परिणामी निधि" को ट्रस्ट या कंपनी या सीमित देयता साझेदारी के रूप में भारत में स्थापित या शामिल किए गए फंड के रूप में परिभाषित करने का प्रस्ताव है, जो-

(क) श्रेणी 1 या श्रेणी II या श्रेणी III वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 के 15) के तहत किए गए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 के तहत विनियमित किया जाता है; और

(ख) धारा 80एलए के उप-खंड (1 ए) में संदर्भित किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित है।

(vii) उक्त धारा में नए खंड डालने के लिए अधिनियम की धारा 47 में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि मूल निधि द्वारा पूंजीगत परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने में किसी भी प्रकार के अंतरण को पूंजीगत कर उद्देश्य के लिए अंतरण के रूप में नहीं माना जाएगा। यह भी प्रावधान है कि एक शेयरधारक या इकाई धारक या ब्याज धारक द्वारा किसी भी हस्तांतरण, एक स्थानांतरण में, एक पूंजी परिसंपत्ति के एक शेयर या इकाई या मूल निधि में उसके द्वारा शेयर या इकाई या परिणामी कोष में ब्याज के लिए विचार में आयोजित ब्याज के लिए पूंजीगत लाभ के उद्देश्य के लिए हस्तांतरण के रूप में नहीं माना जाएगा

प्रदान करने का प्रस्ताव है।"मूल निधि", "स्थानांतरण" और परिणामी निधि की परिभाषा पहले से ही ऊपर वर्णित होगी।

(viii) इस तरह के स्थानांतरण के कारण अधिनियम की धारा 49, 56 और 79 में परिणामी संशोधन प्रस्तावित किए जाएंगे।

(ix) अधिनियम की धारा 80एलए में निम्न संशोधन करने का भी प्रस्ताव है:

· उक्त धारा के तहत कटौती का प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की एक इकाई को भी उपलब्ध है यदि यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के तहत पंजीकृत है और इस प्रकार किसी अन्य प्रासंगिक कानून के तहत अनुमति प्राप्त करने की पूर्व आवश्यकता को हटा दिया जाता है।

· यह प्रावधान है कि किसी परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय, एक विमान या विमान इंजन होने के नाते, जिसे उक्त अनुभाग के उप-खंड (2) के खंड (सी) में उल्थित इकाई द्वारा इस तरह के हस्तांतरण से पहले विमान के संचालन के व्यवसाय में लगी घरेलू कंपनी को पट्टे पर दिया गया था, यह शर्त के अधीन 100 % कटौती के लिए भी पात्र होगा कि इकाई ने 31 मार्च 2024 को या उससे पहले परिचालन शुरू कर दिया है ।

· यह प्रदान करने के लिए कि यदि इकाई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के तहत पंजीकृत है तो अनुमति की प्रति का मतलब अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के तहत प्राप्त पंजीकरण की एक प्रति होगी।

(x) धारा 115एडी को संशेधित करने का प्रस्ताव है ताकि इस प्रावधान को अपतटीय बैंकिंग यूनिट के निवेश प्रभाग पर उसी तरह से लागू किया जा सके, जिस तरह से यह निर्दिष्ट निधि पर लागू होता है। तथापि, इस खंड के प्रावधान आय की उस सीमा तक लागू होंगे, जो निर्धारित तरीके से गणना किए गए अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के तहत बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 के अंतर्गत श्रेणी-।।। पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में ऐसी बैंकिंग यूनिट के निवेश प्रभाग के लिए जिम्मेदार है।

"अपतटीय बैंकिंग यूनिट का निवेश प्रभाग" अभिव्यक्ति का अर्थ भी वही है जैसा कि पैरा (iii) में परिभाषित किया गया है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-23 और उसके बाद के निर्धारण वर्षों पर लागू होंगे।

[खंड 4,5,15, 17, 21, 23 और 30]

अवसंरचना ऋण निधि द्वारा शून्य कूपन बांड जारी करना

अधिनियम की धारा 2 के खंड (48) में शून्य कूपन बॉन्ड की परिभाषा दी गई है, जैसा कि किसी ढांचागत पूंजी कंपनी या ढांचागत पूंजी कोष या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या अनुसूचित बैंक द्वारा बांड जारी किया गया हो और जिसके संबंध में कोई भुगतान और लाभ प्राप्त नहीं होता है या परिपक्वता या ऋणमुक्ति से पहले प्राप्य नहीं होता है। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाना आवश्यक है।

अवसंरचना ऋण निधि को आधिकारिक बनाने के लिए [जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 10 के खंड (47) के तहत सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है] शून्य कूपन बांड जारी करने के लिए अधिनियम की धारा 2 के खंड (48) में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित हैं। वित्त विधेयक 2021 के लागू होने के बाद आयकर नियमों के नियम 2च और 8ख में संशोधन किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-23 और उसके बाद के निर्धारण वर्षों पर लागू होगा।

[खंड 3]

1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होने वाले अधिनियम की धारा 194क की उप-धारा (3) के खंड (x) में परिणामी संशोधन का भी प्रस्ताव किया गया है।

[खण्ड 45]

बैंकिंग कंपनी में शहरी सहकारी बैंक का तटस्थ कर रूपांतरण

अधिनियम की धारा 44घख में सहकारी बैंकों के व्यवसाय पुनर्गठन के मामले में कटौती का हिसाब लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, उक्त खंड में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रदान है कि जहां सहकारी बैंकों का ऐसा व्यवसाय पुनर्गठन होता है, वहां पूर्ववर्ती सहकारी बैंक और उत्तराधिकारी सहकारी बैंक के बीच धारा 32, 35घ, 35घघ और धारा 35घघक के तहत कटौती व्यवसाय पुनर्गठन की तारीख से पहले और बाद के दिनों की संख्या के अनुपात में की जाएगी। अधिनियम की धारा 47 के तहत व्यवसाय पुनर्गठन के मामले में पूर्ववर्ती सहकारी बैंक द्वारा पूंजीगत परिसंपत्ति का आगे हस्तांतरण तथा साथ ही पूर्ववर्ती सहकारी बैंक में शेयरधारकों द्वारा शेयरों के हस्तांतरण को भी स्थानांतरण नहीं माना जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने प्राथमिक सहकारी बैंक [शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी)] के स्वैच्छिक हस्तांतरण को दिनांक 27 सितंबर, 2018 के परिपत्र संदर्भ सं. डीसीबीआर.सीओ.एलएस.पीसीबी. परि.सं.5/07.01.000/2018-19 के द्वारा परिसंपत्तियों और देयताओं के अंतरण द्वारा अनुमति दे दी है।

व्यवसाय पुनर्गठन के दायरे का विस्तार करने का प्रस्ताव है ताकि इसमें प्राथमिक सहकारी बैंक का बैंकिंग कंपनी में रूपांतरण शामिल किया जा सके और प्राथमिक सहकारी बैंक के बैंकिंग कंपनी में ऐसे रूपांतरण के संबंध में भी अधिनियम की धारा 44घख के तहत उपलब्ध कटौती लागू होगी। इसके अलावा यह भी प्रस्तावित है कि रूपांतरण के परिणामस्वरूप प्राथमिक सहकारी बैंक द्वारा बैंकिंग कंपनी में पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण को अधिनियम की धारा 47 के तहत हस्तांतरण नहीं माना जाएगा। परिणामस्वरूप, पूर्ववर्ती प्राथमिक सहकारी बैंक के शेयरधारकों को परिवर्तित बैंकिंग कंपनी के शेयरों का आबंटन अधिनियम की उक्त धारा के तहत हस्तांतरण नहीं माना जाएगा।

इस संबंध में अधिनियम की धारा 47 के खंड 44घख और खंड (viगक) और खंड (viगख) में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और उसके बाद के मूल्यांकन वर्षों पर लागू होंगे।

[खंड 13 और 15]

<u>सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के कार्यनीतिक विनिवेश को सुसाध्य बनाना</u>

अधिनियम की धारा 2 में अधिनियम के उद्देश्यों की परिभाषा दी गई है। उक्त धारा के खंड (19कक) में यह परिभाषित किया गया है कि कंपनियों के संबंध में "डिमर्जर" का अर्थ है, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 391 से 394 के तहत प्रबंधन योजना के अनुसार, डिमर्ज होने वाली कंपनी द्वारा उक्त खंड में निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर अपने एक या एक से अधिक उपक्रमों को परिणामी कंपनी के रूप में स्थानांतरित करना।

अधिनियम की धारा 72क में एकीकरण या डिमर्जर से होने वाली संचय हानि या गैर-अवशोषित मूल्यह्रास भत्ते के निर्धारण, आदि को अग्रेनीत करने या समायोजित करने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 72क की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि सम्मिलित कंपनी या कंपनियों की संचित हानि

और गैर-अवशोषित मूल्यह्रास को उक्त धारा में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निर्दिष्ट मामलों में सम्मिलित कंपनी या कंपनियों के संचित घाटे और अघोषित मूल्यह्रास के रूप में माना जाएगा।

सरकार द्वारा कार्यनीतिक विनिवेश की सुविधा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए इन दोनों वर्गों के प्रावधानों को शिथिल करने का प्रस्ताव है। तदनुसार, निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है-

(i) अधिनियम की धारा 2 के खंड (19कक) में स्पष्टीकरण 6 को जोड़ने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुनर्गठन या पृथक होने पर अलग कंपनियां बनने को एक डिमर्जर कंपनी माना जाएगा यदि -

- ऐसे पुनर्निर्माण या पृथकता के कारण डिमर्जर कंपनी की किसी परिसंपत्ति का परिणामी कंपनी में हस्तांतरण होता है; और
- कंपनी अधिनियम, 2013 या इस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत, सरकार द्वारा अनुमोदित योजना या अधिकृत किसी अन्य निकाय में उल्लिखित तारीख को परिणामी कंपनी एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है; और
- सरकारी राजपत्र में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करती है।

(ii) अधिनियम की धारा 72क की उप-धारा (1) में संशोधन करने का प्रस्ताव है,

(क) यह प्रावधान करने के लिए खंड (ग) का प्रतिस्थापन करना कि धारा 72क की उप-धारा (1) का प्रावधान एक या एक से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का एक या अधिक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या कंपनियों के साथ समामेलन के मामले में भी लागू होगा।

(ख) यह प्रावधान करने के लिए खंड (घ) को जोड़ना कि धारा 72क की उप-धारा (1) का प्रावधान एक या एक से अधिक कंपनी या कंपनियों के साथ तत्कालीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के समामेलन के मामले में भी लागू होगा, यदि

- कार्यनीतिक विनिवेश के तहत किए गए शेयर खरीद समझौते ने उक्त सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के तत्काल समामेलन को प्रतिबंधित कर दिया हो; और
- समामेलन पिछले वर्ष के अंत से पांच वर्ष के भीतर किया जाता है जिसमें शेयर खरीद समझौते में समामेलन पर प्रतिबंध समाप्त होता है।

(ग) उप-धारा (1) में यह प्रावधान जोड़ना कि यदि खंड (घ) में निर्दिष्ट समामेलन के मामले में संचित हानि और समामेलन कंपनी के गैर-अवशोषित मूल्यह्रास को हानि माना जाता है या जैसा भी मामला हो, समामेलित कंपनी के गैर-अवशोषित मूल्यह्रास का भत्ता सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की संचित हानि और गैर-अवशोषित मूल्यह्रास से अधिक नहीं होगा, जिस तारीख को कार्यनीतिक विनिवेश के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं रह जाती;

(घ) निम्नलिखित को परिभाषित करने के लिए उप-धारा (1) में स्पष्टीकरण जोड़ना:-

(क) "नियंत्रण" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (27) में निर्दिष्ट है;

(ख) "तत्कालीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी" का अर्थ है वह कंपनी जो पूर्व वर्षों में एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी और सरकार द्वारा कार्यनीतिक विनिवेश किए जाने के कारण अब एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं रह जाती है।

(ग) "कार्यनीतिक विनिवेश" का अर्थ केंद्र सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में किसी भी राज्य सरकार द्वारा शेयरधारिता की बिक्री से होगा, जिसके परिणामस्वरूप खरीदार को नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ-साथ इसकी शेयरधारिता 51% से कम हो जाती है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और उसके बाद के निर्धारण वर्षों पर लागू होंगे।

[खंड 3 और 22]

<u>सस्ती आवासीय गृह संपत्ति के लिए ऋण की मंजूरी की तारीख बढ़ाना</u>

अधिनियम की धारा 80ईईए के मौजूदा प्रावधान में अन्य बातों के साथ-साथ, किसी भी वित्तीय संस्थान से एक लाख पचास हजार रुपए तक के आवासीय गृह संपत्ति हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती करने का प्रावधान है बशर्ते कि ऋण 1 अप्रैल, 2019 से शुरू होने वाली अवधि और 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने की अवधि के दौरान स्वीकृत किया गया हो। आगे यह शर्त भी है कि आवासीय गृह संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य पैंतालीस लाख रुपए से अधिक न हो और ऋण की मंजूरी की तारीख निर्धारिती के पास कोई आवासीय गृह संपत्ति न हो। यह प्रावधान गृह ऋण पर

ब्याज के संबंध में पहली बार घर खरीदने वाले को कटौती की अनुमति देता है। पहली बार घर खरीदारों की मदद करने के लिए, 31 मार्च 2021 से 31 मार्च 2022 तक ऋण की मंजूरी के लिए बाहरी तारीख को बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 80ईईए के प्रावधान में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-23 और उसके बाद के निर्धारण वर्षों पर लागू होगा।

[खंड 24]

<u>छूट के लिए पात्र स्टार्ट-अप और पात्र स्टार्ट-अप में निवेश के लिए निगमन की तारीख को बढ़ाना</u>

अधिनियम की धारा 80-आईएसी के मौजूदा प्रावधानों में *अन्य बातों के साथ-साथ,* पात्र व्यवसाय से प्राप्त लाभ और मुनाफे के बराबर राशि की कटौती का प्रावधान किया गया है, जो निर्धारिती के विकल्प पर दस वर्षों में से लगातार तीन निर्धारण वर्षों के लिए एक योग्य स्टार्ट-अप द्वारा पात्र व्यवसाय से प्राप्त होता है। यह इस शर्त के अधीन है कि उसके व्यवसाय का कुल कारोबार एक सौ करोड़ रुपए से अधिक न हो। पात्र स्टार्ट-अप को अप्रैल, 2016 की 1 तारीख या उसके बाद, लेकिन अप्रैल 2021 की 1 तारीख से पहले शामिल किया जाना आवश्यक है।

अधिनियम की धारा 54जीबी के मौजूदा प्रावधानों में अन्य बातों के साथ-साथ, पूंजीगत लाभ की छूट का प्रावधान किया गया है जो आवासीय परिसंपत्ति (कोई आवास या भूखंड) होने के कारण पात्र निर्धारिती के स्वामित्व में है। निर्धारिती को अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से पहले पात्र स्टार्ट-अप के इक्विटी शेयरों में निवल अंशदान पर विचार करना होगा। निर्धारिती द्वारा इक्विटी शेयरों में अंशदान की तारीख से एक वर्ष के भीतर नई परिसंपत्ति की खरीद के लिए इस राशि का उपयोग करने के लिए पात्र स्टार्ट-अप की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, यह प्रावधान भी किया गया है कि लाभ केवल तभी मिलेगा जब आवासीय परिसंपत्ति 31 मार्च, 2021 को या उससे पहले स्थानांतरित की जाती है।

ऐसे पात्र स्टार्ट-अप की मदद करने और उनमें निवेश करने में मदद करने के लिए, -

(i) 1 अप्रैल, 2022 से पहले निगमन की बाहरी तारीख बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 80-आईएसी के प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ii) 31 मार्च 2021 से 31 मार्च 2022 तक आवासीय परिसंपत्ति के हस्तांतरण की बाहरी तारीख को बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 54जीबी के प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे।

[खंड 19 और 25]

करदाताओं द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को दूर करना

घर खरीदारों और ऐसी आवासीय इकाइयों को बेचने वाले रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए 10% की सुरक्षित सीमा में वृद्धि

अधिनियम की धारा 43गक में *अन्य बातों के साथ-साथ* यह प्रावधान किया गया है कि जहां भूमि या भवन या दोनों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त होने या अर्जित करने पर घोषित प्रतिफल, राज्य सरकार के किसी भी प्राधिकारी (अर्थात् स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी") द्वारा अपनाए गए मूल्य या आकलन या मूल्यांकन से कम है तो ऐसे हस्तांतरण के संबंध में स्टांप ड्यूटी के भुगतान के उद्देश्य से, ऐसी परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से लाभ और मुनाफे की गणना करने के लिए अपनाए गए मूल्य का आकलन या मूल्यांकन को सौदे का पूरा मूल्य माना जाएगा। उक्त धारा में यह भी प्रदान है कि जहां स्टांप ड्यूटी के भुगतान के उद्देश्य से प्राधिकारी द्वारा अपनाया गया मूल्य या मूल्यांकन या आकलन हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या अर्जित होने वाला सौदा एक सौ दस प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां ऐसी परिसंपत्ति के हस्तांतरण से लाभ और मुनाफे की गणना करने के उद्देश्य से, स्थानांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या अर्जित सौदे को पूरा मूल्य माना जाएगा।

अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (X) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है जहां कोई व्यक्ति पिछले वर्ष में, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों से, 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद किसी भी अचल संपत्ति पर, ऐसा सौदा जो पचास हजार रुपए से अधिक की राशि से संपत्ति के स्टांप ड्यूटी मूल्य से कम है, वहां ऐसी संपत्ति पर इससे अधिक राशि पर स्टांप ड्यूटी मूल्य को "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के तहत कर लगाया जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जहां निर्धारिती को किसी सौदे के लिए कोई अचल संपत्ति प्राप्त होती है और ऐसी संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य दस प्रतिशत या पचास हजार रुपए से अधिक है, जो भी अधिक हो, तो ऐसी संपत्ति की अतिरिक्त राशि के स्टांप शुल्क पर कर "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के तहत लगाया जाएगा।

रियल-एस्टेट क्षेत्र में मांग को बढ़ावा देने और रियल-एस्टेट डेवलपर्स को अपनी बिक्री न की गई यूनिटों पर नकदी प्राप्त करने के लिए घर खरीदारों को कम दर पर देने के लिए, अधिनियम की

धारा 43गक के तहत सुरक्षित सीमा को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों:-

- आवासीय यूनिट का हस्तांतरण 12 नवंबर, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के दौरान हुआ हो।
- हस्तांतरण किसी भी व्यक्ति को पहली बार आवासीय यूनिट के आवंटन के माध्यम से हुआ हो।
- ऐसे हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या अर्जित होने वाला सौदा दो करोड़ रुपए से अधिक का न हो।

इसके अलावा, इन आवासीय यूनिटों के खरीदारों की सुरक्षित सीमा को 10% से बढ़ाकर 20% तक करके अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (X) में संशोधन के माध्यम से परिणामी राहत प्रदान करने का प्रस्ताव है। तदनुसार, इस लेन-देन के सर्कल रेट को बिक्री/ खरीद के रूप में ही माना जाएगा, यदि समझौते के मूल्य और सर्कल दर के बीच का अंतर 20% से अधिक हो।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और उसके बाद के निर्धारण वर्षों पर लागू होंगे।

[खंड 10 और 21]

<u>आयकर की विवरणी दाखिल करने से वरिष्ठ नागरिकों की निश्चित श्रेणी को छूट</u>

अधिनियम की धारा 139 में आय की विवरणी दाखिल करने का प्रावधान है। धारा की उप-धारा (1) में यह प्रावधान है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत तौर पर कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय, जिसके संबंध में वह इस अधिनियम के तहत पिछले वर्ष के दौरान अधिकतम राशि की सीमा से बढ़ने के कारण कर निर्धारण योग्य हो जाता है, जो नियत तारीख को या उससे पहले आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है, तो उसे अपनी आय की विवरणी दाखिल करनी होगी।

वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने के लिए जो 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और उनके लिए अनुपालन को कम करने के लिए, आय की विवरणी को दाखिल करने से छूट प्रदान करने हेतु एक नया खंड शामिल किए जाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि वे निम्नलिखित स्थितियां को पूरा करते हों:-

(i) वरिष्ठ नागरिक भारत में निवास करता हो और पिछले वर्ष के दौरान उसकी आयु 75 या उससे अधिक हो;

(ii) उसकी पेंशन आय के अलावा अन्य कोई आय न हो। तथापि, ऐसी पेंशन आय के अलावा, उसे उसी बैंक से ब्याज आय भी हो सकती है जिसमें वह अपनी पेंशन आय प्राप्त कर रहा है;

(iii) यह बैंक एक निर्दिष्ट बैंक है। सरकार कुछ बैंकों को अधिसूचित करेगी, जो बैंकिंग कंपनी हैं, निर्दिष्ट बैंक हैं; तथा

(iv) उसे निर्दिष्ट बैंक से घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा। घोषणा-पत्र में ऐसे विवरण शामिल होंगे, जो ऐसे रूप में और ऐसे तरीके से सत्यापित किए जा सकते हैं, जैसा कि निर्धारित किया जाए।

घोषणा होने के बाद, निर्दिष्ट बैंक को अध्याय VI-क के तहत अनुमेय कटौती करने तथा अधिनियम की धारा 87क के तहत अनुमेय छूट देने के बाद ऐसे वरिष्ठ नागरिक की संगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की गणना करनी होगी और विद्यमान दरों के आधार पर आय कर की कटौती करनी होगी। ऐसा होने के बाद, इस निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे वरिष्ठ नागरिक को आय की विवरणी प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा।

[खण्ड 47]

<u>सोवरन वेल्थ फंड (एसडब्ल्यूएफ) और पेंशन फंड (पीएफ) से संबंधित प्रावधानों का युक्तिकरण</u>

अधिनियम की धारा 10 का खंड (23चड.) भारत में उसके द्वारा किए गए निवेश से उत्पन्न लाभांश, ब्याज या दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में निर्दिष्ट व्यक्तियों को आय से छूट प्रदान करता है। निर्दिष्ट व्यक्ति एसडब्ल्यूएफ या पीएफ हैं जो उसमें निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं और केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किए जाते हैं। यह प्रावधान वित्त अधिनियम, 2020 के माध्यम से भारत के अवसंरचना क्षेत्र में एसडब्ल्यूएफ और पीएफ के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया गया था। इसके लागू होने के बाद, निवेश के लिए पात्र ढांचाग गतिविधियों के दायरे को बढ़ाने के लिए एक अधिसूचना भी जारी की गई थी। इस प्रावधान के तहत एक एसडब्ल्यूएफ को पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। इस खंड के प्रावधान को तर्कसंगत बनाने और कुछ शर्तों को पूरा करने में कठिनाइयों को दूर करने के लिए, बिल में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है:

- गैर-पात्र निवेश में 50% तक निवेश करने के लिए वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) की अनुमति देना।

  वर्तमान में एसडब्ल्यूएफ/ पीएफ, श्रेणी-I या श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश निधि में निवेश कर सकते हैं, जिनका पात्र ढांचागत कंपनी में 100% निवेश है। यह प्रस्ताव किया जाता है कि:

  (क) 100% की सीमा को घटाकर 50% करना।

  (ख) अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (आईएनवीआईटी) में श्रेणी-I या श्रेणी-II एआईएफ द्वारा निवेश की अनुमति देना।

(ग) इस खंड के तहत छूट की गणना आनुपातिक रूप से की जाएगी, यदि अवसंचना कंपनी या कंपनियों या आईएनवीआईटी में कुल निवेश 100% से कम है।

- धारिता कंपनी के माध्यम से निवेश

वर्तमान में, एसडब्ल्यूएफ/ पीएफ को धारिता कंपनी के माध्यम से निवेश करने की अनुमति नहीं है। इसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति देने का प्रस्ताव है:

(क) धारिता कंपनी एक घरेलू कंपनी होनी चाहिए।

(ख) इसे 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद स्थापित और पंजीकृत किया जाना चाहिए।

(ग) इसमें एक या एक से अधिक अवसंरचना कंपनियों में न्यूनतम 75% निवेश होना चाहिए।

(घ) इस खंड के तहत छूट की गणना आनुपातिक रूप से की जाएगी, यदि ढांचागत कंपनी या कंपनियों में कुल निवेश 100% से कम है।

- एनबीएफसी में निवेश- आईडीएफ/ आईएफसी (गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी-अवसंरचना ऋण निधि/ अवसंरचना वित्त कंपनी)

वर्तमान में, एसडब्ल्यूएफ/ पीएफ को एनबीएफसी-आईएफसी/ आईडीएफ में निवेश करने की अनुमति नहीं है। इसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति देने का प्रस्ताव है:

(क) एनबीएफसी-आईडीएफ/ आईएफसी द्वारा एक या एक से अधिक ढांचागत संस्थाओं को न्यूनतम 90% ऋण दिया गया हो।

(ख) यदि ढांचागत कंपनी या कंपनियों में एनबीएफसी-आईडीएफ या एनबीएफसी-आईएफसी का कुल ऋण 100% से कम है, तो इस खंड के तहत छूट की गणना आनुपातिक रूप से की जाएगी।

- एसडब्ल्यूएफ/ पेंशन निधि द्वारा ऋण या उधार

वर्तमान में, एसडब्ल्यूएफ/ पीएफ को ऋण या उधार या जमा या निवेश की अनुमति नहीं है क्योंकि ऐसी शर्त है कि निजी व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होना चाहिए। यह प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है कि भारत में निवेश करने के उद्देश्य से कोई ऋण या उधार नहीं होना चाहिए। यह भी प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि निजी व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होगा और विलय पर सरकार को जाने वाली संपत्ति भारत में निवेश करने के उद्देश्य से लिए गए ऋण या ऋण लेने के लिए लेनदार या जमाकर्ता को किए गए किसी भी भुगतान पर लागू नहीं होगी।

- व्यावसायिक गतिविधि

वर्तमान में, एसडब्ल्यूएफ/ पीएफ को किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को करने की अनुमति नहीं है। इस शर्त को हटाने का प्रस्ताव है और इसे इस शर्त के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है कि एसडब्ल्यूएफ/ पीएफ निवेश करने वाले के दैनिक संचालन में भाग नहीं लेंगे। तथापि, निवेश की निगरानी के लिए निदेशक और कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति, दैनिक संचालन में भाग लेने के लिए नहीं होगी। "निवेशकर्ता" शब्द का अर्थ व्यावसायिक ट्रस्ट या कंपनी या उद्यम या एक यूनिट या श्रेणी-I या II से है। वैकल्पिक निवेश कोष या अवसंरचना निवेश ट्रस्ट या कोई घरेलू कंपनी या कोई अवसंरचना वित्त कंपनी या कोई अवसंरचना ऋण निधि, जिसमें एसडब्ल्यूएफ या पीएफ, जैसा भी मामला हो, ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस खंड के प्रावधानों के तहत निवेश किया है।

- कर के प्रति उत्तरदायी

वर्तमान में, कुछ पीएफ अपने देश में कर के लिए उत्तरदायी हैं, हालांकि बाद में छूट दी गई है। इस उपखंड को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि पेंशन निधि कर के लिए उत्तरदायी है, लेकिन इसकी सभी आय के लिए कराधान से छूट विदेशी देश द्वारा प्रदान की गई है, जिसके कानूनों के तहत इसे बनाया या स्थापित किया गया है, तो ऐसी पेंशन निधि भी पात्र होगी।

- गणना की विधि निर्धारित करने के लिए नियम

यह भी प्रदान करने का प्रस्ताव है कि केंद्र सरकार 50% अथवा 75% अथवा 90% ऊपर बताई गई गणना को विनिर्दिष्ट कर सकती है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार आकलन वर्ष 2021-22 और उसके बाद के मूल्यांकन वर्षों पर लागू होगा।

[खंड 5]

<u>अधिसूचित विदेशी सेवानिवृत्ति निधि से आय के असंतुलन का निराकरण करना</u>

ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि ऐसे निवासियों द्वारा सेवानिवृत्ति निधि से निकासी की कर देयता के वर्ष में बेमेल है, जिन्होंने इस तरह के फंड को खोला था जब वे भारत में और विदेशों में निवासी थे। वर्तमान में इस तरह के धन से भारत में रसीद के आधार पर कर वसूला जा सकता है, जबकि भारत में उपार्जन आधार पर इस मिसमैच को संबोधित करने और इस वास्तविक कठिनाई को दूर करने के लिए, अधिनियम में एक नया सेक्शन 89 शामिल करने का प्रस्ताव है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्दिष्ट खाते से किसी निर्दिष्ट व्यक्ति की आय पर उसी तरीके से और वर्ष में कर लगेगा जैसा कि निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार यह भारत में निवासी व्यक्ति के रूप में "निर्दिष्ट व्यक्ति" की अभिव्यक्ति को परिभाषित करने का प्रस्ताव है, जिसने

भारत में अनिवासी होते हुए एक अधिसूचित देश में एक निर्दिष्ट खाता खोला है और उस देश में निवासी है "निर्दिष्ट खाते" को एक अधिसूचित देश में बनाए गए खाते के रूप में परिभाषित किया जाना प्रस्तावित है जो सेवानिवृत्ति लाभों के लिए बनाए रखा जाता है और ऐसे खाते से प्राप्त होने वाली आय कर योग्य आधार पर कर योग्य नहीं होती है और निकासी या मोचन के समय ऐसे देश द्वारा कर लगाया जाता है। आधिकारिक राजपत्र में इस खंड के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित देश का अर्थ "अधिसूचित देश" निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-23 और उसके बाद के मूल्यांकन वर्षों पर लागू होगा।

[खण्ड 28]

<u>न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) के प्रावधानों का युक्तिकरण</u>

अधिनियम की धाराओं के तहत गणना की गई कंपनी की कुल आय पर कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से टैक्स के रूप में धारा 115 जेबी अपने पुस्तक लाभ के पंद्रह प्रतिशत की दर पर एमएटी के लिए प्रदान करता है। इस उद्देश्य के लिए बही लाभ की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा तैयार लाभ और हानि खाते में बताए गए लाभ के लिए कुछ समायोजन करके की जाती है।

प्रतिनिधि प्राप्त किए गए थे कि धारा 115 जेबी के तहत किताबी लाभ की गणना पिछले वर्ष की अतिरिक्त आय के हिसाब से किसी भी समायोजन के लिए प्रदान नहीं करता है, जो कि धारा 92 ई सी के तहत द्वितीयक समायोजन के खाते में चालू वर्ष की बहियों में शामिल है अग्रिम कीमत करार (एपीए) ने करदाता के साथ धारा 92सीसी के तहत प्रवेश किया। अभ्यावेदन यह भी प्राप्त हुआ है कि चूंकि लाभांश आय अब शेयरधारकों के हाथ में कर योग्य है, भारत में इसके निवेश पर एक विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश को बही लाभ की गणना के प्रयोजनों के लिए बाहर रखा जाना आवश्यक है, जब इस तरह के लाभांश पर देय कर डबल टैक्सेशन अग्रिम करारट (डीटीएए) में प्रदान की गई रियायती कर की दर के कारण आय एमएटी की देयता से कम है, इसलिए यह प्रस्तावित है -

(i) बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां पिछले वर्ष की आय को एपीए या द्वितीयक समायोजन के कारण पिछले वर्ष के दौरान खाते की बही में शामिल किया गया है, आकलन अधिकारी, निर्धारिती द्वारा इस संबंध में उसके द्वारा किए गए आवेदन पर, पुनर्मूल्यांकन करेगा। विगत वर्ष के दौरान, यदि कोई हो, तो निर्धारित वर्ष में बही लाभ इसके अलावा, अधिनियम की धारा 154 का प्रावधान अब तक लागू होगा और धारा 154 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट चार वर्षों की अवधि को वित्तीय वर्ष के अंत से वापस लिया जाएगा जिसमें उक्त आवेदन प्राप्त होता है आकलन अधिकारी द्वारा।

(ii) लाभांश के समान लाभ प्रदान करने के लिए पहले से ही प्रतिभूतियों के हस्तांतरण, ब्याज, रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं (एफटीएस) के लिए पूंजी लाभ के लिए अधिनियम की धारा 115 जेबी के प्रयोजनों के लिए पुस्तक लाभ की गणना में, ताकि दोनों निर्दिष्ट लाभांश आय और इसके संबंध में दावा किया गया व्यय विदेशी कंपनियों के मामले में पुस्तक लाभ की गणना करते हुए घटाया और वापस जोड़ा गया है, जहां डीटीएए के कारण ऐसी आय पर एमएटी दर से कम कर लगाया जाता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार आकलन वर्ष 2021-22 और उसके बाद के मूल्यांकन वर्षों पर लागू होगा।

[खण्ड 31]

<u>व्यापार ट्रस्ट को लाभांश के भुगतान पर स्रोत पर कर की कटौती की छूट, जिनके हाथ लाभांश में छूट है</u>

अधिनियम की धारा 194 किसी निवासी को लाभांश के भुगतान पर स्रोत (टीडीएस) पर कर में कटौती का प्रावधान करती है। इस खंड के लिए दूसरा प्रावधान यह प्रदान करता है कि इस खंड के प्रावधान कुछ ऐसी बीमा कंपनियों या बीमाकर्ताओं को जमा या भुगतान की गई आय पर लागू नहीं होंगे। यह अधिनियम की धारा 194 में दूसरे प्रावधान को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस धारा के प्रावधान भी इस तरह के आय पर लागू नहीं होंगे या किसी व्यवसायिक ट्रस्टी को विशेष प्रयोजन वाहन या किसी अन्य व्यक्ति को लाभांश का भुगतान करने के लिए भुगतान किया जाएगा, अधिसूचित किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से पूर्वलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा।

[खंड 44]

<u>विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को किए गए भुगतान पर रोक लगाने से संबंधित प्रावधान का युक्तिकरण</u>

अधिनियम की धारा 196डी अधिनियम की धारा 115एडी की उपधारा (1) के खंड (क) में उल्लिखित प्रतिभूतियों से एफआईआई की आय पर कर की कटौती के लिए प्रदान करता है (अधिनियम की धारा 194 एलडी में निर्दिष्ट ब्याज के अलावा) 20 प्रतिशत की दर।

चूँकि उक्त अनुभाग में इंगित की गई एक विशिष्ट दर पर टीडीएस के लिए प्रावधान है, उस दर पर कटौती की जानी है और अधिनियम की धारा 90 या धारा 90 क के तहत समझौते का लाभ कर कटौती के समय नहीं दिया जा सकता है। उन मामलों में स्थिति अलग है जहां प्रावधान बल में दर पर टीडीएस को अनिवार्य करता है। यह इस कारण से है कि अधिनियम की धारा 2 के खंड (37 ए) में अभिव्यक्ति "बल में दर" की परिभाषा, कर की दर का निर्धारण करने में धारा 90 या धारा 90ए के तहत समझौते का लाभ देती है, जिस पर कर स्रोत पर कटौती की जाएगी। पीआईएलसीओएम बनाम सीआईटी पश्चिम बंगाल (2012 की सिविल अपील संख्या 5749) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कर कटौती के इस सिद्धांत को भी बरकरार रखा गया है।

प्राप्त अभ्यावेदनों में यह अनुरोध किया गया है कि एफआईआई को भुगतान पर कर कटौती के समय अधिनियम की धारा 90 या धारा 90 ए के तहत समझौतों के लाभ पर विचार किया जा सकता है। तदनुसार, यह अधिनियम के अनुभाग 196डी की उप-धारा (1) के लिए एक प्रावधान सम्मिलित करने का प्रस्ताव है, जो कि एक आदाता के मामले में, जिसे धारा 90 या उप-धारा की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किया गया है। (90) की धारा 90 ए लागू होती है और इस तरह के भुगतानकर्ता ने अधिनियम की धारा 90 ए की उपधारा (4) की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कर निवास प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किया है, तो कर में कटौती की जाएगी बीस फीसदी की दर या ऐसी आय के लिए इस तरह के समझौते में प्रदान की गई आयकर की दर या दर, जो भी कम हो।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा।

[खण्ड 49]

<u>कुछ मामलों में कर लेखा परीक्षा से संबंधित प्रावधानों का युक्तिकरण</u>

अधिनियम की धारा 44 एबी के तहत, व्यवसाय पर ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने खातों की आडिट कराने की आवश्यकता होती है, यदि उनकी कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां, व्यवसाय में पिछले एक वर्ष में एक करोड़ रुपये से अधिक या उससे अधिक हैं। पेशे से ले जाने वाले व्यक्ति के मामले में, उसके खातों का ऑडिट करवाना आवश्यक है, यदि पेशे में उसकी सकल प्राप्ति किसी भी पिछले वर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक है। वित्त अधिनियम 2020 के माध्यम से, छोटे और मध्यम उद्यमों पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए, व्यापार पर ले जाने वाले व्यक्ति के लिए सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दी गई है, -

(i) पिछले वर्ष के दौरान नकदी में सभी प्राप्तियों का कुल मिलाकर इस तरह की प्राप्ति के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है; तथा

(ii) पिछले वर्ष के दौरान नकद में सभी भुगतानों का कुल मिलाकर इस तरह के भुगतान का पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गैर-नकद लेनदेन को प्रोत्साहित करने और छोटे और मध्यम उद्यमों के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए, ऊपर सूचीबद्ध मामलों में सीमा को पांच करोड़ रुपये से बढ़ाकर दस करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और उसके बाद के मूल्यांकन वर्षों के लिए लागू होगा।

[खण्ड 11]

<u>लाभांश आय के लिए अग्रिम कर किस्त</u>

अधिनियम की धारा 234 सी एक निर्धारिती द्वारा ब्याज के भुगतान के लिए प्रदान करती है जो अधिनियम की धारा 208 के अनुसार अग्रिम कर किश्तों का भुगतान नहीं करता है या समय पर भुगतान करने में विफल रहता है। निर्धारिती कर किश्तों के लिए नियत तारीखों के संबंध में गणना की गई कमी के हिसाब से तीन महीने की अवधि के लिए निर्धारिती 1% प्रति माह की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

उप खंड का पहला प्रावधान (1) छूट के लिए यह प्रदान करता है कि यदि अग्रिम कर की किस्त में कमी या समय पर समान भुगतान करने में विफलता सूचीबद्ध आय के कारण होती है, तो धारा 234 सी के तहत कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। निर्धारिती ने बाद की अग्रिम कर किश्तों में पूर्ण कर का भुगतान किया है। ये हटाए गए प्रावधान निम्नलिखित है: -

(क) पूंजीगत लाभ की राशि; या

(ख) धारा 2 के खंड (24) के उप-खंड (ix) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय; या

(ग) पहली बार उक्त शीर्ष के नीचे आय या उत्पन्न होने वाले मामलों में "व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ" सिर के नीचे की आय; या

(घ) धारा 115बीबीडीए की उपधारा (1) में उल्लिखित आय की प्रकृति।

उपर्युक्त छूट उन मामलों में अधिनियम की धारा 234 सी के तहत ब्याज के भुगतान से करदाताओं को बचाने के लिए है, जहां आय की आंतरिक प्रकृति के कारण अग्रिम कर देयता का सटीक निर्धारण संभव नहीं है। इसलिए, विभिन्न अभ्यावेदन पर अनुकूलता से विचार करने के बाद, उपरोक्त बहिष्करण में लाभांश आय को शामिल करना प्रस्तावित है, लेकिन अधिनियम की धारा 2 के खंड (22) के उप-खंड (ई) के अनुसार लाभांश नहीं माना जाता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार आकलन वर्ष 2021-22 और उसके बाद के मूल्यांकन वर्षों पर लागू होगा।

[खंड 53]

<u>अधिनियम की धारा 10 के उपखंड (iiiएडी) और खंड (23सी) के तहत छूट के लिए निर्धारित सीमा का पालन</u>

अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) में विभिन्न उप-धाराओं में निर्दिष्ट विभिन्न निधियों या संस्थानों आदि की ओर से किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होने वाली आय में छूट का प्रावधान है।

धारा 10 के खंड (23सी) के उप-खंड (iiiएडी) किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान की ओर से उस उपखंड में संदर्भित आय के लिए छूट प्रदान करता है। उक्त उपखंड के तहत छूट इस शर्त के अधीन उपलब्ध है कि ऐसे विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान की वार्षिक प्राप्तियां वार्षिक प्राप्तियों से अधिक नहीं हैं जो निर्धारित की जा सकती हैं। इसी प्रकार, खंड के उपखंड (iiiएई) खंड (23सी) में अस्पताल या संस्थान की ओर से किसी भी व्यक्ति को प्राप्त आय के लिए छूट का प्रावधान है, जैसा कि उस उपखंड में निर्दिष्ट है उक्त उपखंड के तहत छूट इस शर्त के अधीन उपलब्ध है कि ऐसे अस्पताल या संस्थान की वार्षिक प्राप्तियां वार्षिक प्राप्तियों से अधिक नहीं हैं जो निर्धारित की जा सकती हैं। वर्तमान में इन दोनों उप-धाराओं के लिए निर्धारित सीमा आयकर नियम के नियम 2 बीसी के अनुसार 1 करोड़ रुपये है।

नियम 2बीसी के तहत प्रदान की गई इस सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। छोटे ट्रस्ट और संस्थानों को लाभ प्रदान करने के लिए, यह प्रस्तावित किया गया है कि उप-खंड (iiiएडी) और (iiiएई) के तहत छूट को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये किया जाएगा और कुलियों के संबंध में निर्धारिती के लिए ऐसी सीमा लागू होगी। उप-खंड (iiiएडी) के साथ-साथ अस्पताल या अस्पतालों या संस्थानों या संस्थानों से उप-खंड (iiiएई) में संदर्भित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों या शैक्षणिक संस्थानों या संस्थानों से प्राप्तियां।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-23 और उसके बाद के मूल्यांकन वर्षों पर लागू होगा।

[खंड 5]

<u>कुछ मामलों में आय के रिटर्न दाखिल करने के लिए नियत तारीख का विस्तार करना, विलंबित रिटर्न फाइल करने का समय कम करना और मूल रिटर्न को संशोधित करना और दोषपूर्ण रिटर्न के मामलों में कठिनाई को दूर करना</u>

अधिनियम की धारा 139 में विभिन्न व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आय की वापसी के संबंध में प्रावधान हैं। उक्त अनुभाग, निर्धारिती के विभिन्न वर्गों के लिए आय के मूल, संशोधित और संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए नियत तारीखों को भी प्रदान करता है।

अनुभाग का उप-खंड (1) एक आकलन वर्ष के लिए आय का मूल रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रदान करता है। उक्त खंड का स्पष्टीकरण 2 अलग-अलग वर्ग के व्यक्तियों के लिए मूल रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीखों को निर्दिष्ट करता है। उक्त स्पष्टीकरण 2 के खंड (क) के उप-खंड (iii) में यह प्रावधान है कि किसी फर्म के साझेदार के लिए आय के मूल रिटर्न को दाखिल करने की नियत तारीख जिसके खातों की उक्त अधिनियम के तहत या किसी अन्य के तहत ऑडिट किया जाना आवश्यक है। समय लागू होने का कानून निर्धारण वर्ष के अक्टूबर के 31 वें दिन होगा।

अधिनियम की धारा 5ए पुर्तगाली नागरिक संहिता द्वारा शासित जीवन साथी के कराधान के लिए प्रदान करती है। इस प्रावधान के कारण किसी भी फर्म के भागीदार द्वारा अर्जित की गई आय, जिनके खातों का लेखा-जोखा होना आवश्यक है, उन्हें पति / पत्नी के बीच संलग्न किया जाएगा और उनकी कुल आय में शामिल किया जाएगा, यदि धारा 5ए उन पर लागू होती है।

चूंकि ऐसी फर्म के खातों की पुस्तकों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद किसी साथी की कुल आय का निर्धारण किया जा सकता है, इसलिए साझेदारों की नियत तारीखों को फर्म की नियत तारीख के साथ पहले से ही जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार, इस तरह के भागीदार की आय का मूल रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख आकलन वर्ष के 31 अक्टूबर है। हालांकि, यह छूट ऐसे साथी के पति के लिए नहीं है, जिस पर अधिनियम की धारा 5ए लागू होती है। इसलिए, यह प्रस्तावित है कि आय के मूल रिटर्न के दाखिल करने की नियत तारीख को आकलन वर्ष के 31 अक्टूबर तक बढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें किसी फर्म के भागीदार के पति या पत्नी के खातों का लेखा-जोखा इस अधिनियम के तहत या किसी अन्य के तहत होना आवश्यक है। लागू होने का समय कानून, यदि धारा 5ए के प्रावधान उन पर लागू होते हैं।

इसके अलावा, एक फर्म के मामले में, जिसे अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन में प्रवेश करने के लिए एक लेखाकार से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, अधिनियम की धारा 92 ई के अनुसार, आय के मूल रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 30 नवंबर है आकलन वर्ष। चूंकि ऐसी फर्म की खातों की पुस्तकों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इस तरह के भागीदार की कुल आय निर्धारित की जा सकती है, इसलिए यह प्रस्तावित है कि ऐसे भागीदार की नियत तारीख को आकलन वर्ष की 30 नवंबर तक बढ़ाया जाए।

अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (4) और (5) में क्रमशः आय के संशोधित और संशोधित रिटर्न दाखिल करने से संबंधित प्रावधान हैं। उप-वर्गों (4) और (5) के तहत वर्तमान में बेल्ड या संशोधित रिटर्न निर्धारण वर्ष के अंत से पहले या जो भी पहले हो, मूल्यांकन पूरा होने से पहले दायर किया जा सकता है। विभाग में बड़े पैमाने पर तकनीकी उन्नयन के साथ, जहां अधिनियम के तहत प्रक्रियाएं फेसलेस और अधिकार-क्षेत्र बनने की ओर बढ़ रही हैं, इस तरह की प्रक्रियाओं को पूरा करने और पूरा करने में लगने वाला समय बहुत कम हो गया है। इसलिए, यह प्रस्तावित है कि आय के संशोधित या संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि, जैसा भी हो, तीन महीने तक कम किया जा सकता है। इस प्रकार संबंधित निर्धारण वर्ष के अंत से पहले या मूल्यांकन पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, तीन महीने पहले बेल्ड रिटर्न या संशोधित रिटर्न दाखिल किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (9) एक दोषपूर्ण रिटर्न को ठीक करने की प्रक्रिया को समाप्त करती है। यह प्रदान करता है कि यदि आय की वापसी दोषपूर्ण पाई जाती है, तो निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को दोष बताएगा और उक्त दोष को सुधारने के लिए 15 दिनों या उससे अधिक की अवधि देगा और यदि दोष उक्त के भीतर ठीक नहीं किया गया है। अवधि, रिटर्न को अमान्य रिटर्न माना जाएगा और निर्धारिती को माना जाएगा कि उसने कभी भी आय का रिटर्न दाखिल नहीं किया है। उप-धारा के स्पष्टीकरण में उन शर्तों को सूचीबद्ध किया गया है जिनमें आय की निश्चित वापसी को दोषपूर्ण माना जाएगा। ऐसे प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं कि उपरोक्त शर्तें करदाता और विभाग दोनों के लिए मुश्किलें पैदा करती हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में रिटर्न उक्त शर्तों के आवेदन से दोषपूर्ण हो जाता है। इससे कई शिकायतें हुईं। यह दर्शाया गया है कि उक्त स्पष्टीकरण में दी गई शर्तों को वास्तविक मामलों में शिथिल किया जा सकता है। इसलिए, यह प्रस्तावित है कि बोर्ड को निर्दिष्ट करने के लिए सशक्तिकरण के लिए एक प्रावधान डाला जाए, उपरोक्त शर्तों की अधिसूचना अधिसूचना निर्धारिती वर्ग के लिए लागू नहीं होगी या ऐसे संशोधनों के साथ लागू नहीं होगी, जैसा कि इस तरह की अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार आकलन वर्ष 2021-22 और उसके बाद के मूल्यांकन वर्षों पर लागू होंगे।

[खंड 32]

विभिन्न उपबंधों का युक्तिकरण

<u>नियत तारीख को या उससे पहले किसी फंड में कर्मचारी योगदान के नियोक्ता द्वारा भुगतान</u>

अधिनियम की धारा 2 का खंड (24) आय की एक समावेशी परिभाषा प्रदान करता है। उक्त खण्ड के उप-खंड (एक्स) उस आय को प्रदान करते हैं, जिसमें निर्धारिती द्वारा प्राप्त किसी भी राशि को किसी भी भविष्य निधि या सेवानिवृत्ति निधि या ईएसआई अधिनियम या किसी अन्य निधि के प्रावधानों के तहत निर्धारित किसी भी निधि में योगदान के रूप में शामिल किया जाता है। ऐसे कर्मचारियों का कल्याण।

अधिनियम की धारा 36 अन्य कटौती से संबंधित है। उक्त खंड का उप-खंड (1) सिर के तहत आय की गणना करते समय विभिन्न कटौती के लिए प्रदान करता है) लाभ और व्यवसाय या पेशे के लाभ'।

उक्त उप-धारा का खंड (वीए) उनके किसी भी कर्मचारी द्वारा निर्धारिती द्वारा प्राप्त किसी भी राशि की कटौती के लिए प्रदान करता है जिसमें खंड 2 के खंड (24) के उप-खंड (x) के प्रावधान लागू होते हैं, यदि ऐसा योग है नियत तारीख पर या उससे पहले संबंधित फंड या फंड में कर्मचारी के खाते में निर्धारिती द्वारा क्रेडिट किया जाता है। उक्त खण्ड का स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए "नियत तारीख" प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि किसी कर्मचारी, किसी भी अधिनियम, नियम के तहत संबंधित निधि में कर्मचारी के खाते में कर्मचारी के योगदान के लिए नियोक्ता के रूप में निर्धारिती की आवश्यकता होती है। , वहाँ या किसी भी स्थायी आदेश, पुरस्कार, सेवा के अनुबंध के तहत या अन्यथा जारी किए गए आदेश या अधिसूचना।

धारा 43 बी उन कटौती की सूची को निर्दिष्ट करता है जो केवल उनके वास्तविक भुगतान पर अधिनियम के तहत स्वीकार्य हैं। नियोक्ता का योगदान धारा 43 बी के खंड (बी) में शामिल है। इसके अनुसार, यदि किसी भविष्य निधि या अतिदेय निधि या ग्रेच्युटी फंड या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य फंड में नियोक्ता के योगदान के लिए कोई राशि वास्तव में निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई आय के तहत प्रस्तुत करने के लिए

नियत तारीख पर या उससे पहले भुगतान किया जाता है। धारा 139 की उपधारा (1), निर्धारिती धारा 43 बी के तहत कटौती का हकदार होगा और इस तरह की कटौती लेखा वर्ष के लिए स्वीकार्य होगी। यह प्रावधान अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (वीए) में निर्दिष्ट कर्मचारी योगदान को कवर नहीं करता है।

हालांकि अधिनियम की धारा 43बी में केवल नियोक्ता के योगदान को शामिल किया गया है और कर्मचारी के योगदान को कवर नहीं किया गया है, कुछ अदालतों ने कर्मचारी योगदान पर धारा 43 बी के प्रावधान को भी लागू किया है। कल्याण निधि के प्रति नियोक्ता के योगदान और कर्मचारी के योगदान के बीच अंतर है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि कल्याणकारी निधियों के प्रति कर्मचारी का योगदान श्रम कल्याण कानूनों के नियोक्ताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है। इसलिए, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि ईएसआई और पीएफ जैसे कल्याण फंडों के प्रति नियोक्ता के योगदान को कल्याणकारी फंडों के लिए कर्मचारी के योगदान से स्पष्ट रूप से अलग होना चाहिए। कर्मचारी का योगदान कर्मचारी का स्वयं का पैसा है और नियोक्ता इस योगदान को कर्मचारी की क्षमता के अनुसार जमा करता है। कर्मचारी योगदान के देर से जमा करने से, नियोक्ता कर्मचारियों से संबंधित धन रखने से अन्यायपूर्ण रूप से समृद्ध हो जाते हैं। अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (1) का खंड (वीए) वित्त अधिनियम 1987 के अधिनियम में डाला गया था, जो कर्मचारियों के योगदान का गलत उपयोग करने वाले नियोक्ताओं को दंडित करने के उपायों के रूप में किया गया था।

तदनुसार, निश्चितता प्रदान करने के लिए, यह प्रस्तावित है -

(i) अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (वीए) में संशोधन करके, उक्त खंड में एक और स्पष्टीकरण शामिल करके स्पष्ट किया जाएगा कि धारा 43बी का प्रावधान लागू नहीं होता है और प्रयोजनों के लिए कभी लागू नहीं किया गया समझा जाता है। इस खंड के तहत "नियत तारीख" का निर्धारण; तथा

(ii) उक्त धारा में स्पष्टीकरण 5 को समाहित कर अधिनियम की धारा 43 बी में यह स्पष्ट करने के लिए कि उक्त धारा के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और माना जाता है कि उनके किसी कर्मचारी को निर्धारिती द्वारा प्राप्त राशि पर लागू नहीं किया गया है। धारा 2 के खंड (24) के उप-खंड (एक्स) के प्रावधान लागू होते हैं।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार आकलन वर्ष 2021-22 और उसके बाद के मूल्यांकन वर्षों पर लागू होंगे।

[खंड 8 और 9]

<u>छोटे और मध्यम करदाताओं के लिए विवाद समाधान समिति का गठन</u>

केंद्र सरकार ने सचेत रूप से अधिनियम के तहत प्रक्रियाओं को बनाने के लिए एक नीति अपनाई है, जिसमें करदाता के साथ इंटरफेस की आवश्यकता है, पूरी तरह से फेसलेस। इस पृष्ठभूमि में, कमिश्नर (अपील) के स्तर पर फेसलेस अपील के लिए फेसलेस मूल्यांकन की नई योजनाएँ और जुर्माना लगाने के लिए पहले ही चालू कर दिया गया है। इसके अलावा, कराधान और अन्य कानून (आराम और कुछ प्रावधानों के संशोधन) अधिनियम, 2020 ने आयकर अधिकारियों द्वारा निष्पादित किए जा रहे अन्य कार्यों के लिए इसी तरह की योजनाओं को पेश करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाया है।

उम्मीद है कि इन सुधारों के साथ, विवादों की संख्या कम होगी। हालाँकि, कुछ विवाद अभी भी होंगे। सरकार हमेशा विवादों को कम करने और कर निश्चितता प्रदान करने के लिए प्रयास कर रही है। लंबित विवादों को निपटाने के लिए पिछले साल विवाद से विश्वास योजना शुरू की गई थी। संकेत हैं कि योजना को बड़ी सफलता मिली है। जबकि लंबित विवादों को हल किया जा रहा है या स्थगित किया जा रहा है, यह महत्वपूर्ण है कि भविष्य में नए मूल्यांकन से विवादों की संख्या कम हो। इसलिए, छोटे और मध्यम करदाताओं को प्रारंभिक कर

निश्चितता प्रदान करने के लिए, नए विवादों को रोकने और प्रारंभिक स्तर पर इस मुद्दे को निपटाने के लिए एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव है।

नई योजना को एक नए खंड 245एमए में शामिल करने का प्रस्ताव है और इसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं

(i) केंद्र सरकार एक या एक से अधिक विवाद समाधान समिति (डीआरसी) का गठन करेगी।

(ii) यह समिति ऐसे व्यक्तियों या व्यक्ति के वर्ग के विवादों को हल करेगी जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे। निर्धारिती के पास डीआरसी के माध्यम से विवाद समाधान के लिए विकल्प चुनने या न चुनने का विकल्प होगा।

(iii) केवल उन्हीं विवादों में जहां रिटर्न की गई आय पचास लाख रुपये या उससे कम है (यदि कोई रिटर्न है) और निर्दिष्ट क्रम में प्रस्तावित भिन्नता की कुल राशि दस लाख रुपये या उससे कम है, जो डीआरसी द्वारा विचार किए जाने योग्य है।

(iv) यदि निर्दिष्ट आदेश धारा 132 के तहत शुरू की गई खोज पर आधारित है या धारा 133क या 133क के तहत शुरू किए गए सर्वेक्षण या अधिनियम के धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट समझौते के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर किया गया है, तो ऐसा निर्दिष्ट आदेश डीआरसी द्वारा विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

(v) निर्धारिती के रूप में निर्धारिती के तहत विभिन्न कानूनों के तहत निरोध, अभियोजन या दोष सिद्ध होने पर निर्धारिती इस प्रावधान के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा।

(vi) बोर्ड नियत समय में कुछ अन्य शर्तें लिखेगा जिन्हें इस प्रावधान के तहत पात्र होने के लिए भी संतुष्ट होना होगा।

(vii) डीआरसी, ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें निर्धारित किया जा सकता है, उनके पास इस अधिनियम के तहत किसी भी दंड को कम करने या माफ करने की शक्तियां होंगी या किसी व्यक्ति के मामले में इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए अभियोजन पक्ष से प्रतिरक्षा प्रदान करेगा, जिसका विवाद हल हो गया है।

(viii) केंद्र सरकार को भी इस प्रावधान के तहत विवाद समाधान के उद्देश्य से आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा योजना बनाने का अधिकार दिया गया है। संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करके और गतिशील अधिकार क्षेत्र की शुरूआत करके, तकनीकी रूप से संभव हद तक इंटरफ़ेस को समाप्त करके योजना अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करेगी। केंद्र सरकार इस योजना को प्रभावी करने के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सकती है। प्रत्यक्षतः इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान को लागू नहीं किया जाएगा या ऐसे अपवादों, संशोधनों और अनुकूलन के साथ लागू होगा जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। हालाँकि, मार्च, 2023 के 31 वें दिन के बाद इस तरह का कोई निर्देश जारी नहीं किया जाएगा। अधिसूचना जारी होने के बाद जितनी भी अधिसूचना हो सकती है, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा

[खण्ड 66]

<u>अग्रिम नियमों के लिए बोर्ड का गठन</u>

कर देयता के आकलन के संबंध में विवाद से बचने और कर निश्चितता प्रदान करने के उद्देश्य से, एडवांस रूलिंग्स की एक योजना को वित्त अधिनियम, 1993 के अधिनियम में एक नया अध्याय XIX-बी सम्मिलित करके शामिल किया गया था। इन प्रावधानों के तहत अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (एएआर) अनिवासी / निवासियों के आवेदनों पर फैसला सुनाती है और इस तरह के फैसले आवेदकों और कर विभाग दोनों पर बाध्यकारी होते हैं। एएआर में एक अध्यक्ष और कई उपाध्यक्ष, राजस्व सदस्य और कानून सदस्य शामिल होते हैं। प्राधिकरण की तीन बेंच हैं। प्रमुख पीठ में अध्यक्ष, एक राजस्व सदस्य और एक कानून सदस्य होते हैं। अन्य पीठों में एक उपाध्यक्ष, एक राजस्व सदस्य और एक कानून सदस्य होता है। यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो कोई बेंच कार्य नहीं कर सकती है। अधिनियम की धारा 245-ओ के अनुसार, एएआर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, जिन्होंने कम से कम सात वर्ष उस क्षमता में सेवा की है। इसी तरह, उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। पिछले अनुभव के अनुसार, पात्र व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद लंबे समय से रिक्त हैं।

इससे एएआर के काम में गंभीर बाधा उत्पन्न हुई है और पिछले कई वर्षों से बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं। इसलिए, अग्रिम सत्तारूढ़ प्रदान करने की रुलिंग के लिए एक वैकल्पिक पद्धति की तलाश करने की आवश्यकता है जो करदाताओं को समय पर सही निर्णय दे सके। इसलिए, एडवांस रूलिंग बोर्ड का गठन करने और एएआर के मौजूदा प्रावधानों में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है: -

(i) अग्रिम नियमों के लिए प्राधिकरण ऐसी तारीख से प्रभावी ढंग से काम करना बंद कर देगा, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जा सकता है (बाद में अधिसूचित तिथि के रूप में संदर्भित)।

(ii) यह प्रस्तावित है कि केंद्र सरकार अधिसूचित तिथि को और उसके बाद उक्त अध्याय के अंतर्गत अग्रिम शासनादेश देने के लिए एक या अधिक बोर्ड का गठन करेगी। ऐसे प्रत्येक बोर्ड में दो सदस्य होंगे, जिनमें से प्रत्येक मुख्य आयुक्त के पद से नीचे का अधिकारी नहीं होगा। ऐसे बोर्ड के अग्रिम आवेदक या विभाग के लिए बाध्यकारी नहीं होंगे और अगर वे असंतुष्ट होते हैं, तो आवेदक या विभाग उच्च न्यायालय के समक्ष बोर्ड द्वारा पारित आदेश या आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है।

(iii) चूंकि अधिसूचित तिथि को और उसके बाद बोर्ड द्वारा अग्रिम नियमों के प्राधिकरण के काम को आगे बढ़ाया जाएगा, इस आशय के अध्याय के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन को प्रस्तावित किया जाएगा।

(iv) अग्रिम नियमों की बोर्ड की परिभाषा को शामिल करने के लिए धारा 245एन को संशोधन का प्रस्ताव है, अधिसूचित तिथि, अग्रिम नियमों को सदस्य बोर्ड और प्राधिकारी की परिभाषा में बदलाव को अग्रिम नियमों के बोर्ड को शामिल करे।

(v) धारा 245-ओबी को संशोधित करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि उक्त धारा के तहत गठित प्राधिकरण अधिसूचित तिथि को या उसके बाद काम करना बंद कर देगा।

(vi) बोर्ड की अग्रिम नियम को गठित करने के लिए धारा 245-ओबी डाला जाएगा।

(vii) धारा 245 पी में अधिसूचित तिथि से या उसके बाद संशोधन करने का प्रस्ताव है, उक्त अनुभाग के प्रावधानों का प्रभाव होगा जैसे कि शब्द "प्राधिकरण" के लिए, शब्द "अग्रिम नियमों के लिए बोर्ड" प्रतिस्थापित किया गया है;

(viii) धारा 245क्यू (जो आवेदन दाखिल करने से संबंधित है) में संशोधन करने का प्रस्ताव है, ताकि प्राधिकरण के पास लंबित आवेदन यानी धारा 245 आर (2) या धारा 245 आर (4) के तहत आदेश पारित नहीं किया जा सके। अधिसूचित तिथि को अग्रिम रिकॉर्ड के लिए बोर्ड को सभी अभिलेखों, दस्तावेजों या सामग्री के साथ स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जो भी नाम से पुकारा जाएगा और सभी उद्देश्यों के लिए बोर्ड के समक्ष रिकॉर्ड माना जाएगा।

(ix) धारा 245 आर (जो प्रक्रिया से संबंधित है) को संशोधित तिथि से या उस अधिसूचित तिथि से प्रदान करने के लिए संशोधित करने का प्रस्ताव है, उक्त धारा के प्रावधानों का प्रभाव होगा जैसे कि शब्द "प्राधिकरण", शब्द "बोर्ड के लिए "अग्रिम नियमों" को प्रतिस्थापित कर दिया गया था और उक्त धारा के प्रावधान प्राधिकरण के लिए लागू होने वाले अग्रिम नियमों के लिए बोर्ड के लिए उत्परिवर्ती मंडी लागू करेंगे।

(x) इस प्रावधान के तहत अग्रिम नियमों के बोर्ड द्वारा अग्रिम नियम देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा योजना बनाने का अधिकार दिया जाना प्रस्तावित है। योजना संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करके और गतिशील क्षेत्राधिकार को शुरू करने के द्वारा, तकनीकी रूप से व्यवहार्य रूप से व्यवहार्यता को समाप्त करके अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करेगी। आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा योजना को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार यह निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के कोई भी प्रावधान ऐसे अपवादों के साथ लागू नहीं होंगे या लागू होंगे। हालांकि, मार्च, 2023 के 31वें दिन के बाद इस तरह का निर्देश जारी नहीं किया जाएगा। ऐसी सभी अधिसूचनाओं की जैसे ही अधिसूचना जारी होगी उसके बाद संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

(xi) धारा 245 एस (जो अग्रिम शासनादेश की प्रयोज्यता से संबंधित है और इसे निर्धारिती और विभाग के लिए बाध्यकारी बनाती है) को संशोधित करने का प्रस्ताव है, ताकि यह सूचित किया जा सके कि उक्त धारा में निहित कुछ भी अधिसूचित तिथि के बाद और उसके बाद लागू नहीं होगा।

(xii) धारा 245 टी (जो कुछ स्थिति में शून्य होने के लिए अग्रिम निर्णय के साथ संबंधित है) को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया गया है ताकि यह सूचित किया जाए कि उक्त अनुभाग के प्रावधानों का प्रभाव उन शब्दों पर पड़ेगा जैसा कि "प्राधिकरण" के लिए है, शब्दों को "अग्रिम नियमों के लिए बोर्ड" को शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया था। इसके अलावा, प्राधिकरण द्वारा उल्लिखित अग्रिम शासनादेश का एक विशिष्ट संदर्भ धारा 245 आर की उप-धारा (6) के तहत स्पष्ट अग्रिम आदेश देने के लिए संशोधित किया जाएगा ताकि अग्रिम नियमों के बोर्ड शासनों के संबंध में उक्त धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग भी कर सके, वर्तमान प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट।

(xiii) धारा 245 यू का प्रस्ताव है कि अधिसूचित तिथि से या उसके बाद, उक्त धारा के तहत "प्राधिकरण" की शक्तियों का प्रयोग "अग्रिम नियमों के लिए बोर्ड" और उक्त अनुभाग के प्रावधानों द्वारा किया जाएगा। जैसा कि वे प्राधिकरण के लिए लागू होते हैं अग्रिम बोर्ड के लिए बोर्ड के लिए उत्परिवर्तन लागू करें।

(xiv) धारा 245 वी में संशोधन करने का प्रस्ताव है, ताकि यह सूचित किया जा सके कि अधिसूचित तारीख के बाद उक्त धारा में कुछ भी शामिल नहीं होगा।

(xv) अग्रिम नियमों के लिए बोर्ड द्वारा सुनाए गए आदेश या निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए एक नया खंड 245डब्ल्यू डाला जाना प्रस्तावित है। यह अपील आवेदक के साथ-साथ विभाग द्वारा भी दायर की जा सकती है। इस तरह की अपील ऐसे निर्णय या आदेश के संचार की तारीख से साठ दिनों के भीतर दर्ज की जाएगी, इस तरह के रूप और तरीके में निर्धारित किया जा सकता है। हालाँकि, इस संबंध में किए गए एक आवेदन पर, जहां उच्च न्यायालय संतुष्ट है,

अपीलकर्ता को इस खंड में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील पेश करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, यह इस तरह की अपील दायर करने के लिए तीस दिनों की आगे की अवधि की अनुमति दे सकता है। । केंद्र सरकार को मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अपील दायर करने की योजना को अधिसूचित करने के लिए सशक्त बनाया जाएगा ताकि पैमाने और कार्यात्मक विशेषज्ञता की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से संसाधनों के उपयोग का अनुकूलन करके अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान की जा सके; गतिशील क्षेत्राधिकार के साथ एक प्रणाली शुरू करना। केंद्र सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा योजना को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए यह निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान ऐसे अपवादों, संशोधनों और अनुकूलन के साथ लागू नहीं होंगे या लागू नहीं होंगे, जो इसमें निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। हालांकि, मार्च, 2023 के 31वें दिन के बाद इस तरह का निर्देश जारी नहीं किया जाएगा। ऐसी सभी अधिसूचनाओं की जैसे ही अधिसूचना जारी होगी उसके बाद संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

(xvi) धारा 245 एन में आवेदक की परिभाषा में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और वित्त अधिनियम, 1994 का संदर्भ और धारा 650 में अग्रिम शासनादेश के लिए आवेदन से संबंधित प्रस्ताव को छोड़ दिया जाना प्रस्तावित है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे

[खंड 67 से 77]

<u>आय से बचने का आकलन और खोज आकलन</u>

अधिनियम के तहत, आय से बचने के आकलन से संबंधित प्रावधान प्रदान करते हैं कि यदि निर्धारण अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कर के लिए किसी भी आय प्रभार्य किसी भी आकलन वर्ष के लिए मूल्यांकन से बच गया है, तो वह अधिनियम की धारा 147 के तहत ऐसे वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके कुल आय का पुन: आकलन या पुनर्मूल्यांकन कर सकता है। हालाँकि, इस तरह की पुनरावृत्ति अधिनियम की धारा 149 में निर्धारित समय सीमा के अधीन है।

ऐसे मामलों में जहां खोज अधिनियम के 132 के तहत शुरू की गई है या खाते की किताबें, अन्य दस्तावेज या किसी संपत्ति को अधिनियम की धारा 132 ए के तहत अपेक्षित है, आकलन निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के मामले में किया जाता है, ऐसे अधिनियम की धारा 153 ए, 153 बी, 153 सी और 153 डी के विशेष प्रावधान के अनुरूप ऐसे मामलों को विशिष्टता से निपटाना है। ये प्रावधान वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा अधिनियम के अध्याय XIV-बी के तहत ब्लॉक मूल्यांकन को बदलने के लिए पेश किए गए थे। यह खोज मूल्यांकन के प्रारंभिक समाधान के अपने उद्देश्य में ब्लॉक मूल्यांकन की विफलता के कारण किया गया था। इसके अलावा, ब्लॉक मूल्यांकन से संबंधित प्रक्रियात्मक मुद्दे अत्यधिक मुकदमेबाजी साबित हो रहे थे। हालाँकि, इस प्रक्रिया के साथ अनुभव अलग नहीं रहा है। ब्लॉक मूल्यांकन के प्रावधानों की तरह, इन प्रावधानों के कारण भी कई मुकदमे हुए हैं।

प्रौद्योगिकी की प्रगति के कारण, विभाग अब अधिनियम की धारा 285बीए (वित्तीय लेनदेन या रिपोर्ट करने योग्य खाते का विवरण) के तहत तीसरे पक्ष से करदाताओं के लेनदेन से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी एकत्र कर रहा है। इसी तरह, अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों से भी जानकारी प्राप्त की जाती है। यह जानकारी करदाता के साथ अधिनियम की धारा 285बीबी के तहत वार्षिक सूचना विवरण के माध्यम से भी साझा की जाती है। विभाग इस जानकारी का उपयोग रिटर्न में एक करदाता द्वारा घोषित सूचनाओं को सत्यापित करने और गैर-फिल्मकारों या उन लोगों का पता लगाने के लिए करता है जिन्होंने कुल आय की राशि मात्रा का खुलासा नहीं किया है। इसलिए, मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन या आय से बचने का पुनर्मूल्यांकन मूल्यांकन, काफी हद तक, सूचना-संचालित है।

उपरोक्त के मद्देनजर, मूल्यांकन से बचने के लिए मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन या आय से भागने की गणना और खोज से संबंधित मामलों के मूल्यांकन की प्रणाली को पूरी तरह से सुधारने की आवश्यकता है।

विधेयक ऐसे मामलों के मूल्यांकन की पूरी तरह से नई प्रक्रिया प्रस्तावित करता है। यह उम्मीद की जाती है कि नई प्रणाली से मुकदमेबाजी कम होगी और करदाताओं को व्यापार करने में आसानी होगी क्योंकि समय सीमा में कमी होती है जिसके द्वारा मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन या पुन: गणना के लिए नोटिस जारी किया जा सकता है। नई प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: -

(i) अधिनियम की धारा 153 ए और धारा 153 सी के प्रावधानों को अधिनियम के धारा 132 के तहत शुरू किए गए केवल खोज के लिए लागू किया जाना प्रस्तावित है, या अधिनियम की धारा 132 ए के तहत अपेक्षित खातों, अन्य दस्तावेजों या किसी भी संपत्ति पर, या 31 मार्च 2021 से पहले।

(ii) उन मामलों में आकलन या पुनर्मूल्यांकन या पुन: अभिकलन जहां धारा 132 या आवश्यकता के तहत खोज शुरू की गई है, को 31 मार्च, 2021 को 132ए के तहत नयी प्रक्रिया में होगी।

(iii) धारा 147 का आकलन करने वाले अधिकारी को किसी भी आकलन वर्ष (जिसे प्रासंगिक निर्धारण वर्ष कहा जाता है) से बचने के लिए किसी भी आय से बचने के आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।

(iv) इस तरह के मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन से पहले, अधिनियम की धारा 148, के तहत एक नोटिस जारी करने की आवश्यकता होती है, जो केवल तब जारी किया जा सकता है जब मूल्यांकन अधिकारी के साथ जानकारी होती है जो यह बताता है कि कर के लिए आय प्रभार से बच गया है संबंधित आकलन वर्ष के लिए निर्धारिती के मामले में मूल्यांकन। निर्धारण अधिकारी द्वारा इस तरह के नोटिस जारी करने से पहले निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति भी आवश्यक है।

(v) यह प्रदान करने का प्रस्ताव है कि बोर्ड द्वारा तैयार की गई जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार संबंधित आकलन वर्ष के लिए निर्धारिती के मामले में किसी भी सूचना को हरी झंडी दिखाई गई है, जिसे ऐसी जानकारी के रूप में माना जाएगा जो आय कर के लिए कर योग्य है मूल्यांकन से बच गया है। कंप्यूटर आधारित प्रणाली द्वारा फ्लैगिंग काफी हद तक किया जाएगा।

(vi) इसके अलावा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा इस आशय का अंतिम आक्षेप लगाया गया है कि संबंधित आकलन वर्ष के लिए निर्धारिती के मामले में मूल्यांकन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जाएगा, जानकारी जो बताती है कि कर के लिए आय प्रभार्य मूल्यांकन से बच गया है।

(vii) आगे, खोज, सर्वेक्षण या अपेक्षित मामलों में 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद शुरू या किए गए, यह माना जाएगा कि मूल्यांकन अधिकारी के पास ऐसी जानकारी है जो यह बताती है कि कर के लिए आय प्रभार्य मामले में मूल्यांकन से बच गया है तीन आकलन वर्षों के लिए निर्धारित तुरंत पिछले वर्ष से संबंधित निर्धारण वर्ष से पहले जिसमें खोज शुरू की गई है या अपेक्षित है या किसी सामग्री को जब्त या अपेक्षित या सर्वेक्षण आयोजित किया गया है।

(viii) अधिनियम की नई धारा 148ए का प्रस्ताव है कि नोटिस जारी करने से पहले मूल्यांकन अधिकारी आवश्यक होने पर पूछताछ करेगा, और निर्धारित को सुनने का अवसर प्रदान करेगा। उनके जवाब पर विचार करने के बाद, मूल्यांकन कार्यालय एक आदेश पारित करके, यह तय करेगा कि क्या यह धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए एक उपयुक्त मामला है और इस तरह के आदेश की एक प्रति निर्धारिती पर इस तरह के नोटिस के साथ काम करता है। मूल्यांकन अधिकारी ऐसी किसी

भी पूछताछ का संचालन करने या निर्धारिती को अवसर प्रदान करने या इस तरह के आदेश को पारित करने से पहले निर्दिष्ट प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करेगा। हालांकि, अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने से पहले जांच, अवसर प्रदान करने और आदेश पारित करने की यह प्रक्रिया, खोज या अपेक्षित मामलों में लागू नहीं होगी।

(ix) अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने का समय सीमा अधिनियम की धारा 149 में प्रदान करने का प्रस्ताव है और निम्नानुसार है:

• सामान्य मामलों में, प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से तीन साल बीत जाने पर कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से तीन वर्ष की अवधि से परे नोटिस केवल कुछ विशिष्ट मामलों में ही लिया जा सकता है।

• ऐसे विशिष्ट मामलों में जहां निर्धारण अधिकारी के पास उनके कब्जे में साक्ष्य हैं, जो यह बताते हैं कि आय से बचने का आकलन, संपत्ति के रूप में प्रतिनिधित्व, राशि या पचास लाख रुपये या उससे अधिक की राशि होने की संभावना है, की अवधि से परे नोटिस जारी किया जा सकता है तीन वर्ष लेकिन संबंधित निर्धारण वर्ष के अंत से दस वर्ष की अवधि से परे नहीं;

• एक और प्रतिबंध प्रदान किया गया है कि अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस किसी भी मामले में प्रासंगिक आकलन वर्ष के लिए अप्रैल 2021 के पहले दिन या उससे पहले शुरू नहीं किया जा सकता है, अगर ऐसा नोटिस उस समय जारी नहीं किया जा सकता था। क्लॉज (बी) के प्रावधानों के तहत निर्धारित समय सीमा से परे होने के कारण, क्योंकि वे प्रस्तावित संशोधन से ठीक पहले आए थे।

• खोज या अपेक्षित मामलों में मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के बाद से (जहां इस तरह की खोज या आवश्यकता 31 मार्च, 2021 से पहले या उससे पहले शुरू या की गई है) धारा 153ए, 153बी, 153सी और 153डी के प्रावधान के अनुसार किया जाना है अधिनियम, पूर्वोक्त समय सीमा ऐसे मामलों पर लागू नहीं होगी।

• यह भी प्रस्तावित है कि धारा 148 नोटिस जारी करने के लिए सीमा की अवधि की गणना करने के लिए, निर्धारिती को सुनवाई या अवधि के अवसर प्रदान करने के लिए अनुमति देने का समय या विस्तारित समय जिसके दौरान धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने से पहले ऐसी कार्यवाही। किसी भी अदालत के आदेश या निषेध द्वारा रोक दिया जाता है, बाहर रखा जाएगा। यदि इस तरह की अवधि को छोड़कर, पासिंग ऑर्डर के लिए 148 नोटिस जारी करने के लिए किसी मामले की फिटनेस के बारे में उपलब्ध समय, सात दिनों से कम है, तो शेष समय को सात दिनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

(x) अधिनियम की धारा 148 ए के तहत पूछताछ, अवसर प्रदान करने, आदेश पारित करने और अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित प्रस्तावित हैं -

(क) प्रधान आयुक्त कमिश्नर या प्रधान निदेशक या आयुक्त या निदेशक, अगर तीन साल या तीन साल से कम समय के लिए संबंधित आकलन वर्ष के अंत से समाप्त हो गया है;

(ख) प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या जहां कोई प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक, मुख्य आयुक्त या महानिदेशक नहीं है, यदि संबंधित आकलन वर्ष के अंत से तीन वर्ष से अधिक समय बीत चुका है।

(xi) एक बार मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन या पुन: गणना शुरू हो जाने के बाद, निर्धारण अधिकारी को किसी भी मुद्दे के संबंध में आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार दिया जाता है, जो

मूल्यांकन से बच गया है और जो बाद में उनके ध्यान में आता है। इस प्रक्रिया के तहत कार्यवाही के बावजूद इस तरह की आय के लिए नोटिस जारी करने से पहले धारा 148 ए में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे।

[खंड 35 से 40 और 42-43]

धारा 142 की उप-धारा (1) के खंड (i) के तहत नोटिस जारी करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी को अनुमति देना

अधिनियम की धारा 142 मूल्यांकन से पहले जांच के संचालन का प्रावधान करती है। उक्त अनुभाग के उप खंड (1) के खंड (i) निर्धारण अधिकारी को एक निर्धारिती को नोटिस जारी करने का अधिकार देता है, जिसने आय का रिटर्न जमा नहीं किया है, और उसे रिटर्न जमा करने के लिए कहता है। यह कराधान गैर-फाइलरों की तह में लाने या उन फिल्मकारों को रोकने के लिए आवश्यक है जिनके पास आय में लेनदेन होता है। हालाँकि, यह शक्ति वर्तमान में केवल निर्धारण अधिकारी द्वारा ही मंगाया जा सकता है।

केंद्र सरकार अधिनियम के तहत सभी प्रक्रियाओं को बनाने की एक सचेत नीति का पालन कर रही है, जहां निर्धारिती के साथ भौतिक इंटरफ़ेस की आवश्यकता है, करदाता और विभाग के बीच व्यक्ति से व्यक्ति इंटरफ़ेस को समाप्त करके पूरी तरह से फेसलेस है। इस नीति के अनुरूप, और स्वचालित रूप से नोटिस आदि के केंद्रीकृत जारी करने को सक्षम करने के लिए, निर्धारित करने के लिए अनुभाग 142 के उप-खंड (1) के खंड (i) के प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव है। उक्त खण्ड के तहत नोटिस जारी करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी के अलावा आयकर प्राधिकरण।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा।

[खंड 33]

अधिकार क्षेत्र में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के समक्ष फेसलेस कार्यवाही का प्रावधान

मूल्यांकन प्रक्रिया, अपील प्रक्रिया और दंड प्रक्रिया के तहत अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करने के लिए अधिनियम के तहत एक नई फेसलेस मूल्यांकन योजना, फेसलेस अपील योजना और फेसलेस जुर्माना योजना पहले ही शुरू की जा चुकी है। इसके अलावा, वीडियोग्राफी कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों के आराम और संशोधन) अधिनियम, 2020 में केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत कई अन्य प्रक्रियाओं के संबंध में इसी तरह की योजनाओं को अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है जो करदाताओं के साथ एक भौतिक इंटरफ़ेस की आवश्यकता होती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिस्टम द्वारा मानव इंटरफ़ेस को कम करने के लिए विभाग द्वारा शुरू किए गए सुधार अगले स्तर तक पहुँच जाते हैं, यह आवश्यक है कि आईटीएटी कार्यवाही के लिए फेसलेस अपील योजना के रूप में एक समान योजना शुरू की जाए। इससे न केवल करदाताओं के अनुपालन की लागत कम होगी, अपीलों के निपटान में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि विभिन्न बेंचों में काम के वितरण को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग होगा।

इसलिए, अधिनियम की धारा 255 में नए उप-वर्गों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है ताकि केंद्र सरकार आईटीएटी द्वारा अपील के निपटान के प्रयोजनों के लिए एक योजना को अधिसूचित कर सके ताकि अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही के द्वारा प्रदान की जा सके।

(क) आईटीएटी और पार्टियों के बीच इंटरफेस को समाप्त करने के लिए कार्यवाही के दौरान अपील करने के लिए तकनीकी रूप से संभव है;

(ख) पैमाने और कार्यात्मक विशेषज्ञता की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से संसाधनों के उपयोग का अनुकूलन;

(ग) गतिशील क्षेत्राधिकार के साथ एक अपीलीय प्रणाली शुरू करना। आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करने के लिए प्रस्तावित उप-धारा के तहत बनाई गई योजना को प्रभावी करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार को सशक्त बनाने का भी प्रस्ताव है, यह निर्देश देने के लिए कि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान लागू नहीं होंगे या नहीं। अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जा सकने वाले ऐसे अपवादों, संशोधनों और अनुकूलन के साथ आवेदन करें। इस तरह के निर्देश 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले जारी किए जाने हैं। यह प्रस्तावित है कि अधिसूचना जारी होने के बाद जैसे ही मेरी अधिसूचना जारी हो, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगा।

[खंड 78]

<u>आयकर निपटान आयोग को बंद करना</u>

यह आयकर निपटान आयोग (आईटीएससी) को बंद करने और लंबित मामलों के लिए अंतरिम निपटान बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित विभिन्न संशोधन निम्नानुसार हैं:

• आईटीएससी 1 फरवरी, 2021 को या उसके बाद काम करना बंद कर देगा

• मामलों के निपटारे के लिए अधिनियम की धारा 245 सी के तहत कोई आवेदन 1 फरवरी, 2021 को या उसके बाद नहीं किया जाएगा;

• अधिनियम के धारा 245 सी के तहत दायर किए गए सभी आवेदन और अधिनियम की धारा 245 डी की उपधारा (2 सी) के तहत अवैध घोषित नहीं किए गए हैं और जिसके संबंध में अधिनियम की धारा 245 डी (4) के तहत कोई आदेश जारी किया गया था या उससे पहले 31 जनवरी, 2021 लंबित आवेदनों के रूप में माना जाएगा।

• एक आवेदन के संबंध में, एक आदेश, जिसे 31 जनवरी, 2021 को या उससे पहले अधिनियम की धारा 245 (2सी) के तहत आईटीएससी द्वारा पारित किया जाना आवश्यक था, एक आवेदन को अवैध घोषित करने के लिए, लेकिन ऐसा आदेश पारित नहीं किया गया है 31 जनवरी, 2021 को या उससे पहले, इस तरह के आवेदन को वैध माना जाएगा और लंबित आवेदन के रूप में माना जाएगा।

• केंद्र सरकार लंबित आवेदनों के निपटारे के लिए एक या एक से अधिक निपटान के लिए अंतरिम बोर्ड ऑफ सेटलमेंट (बाद में अंतरिम बोर्ड के रूप में संदर्भित) का गठन करेगी। प्रत्येक अंतरिम बोर्ड में तीन सदस्य शामिल होंगे, जिनमें से प्रत्येक मुख्य आयुक्त के पद के अधिकारी हो सकते हैं। प्रत्येक अंतरिम बोर्ड में तीन सदस्य शामिल होंगे, जिनमें से प्रत्येक मुख्य आयुक्त के पद के अधिकारी होंगे, जैसा कि बोर्ड द्वारा नामित किया जा

सकता है। यदि अंतरिम बोर्ड के सदस्य किसी भी बिंदु पर राय में भिन्न होते हैं, तो बहुमत के विचार के अनुसार बिंदु तय किया जाएगा।

• 1 फरवरी, 2021 से, आईटीएससी अर्थात द्वारा शक्तियों के प्रयोग या कार्यों के प्रदर्शन से संबंधित प्रावधान, अनंतिम लगाव, मामले पर विशेष अधिकार क्षेत्र, रिपोर्ट और निरीक्षण की शक्ति प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए लंबित आवेदनों के निपटान के लिए और उप-धारा में पारित सभी आदेशों के लिए आदेशों को सुधारने जैसे कार्यों के संबंध में अंतरिम बोर्ड में उत्परिवर्ती उत्परिवर्तन लागू करेगा, (4) अधिनियम की धारा 245 डी। हालाँकि, जहां अधिनियम के सेक्शन 245 (6 बी) के तहत किसी भी आदेश या संशोधन के आवेदन को संशोधित करने की समय-सीमा, सीमा की अवधि की गणना करने के लिए, 1 फरवरी, 2021 से शुरू होने वाली अवधि और 1 फरवरी, 2021 से समाप्त हो रही है। महीने का अंत जिसमें अंतरिम बोर्ड का गठन किया जाता है, को बाहर रखा जाएगा और शेष अवधि को साठ दिनों तक बढ़ाया जाएगा, अगर साठ दिनों से कम हो।

• एक लंबित आवेदन के संबंध में, निर्धारिती जिसने इस तरह का आवेदन दायर किया था, अपने विकल्प पर, वित्त अधिनियम, 2021 के प्रारंभ होने की तारीख से तीन महीने के भीतर इस तरह के आवेदन को वापस ले सकता है और निर्धारित अधिकारी को सूचित कर सकता है। तरीके, इस तरह की वापसी के बारे में।

• जहां निर्धारित समय के भीतर आवेदन वापस लेने का विकल्प निर्धारिती द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है, लंबित आवेदन को अंतरिम बोर्ड द्वारा उस तारीख को प्राप्त किया गया माना जाएगा जिस दिन इस तरह का आवेदन आवंटित किया जाता है या अंतरिम बोर्ड को हस्तांतरित किया जाता है।

• बोर्ड, एक आदेश द्वारा, किसी भी अंतरिम बोर्ड को किसी भी लंबित आवेदन को आवंटित कर सकता है और एक आदेश से, एक अंतरिम बोर्ड से दूसरे अंतरिम बोर्ड में किसी भी लंबित आवेदन को स्थानांतरित कर सकता है।

• जहां लंबित आवेदन एक अंतरिम बोर्ड को आवंटित किया जाता है या बाद में किसी अन्य अंतरिम बोर्ड को हस्तांतरित किया जाता है, सभी रिकॉर्ड, दस्तावेज या साक्ष्य, जो कुछ भी नाम के साथ, आईटीएससी के साथ ऐसे अंतरिम बोर्ड को हस्तांतरित किया जाएगा और रिकॉर्ड माना जाएगा सभी उद्देश्यों के लिए इससे पहले।

• जहां निर्धारिती अपने आवेदन को वापस लेने के लिए विकल्प का प्रयोग करता है, आवेदन के संबंध में कार्यवाही उस तिथि को समाप्त हो जाएगी जिस दिन ऐसा आवेदन वापस ले लिया गया हो और मूल्यांकन अधिकारी, या, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य आयकर अधिकारी से पहले जिनके द्वारा आवेदन करने के समय कार्यवाही लंबित थी, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मामले का निपटान करेंगे जैसे कि अधिनियम की धारा 245 सी के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया था। हालांकि, धारा 149, 153, 153 बी, 154 और 155 के तहत समय-सीमा के प्रयोजनों के लिए और धारा 243 या 244 के तहत ब्याज के भुगतान के प्रयोजनों के लिए या, जैसा कि मामला हो सकता है, धारा 244 ए, मूल्यांकन करने के लिए या। पुनर्मूल्यांकन, अधिनियम की धारा 245 सी के तहत आवेदन की तारीख से और आईटीएससी के लिए शुरू होने की अवधि, जिस तारीख को आवेदन वापस लिया जाता है, उसके साथ समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा, आयकर प्राधिकारी को आईटीएससी के समक्ष निर्धारिती द्वारा उत्पादित सामग्री और अन्य सूचनाओं का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा या इससे पहले की कार्यवाही के दौरान आयोजित आईटीएससी द्वारा दर्ज की गई पूछताछ या साक्ष्य के परिणाम या सबूत। हालाँकि, यह प्रतिबंध एकत्र की गई सामग्री और अन्य जानकारी के संबंध में या मूल्यांकन अधिकारी द्वारा दर्ज की गई पूछताछ या साक्ष्य के परिणाम पर लागू नहीं होगा, या, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य के दौरान अन्य आयकर प्राधिकरण। इस अधिनियम के अधीन होने के बावजूद कि इस तरह की सामग्री या अन्य जानकारी या जाँच या साक्ष्य के परिणाम भी आईटीएससी से पहले निर्धारिती या मूल्यांकन अधिकारी द्वारा निर्मित किए गए थे।

• अंतरिम बोर्ड द्वारा लंबित आवेदनों के संबंध में निपटान के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा योजना बना सकती है, ताकि अंतरिम बोर्ड के बीच के इंटरफेस को समाप्त करके अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान की जा सके। तकनीकी रूप से संभव हद तक कार्यवाही के दौरान निर्धारिती; पैमाने और कार्यात्मक विशेषज्ञता की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से संसाधनों के उपयोग का अनुकूलन; और गतिशील अधिकार क्षेत्र के साथ एक तंत्र शुरू करना। केंद्र सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उक्त योजना को प्रभावी बनाने के प्रयोजनों के लिए यह निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम का कोई भी प्रावधान ऐसे अपवादों, संशोधनों और अनुकूलन के साथ लागू नहीं होगा या लागू नहीं होगा जो इसमें निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। अधिसूचना। हालाँकि, 31 मार्च, 2023 के बाद इस तरह का कोई निर्देश जारी नहीं किया जाएगा। अधिसूचना जारी होने के बाद हो सकता है कि इस तरह का हर नोटिफिकेशन संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाए।

ये संशोधन 1 फरवरी, 2021 से प्रभावी होंगे।

[खंड 54 से 65]

<u>मूल्यांकन पूरा करने के लिए समय सीमा में कटौती</u>

अधिनियम की धारा 153 में मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन और अधिनियम के तहत पुन: गणना के लिए समय-सीमा के संबंध में प्रावधान हैं। उक्त खंड का उप-खंड (1) प्रदान करता है कि अधिनियम की धारा 143 या 144 के तहत मूल्यांकन आदेश पारित करने की समय-सीमा उस आकलन वर्ष के अंत से 21 महीने होगी जिसमें आय का पहली बार आकलन किया गया था। हालांकि, इस समय सीमा को पहले अधिनियम की प्रक्रियाओं के कम्प्यूटरीकरण के लिए प्रभाव देने के लिए विभाग की प्रभावकारिता और दक्षता में सुधार करने के लिए बंद कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 143 या 144 के तहत मूल्यांकन की कार्यवाही पूरी करने की समय सीमा 18 वर्ष घटाकर निर्धारण वर्ष 2018-19 और 12 महीनों के लिए निर्धारित वर्ष 2019-20 और बाद के मूल्यांकन वर्षों में वित्त अधिनियम, 2017 को रद्द कर दिया गया।

तब से, मूल्यांकन प्रक्रिया को फेसलेस असेसमेंट स्कीम, 2019 की शुरूआत से पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। मूल्यांकन प्रक्रिया अब पूरी तरह से सामान्य और अधिकार-क्षेत्र में संचालित की जाती है, जहां सभी आंतरिक और बाहरी संचार इलेक्ट्रॉनिक और अलग-अलग पहलुओं से किए जाते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया जैसे सत्यापन, खातों की पुस्तकों की जांच आदि विभिन्न इकाइयों द्वारा की जाती है। करदाता और विभाग के बीच व्यक्ति-से-व्यक्ति इंटरफ़ेस को समाप्त कर दिया गया है। गतिशील क्षेत्राधिकार के आकलन के लिए यह टीम-आधारित दृष्टिकोण तकनीकी रूप से प्रेरित और बहुत कुशल है। इस प्रकार, मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक समय को और कम करने की आवश्यकता है।

छानबीन की कार्यवाही के लिए कम समय अवधि के लाभ कई गुना हैं। एक ओर, यह उन करदाताओं पर अनुपालन बोझ को कम करता है, जो हाल के एक वर्ष से संबंधित मामलों की व्याख्या करना आसान समझते हैं, जो व्यवसाय करने में आसानी में सुधार करते हैं। दूसरी ओर, यह राजस्व के किसी भी क्षरण का पता लगाने और उसे लाने के लिए विभाग की क्षमता को बढ़ाता है क्योंकि कर चोरी की घटनाएं कम समय में विभाग के ध्यान में आती हैं।

इसलिए, यह प्रस्तावित किया गया है कि मूल्यांकन की कार्यवाही पूरी करने की समय सीमा को तीन महीने और कम किया जा सकता है। इस प्रकार मूल्यांकन के पूरा होने का समय निर्धारण वर्ष के अंत से नौ महीने

होने का प्रस्ताव है, जो कि पहले आकलन वर्ष 2021-22 और उसके बाद के मूल्यांकन वर्षों के लिए आय का आकलन करने योग्य था।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा

[खण्ड 41]

<u>आवेदन या संचय की गणना करते समय दोहरे कटौती की संभावना को समाप्त करने के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थानों के प्रावधान का युक्तिकरण</u>

धार्मिक या धर्मार्थ गतिविधियों को करने के लिए धन, संस्थानों, ट्रस्टों आदि को छूट अधिनियम की धारा 10 और धारा 11 और 12 के खंड (23सी) के तहत प्रदान की जाती है। अधिनियम की धारा 12ए, *अन्य बातों के साथ,* धारा 11 और 12 के तहत छूट का दावा करने के लिए ट्रस्ट या संस्था के पंजीकरण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। धारा 12एबी नया अनुभाग है जो 1 अप्रैल, 2021 से लागू होता है।

आयकर अधिनियम, 1961 के मौजूदा प्रावधानों के तहत, ट्रस्टों, संस्थानों, फंडों आदि द्वारा प्राप्त कॉर्पस दान इस प्रकार हैं:

क) धारा 10 के खंड (23 सी) के तीसरे प्रावधान के स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि धन या ट्रस्ट या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या किसी अन्य चिकित्सा संस्थान की आय, स्वैच्छिक रूप से की गई आय को शामिल नहीं करेगी। एक विशिष्ट दिशा के साथ कि वे संग्रह का हिस्सा बनेंगे।

ख) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (डी) में यह प्रावधान है कि स्वैच्छिक योगदान एक विशिष्ट दिशा के साथ है जो वे ट्रस्ट या संस्था के कोष का हिस्सा बनाएंगे जो ट्रस्ट की कुल आय में शामिल नहीं होंगे या संस्थान।

इन संस्थाओं को उनकी आय का 15% से अधिक संचय करने या 5 वर्षों तक विशिष्ट उद्देश्य के लिए संचय करने की अनुमति नहीं है, ऊपर निर्दिष्ट कॉर्पस दान के अलावा अन्य। नोटिस में आया है कि ये संस्थाएं संग्रह दान को छूट देने का दावा करती हैं और उसी समय ऐसे संग्रह के अलावा अन्य आय से अनिवार्य 85% आवेदन के हिस्से के रूप में उनके आवेदन का दावा करें। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां संग्रह आय को छूट दी गई है और इसके आवेदन को गैर-कॉर्पस आय के अनिवार्य 85% आवेदन के खिलाफ आवेदन के रूप में दावा किया गया है।

ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं जहां ये संस्थाएं ऋण या उधार लेती हैं और ऋण और उधार की आय से बाहर धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए आवेदन करती हैं। ऐसे ऋण या उधार जब चुकाए जाते हैं, फिर से आवेदन के रूप में दावा किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप अनपेक्षित डबल कटौती होती है।

इन दोनों स्थितियों में, कई बार कागजी नुकसान भी होता है, जो कि निर्धारिती द्वारा दावा किया जाता है क्योंकि आगे के वर्षों में अनपेक्षित लघु अनुप्रयोग (85% से कम) के परिणामस्वरूप आगे ले जाते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदन या संचय की गणना करते समय कोई दोहरी गिनती नहीं है, यह प्रस्तावित किया गया है कि-

क) एक विशिष्ट दिशा के साथ किए गए स्वैच्छिक योगदान जो कि संग्रह का हिस्सा बनेगा या निवेश किया जाएगा या एक या एक से अधिक रूपों में जमा किया जा सकता है, जो कि धारा 11 के उप-भाग (5) में निर्दिष्ट हैं या ऐसे संग्रह के लिए विशेष रूप से बनाए रखा गया है।

ख) कोष से बाहर के आवेदन को धारा 11 के तीसरे अनंतिम (23) और खंड (क) और (ख) के प्रावधानों के लिए धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए आवेदन के रूप में नहीं माना जाएगा। , धारा 11 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट एक या एक से अधिक रूपों या मोडों में, विशेष रूप से पिछले वर्ष की आय से ऐसे कॉर्पस के लिए बनाए रखा जाता है, ऐसी राशि को पिछले वर्ष में आवेदन के रूप में अनुमति दी जाएगी जिसमें इसे जमा किया जाता है। इस तरह के संग्रह या निवेश की सीमा तक संग्रह में वापस।

ग) ऋण और उधार से आवेदन को धारा 11 के तीसरे अनंतिम (23) और खंड (क) और (ख) के प्रावधानों के लिए धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए आवेदन नहीं माना जाएगा। हालाँकि, जब ऋण या उधार चुकाया जाता है पिछले वर्ष की आय से, इस तरह के पुनर्भुगतान को पिछले वर्ष के आवेदन के रूप में अनुमति दी जाएगी जिसमें यह इस तरह के पुनर्भुगतान की सीमा तक चुकाया जाता है।

घ) धारा 10 और धारा 11 के खंड (23 सी) दोनों में स्पष्ट करें कि आय की गणना के लिए पिछले वर्ष के दौरान लागू होने या संचित होने की आवश्यकता है, किसी भी वर्ष के किसी भी आवेदन के लिए कोई निर्धारित या कटौती या भत्ता निर्धारित नहीं है। पिछले वर्ष की अनुमति दी जाएगी

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-23 और उसके बाद के निर्धारण वर्षों पर लागू होंगे।

[खंड 5 और 6]

<u>उच्च प्रीमियम यूनिल लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी (यूएलआईपी) की आय का कराधान</u>

अधिनियम की धारा 10 का खंड (10डी) एक जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त राशि के लिए छूट प्रदान करता है, जिसमें इस तरह की पॉलिसी पर बोनस के माध्यम से आवंटित राशि शामिल है, जिसमें शर्तों के दौरान किसी भी वर्ष के लिए देय प्रीमियम पॉलिसी वास्तविक पूंजीगत बीमित राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होती है।

अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत, पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा वार्षिक प्रीमियम की राशि पर कोई कैप नहीं है। उदाहरणों से पता चला है कि जहां उच्च निवल मूल्य के व्यक्ति भारी प्रीमियम के साथ यूएलआईपी में निवेश करके इस क्लॉज के तहत छूट का दावा कर रहे हैं। भारी प्रीमियम के साथ पॉलिसी / पॉलिसियों में इस तरह की छूट देने से इस क्लॉज का विधायी इरादा खत्म हो जाता है। इरादा जीवन बीमा के छोटे और वास्तविक मामलों में लाभ प्रदान करना था। इसलिए, इसका पालन करने का प्रस्ताव है:

(i) यूलिप को एक जीवन बीमा पॉलिसी के रूप में परिभाषित करने के लिए अधिनियम की धारा 10 के खंड (10घ) में स्पष्टीकरण 3 को सम्मिलित करें, जिसमें निवेश और बीमा दोनों के घटक हैं और एक इकाई से जुड़ा हुआ है जैसा कि विनियमन के खंड (ङङ) में परिभाषित किया गया है (3) इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स) रेगुलेशन, 2019 ने जुलाई, 2019 के 8 वें दिन दिनांकित किया।

(ii) अधिनियम की धारा 10 के खंड (10घ) में चौथा प्रोविज़ो डालें ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि इस क्लाज़ के तहत छूट 1 फरवरी, 2021 को या उसके बाद जारी किए गए किसी भी नियम के संबंध में लागू नहीं होगी, यदि प्रीमियम में से किसी के लिए देय राशि पॉलिसी की अवधि के दौरान पिछला वर्ष दो लाख और पचास हजार रुपये से अधिक है।

(iii) इस क्लॉज में पाँचवा परंतुक डालें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक से अधिक यूलिप के लिए प्रीमियम देय हो, 01 फरवरी, 2021 के बाद या उसके बाद जारी किया गया हो, तो इस क्लॉज के तहत छूट केवल ऐसी पॉलिसियों के संबंध में उपलब्ध होगी, जो कुल प्रीमियम जमा करती हैं। जिसमें पॉलिसी की अवधि के दौरान पिछले दो वर्षों के लिए दो लाख पचास हजार रुपये की राशि से अधिक नहीं है।

(iv) इस खंड में छठा प्रावधान डालें, ताकि चौथे और पाँचवें नियम के प्रावधान किसी व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त राशि पर लागू न हों।

(v) सीबीडीटी को इस क्लॉज में सातवीं प्रोविजनली सम्मिलित करें ताकि कठिनाई को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ दिशा-निर्देश जारी कर सकें और बोर्ड द्वारा जारी प्रत्येक दिशानिर्देश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जा सके और इसे आयकर अधिकारियों के लिए बाध्यकारी बनाया जा सके। और निर्धारिती।

(vi) प्रदान करता है कि एक यूलिप [जिसे अधिनियम की धारा 10 के खंड (10डी) के तहत छूट चौथे और पांचवें अनंतिम की प्रयोज्यता पर लागू नहीं होती है] धारा 2 के खंड 2 के तहत एक पूंजीगत संपत्ति है (14) अधिनियम।

(vii) यूलिप के विमोचन से लाभ और लाभ के विचाराधीन कराधान के लिए प्रदान करते हैं [जिसके लिए अधिनियम की धारा 10 के खंड (10डी) के तहत छूट चौथे और पांचवें अनंतिमता की पूंजीगत लाभ के रूप में लागू नहीं होती है। धारा 45 में नई उपधारा (1 बी) डालकर और ऐसे पूंजीगत लाभ की गणना के लिए नियमों को निर्धारित करने की शक्ति लेने के लिए।

(viii) ऐसे यूलिप शामिल करें, जिनसे अधिनियम की धारा 10 के खंड (10डी) के तहत छूट चौथे और पांचवें अनंतिम की प्रयोज्यता पर लागू नहीं होती है] धारा 112 ए में इक्विटी उन्मुख निधि की परिभाषा में ताकि उन्हें इक्विटी ओरिएंटेड फंड की इकाई के समान उपचार। इस प्रकार धारा 111ए और 112ए के प्रावधान ऐसे यूलिप की बिक्री / मोचन पर लागू होंगे।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और उसके बाद के निर्धारण वर्षों पर लागू होंगे।

[खंड 3, 5, 14 और 29]

01 फरवरी, 2021 को या उसके बाद बीमा कंपनी द्वारा जारी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी के संबंध में परिपक्वता या आंशिक निकासी पर सुरक्षा लेनदेन कर लागू करने के लिए वित्त (सं.2) अधिनियम, 2004 में परिणामी संशोधन भी प्रस्तावित किया गया है। अधिनियम की धारा 10 की (10डी) चौथे और पांचवें परंतुक की प्रयोज्यता पर लागू नहीं होती है]

यह संशोधन 1 फरवरी, 2021 से प्रभावी होगा।

[खंड 154 से 158]

मंद बिक्री के उपबंध का यौक्तिकीरण

अधिनियम की धारा 50 बी में कम बिक्री की स्थिति में पूंजीगत लाभ की गणना के लिए विशेष उपबंध हैं। अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (42 सी) "मंद बिक्री" को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है ऐसे मामलों में व्यक्तिगत आस्तियों और देनदारियों को सौंपे बिना एकमुश्त विचार के लिए बिक्री के परिणामस्वरूप एक या अधिक उपक्रमों का हस्तांतरण। इसकी व्याख्या कुछ न्यायालयों द्वारा की गई है कि अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (47) में सूचीबद्ध हस्तांतरण के अन्य साधन जो शब्द "अंतरण की परिभाषा" के रूप में पूंजीगत परिसंपत्ति जैसे विनिमय, त्याग करने आदि के संबंध में है, को बाहर रखा गया है। ।

बिक्री के परिणामस्वरूप स्थानांतरण पर चर्चा करते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह लेन-देन की बात है जो लेनदेन के पक्षों द्वारा को दिए गए नाम से अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, लेन-देन के लिए पक्षों द्वारा "बिक्री" का एक लेन-देन "विनिमय" के रूप में प्रच्छन्न हो सकता है, लेकिन इस तरह के लेनदेन को पहले से ही मंदी की परिभाषा के तहत कवर किया जा सकता है क्योंकि यह आज इस आधार पर मौजूद है कि यह हस्तांतरण विनिमय के माध्यम से नहीं बिक्री के माध्यम से है। यह सिद्धांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीआईटी बनाम आर. आर. रामकृष्ण पिल्लई [(1967) 66 आईटीआर 725 एससी] में निर्दिष्ट किया गया था। इस प्रकार, यदि किसी संपत्ति का हस्तांतरण किसी अन्य आस्ति (गैर-मौद्रिक) के बदले में है, तो इसे ऐसी स्थिति में मुद्रीकृत कहा जा सकता है, जहां अंतरित की गई संपत्ति के प्रतिफल का निर्धारण किया जाता है और फिर गैर-मौद्रिक संपत्ति के माध्यम निपटान किया जाता है । इस स्थिति में यह बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण का मामला होगा और इस प्रकार यह अधिनियम की धारा 50 सी के मौजूदा प्रावधानों के भीतर शामिल किया जाएगा। इस सिद्धांत के आधार पर, आर्टेक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी [(1997), 227 आईटीआर 260] के मामले में माननीय एससी ने कहा कि एकमुश्त गैर-मौद्रिक प्रतिफल के लिए चालू कंपनी की बिक्री, बिक्री के माध्यम से स्थानांतरण इस आधार पर किया गया था कि मंदी की कीमत का निर्धारण मदवार परिसंपत्तियों के आधार पर किया गया था, हालांकि समझौते में इस मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया था। इसी प्रकार, धामपुर चीनी मिलों के मामले में माननीय एससी [(2006) 147 एसटीसी 57] ने एक डीलर के मामले पर विचार किया जो लाइसेंस शुल्क की एक स्वीकृत राशि और संतुष्टि में लंबी अवधि के लिए एक चीनी मिल को लीज पर लेता था, इसलिए डीलर चीनी मिल के मालिक को गुड़ की पूरी मात्रा देने की आवश्यकता थी। यह माना जाता था कि उक्त लेन-देन "प्रभाव और वास्तव में" मौद्रिक प्रतिफल से गुजर रहा था और तदनुसार उव पर लगाना देय था।

इस प्रकार, एक हस्तांतरण जो "प्रभाव और वास्तव में" बिक्री के माध्यम से होता है, वर्तमान में विभिन्न न्यायालयों द्वारा व्याख्या किए गए अधिनियम की धारा 50 सी के तहत मंद बिक्री की परिभाषा में शामिल है। हालांकि, यह अभी भी देखा जाता है कि इस उपबंध की मंशा को विफल करने के लिए कर परिहार योजनाएं तैयार की जाती हैं और न्यायालय अधिनियम के 50 सी की धारा के लेनदेन और उद्देश्य के वास्तविक तत्व को खोजने के लिए हमेशा हस्तक्षेप कर सकते हैं। मंशा स्पष्ट करने के लिए, अधिनियम की धारा 2 के खंड (42सी) के उपबंध में संशोधन करके शब्द "मंद बिक्री" की परिभाषा के दायरे में संशोधन करना प्रस्तावित है ताकि सभी प्रकार के "हस्तांतरण" को परिभाषित किया जा सके। अधिनियम की धारा 2 के खंड (47) में इसके दायरे में शामिल है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और उसके बाद के निर्धारण वर्षों पर लागू होगा।

[खंड 3]

विघटन या पुनर्गठन पर भागीदार को पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण के उपबंध का यौक्तिकीकरण

अधिनियम में *अन्य के साथ-साथ* धारा 45 के मौजूदा उपबंधों में यह प्रावधान है कि पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला कोई भी लाभ या मुनाफा, पूंजीगत लाभ के तहत आयकर पर देय होगा और इसे पिछले वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें ऐसा स्थानांतरण होता है। इसके अलावा, शीर्ष धारा की उप-धारा (4), यह बताता है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ या निकाय के विघटन पर पूंजीगत परिसंपत्तियों के वितरण के माध्यम से पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न लाभ या मुनाफा (एक कंपनी या सहकारी समिति न होते हुए) या अन्यथा, ऐसी फर्म या पिछले वर्ष के व्यष्टियों के निकाय के अन्य संघों की आयकर के रूप में कर योग्य होगा, जिस वर्ष उक्त स्थानांतरण होता है। इसके अलावा, ऐसे हस्तांतरण की तिथि पर परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य धारा 48 के प्रयोजनों के लिए प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा।

इस संबंध में, यह देखा गया है कि ऐसी स्थिति जहां परिसंपत्ति के लिए पूर्वोक्त उपधारा के अनुबंधों की प्रयोज्यता के बारे में अनिश्चितता है, जहां आस्तियां पुनर्मूल्यांकित की जाती हैं अथवा स्वसृजित आस्तियां लेखा बहियों में दर्ज की जाती है और भुगतान उस भागीदार अथवा सदस्य को किया जाता है जिसके पास राशि उसके द्वारा किए गए पूंजी अंशदान से अधिक है।

इसलिए, इस अधिनियम की धारा 45 के मौजूदा उप-खंड (4) को एक नए उप-खंड (4) के साथ स्थानापन्न करने का प्रस्ताव है और इस खंड में एक नया उप-खंड (4 ए) भी शामिल करें।

अधिनियम की धारा 45 की नई प्रस्तावित उप-धारा (4) उस मामले में लागू होती है जहां एक निर्दिष्ट व्यक्ति जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी पूंजीगत परिसंपत्ति को निर्दिष्ट इकाई के विघटन या पुनर्गठन के समय प्राप्त करता है। पूंजी परिसंपत्ति अपने विघटन या पुनर्गठन के समय निर्दिष्ट इकाई की पुस्तकों में ऐसे निर्दिष्ट व्यक्ति के पूंजी खाते में शेष राशि का प्रतिनिधित्व करती है। इस स्थिति में, निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा इस तरह की पूंजीगत संपत्ति की प्राप्ति से उत्पन्न लाभ और मुनाफा, आयकर के रूप में "पूंजीगत लाभ" के तहत निर्दिष्ट निकाय की आय के लिए प्रभार्य होंगे और उन्हें इस तरह की आय माना जाएगा जो पिछले वर्ष की निर्दिष्ट इकाई जिसमें निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा पूंजीगत संपत्ति प्राप्त की गई थी। अधिनियम की धारा 48 के प्रयोजनों के लिए, इस तरह की प्राप्ति की तारीख पर पूंजीगत संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्राप्त होने वाले प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा। किसी भी संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन या स्व-निर्मित साख के कारण या कोई अन्य स्व-जनित संपत्ति अथवा निर्दिष्ट व्यक्ति के पूंजी खाते में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट इकाई के बहीखाते में निर्दिष्ट व्यक्ति के पूंजी खाते में शेष राशि की गणना की जानी है।

अधिनियम की धारा 45 की नई प्रस्तावित धारा उप-धारा (4 ए) उस मामले में लागू होती है जहां एक निर्दिष्ट व्यक्ति पिछले वर्ष के दौरान किसी भी धन या अन्य संपत्ति को निर्दिष्ट इकाई के विघटन या पुनर्गठन के समय प्राप्त करता है। इसके विघटन या पुनर्गठन के समय निर्दिष्ट इकाई के बहीखातों में ऐसे निर्दिष्ट व्यक्ति के पूंजी खाते में शेष राशि से अधिक धन या अन्य संपत्ति होना आवश्यक है। इस स्थिति में, निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा इस तरह के धन या अन्य संपत्ति की प्राप्ति से उत्पन्न लाभ या मुनाफे के लिए "पूंजीगत लाभ" के तहत निर्दिष्ट निकाय की आय के रूप में कर योग्य होगा और आय माना जाएगा जो पिछले वर्ष की ऐसी निर्दिष्ट इकाई जिसमें निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा धन या अन्य संपत्ति प्राप्त की गई थी। अधिनियम की धारा 48 के प्रयोजनों के लिए,

- ऐसी प्राप्ति की तारीख को धन या अन्य परिसंपत्ति के उचित बाजार मूल्य को पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्राप्त होने वाले विचार का पूर्ण मूल्य माना जाएगा; तथा

- विघटन या पुनर्गठन के समय निर्दिष्ट इकाई के बहीखातों में निर्दिष्ट व्यक्ति के पूंजी खाते में शेष राशि को अधिग्रहण की लागत माना जाएगा।

किसी भी संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन या स्व-निर्मित साख या अन्य कोई स्व अर्जित परिसंपत्ति के कारण या निर्दिष्ट व्यक्ति के पूंजी खाते में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट इकाई के बहीखाते में निर्दिष्ट व्यक्ति के पूंजी खाते में शेष राशि की गणना की जानी है।

इन दो उप-वर्गों के प्रयोजनों के लिए, -

• निर्दिष्ट व्यक्ति "को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाना है जो किसी भी पिछले वर्ष में; किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकायों के अन्य संघों (किसी कंपनी या सहकारी समिति का सदस्य नहीं) के किसी फर्म या सदस्य का भागीदार हो।

• "निर्दिष्ट इकाई" को व्यक्तियों या व्यक्तियों के निकाय या कंपनी (सहकारी कंपनी या सहकारी समिति नहीं) के रूप में परिभाषित किया जाना प्रस्तावित है;

• "स्व-सृजित साख" और "स्व-अर्जित संपत्ति" को साख या संपत्ति के रूप में परिभाषित किया जाना प्रस्तावित है, जैसा कि मामला हो सकता है, जिसे खरीद के लिए किसी भी लागत के बिना प्राप्त किया गया है या जो कि व्यवसाय या पेशे के दौरान उत्पन्न हुई है।

अधिनियम के खंड 48 में परिणामी संशोधन भी प्रस्तावित किया गया है ताकि यह निर्दिष्ट किया जा सके कि निर्दिष्ट इकाई के मामले में, धारा 45 की उपधारा (4 ए) के तहत ऐसी निर्दिष्ट इकाई की कुल आय में शामिल राशि, जो पूंजीगत परिसंपत्ति को हस्तांतरित की जा रही है, को "पूंजीगत लाभ" के तहत अर्जित आय की गणना करने के लिए विचार के पूर्ण मूल्य से कम किया जाएगा। यह बाद में निर्धारित किए जाने वाले तरीके से गणना की जानी है। यह दोहरे कराधान को कम करने के लिए है जो कदाचित हो चुका हो लेकिन इस उपबंध के लिए ऐसी स्थिति में जहां एक परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया गया था और जिसके लिए अधिनियम की धारा 45 के प्रस्तावित उप-धारा (4 ए) के तहत आय को कर में लाया गया था, बाद में निर्दिष्ट संस्था द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और बाद के निर्धारण वर्षों पर लागू होंगे।

[खंड 14 और 16]

<u>नकली बीजक मामलों में अनंतिम अधिहरण</u>

अधिनियम की धारा 281बी में ऐसे उपबंध हैं, जो यह प्रावधान करते हैं कि मूल्यांकन अधिकारी के आकलन या पुनर्मूल्यांकन के मामलों में, राजस्व के हितों की रक्षा के लिए, यदि आवश्यक हो, तो निर्धारिती की किसी भी संपत्ति का अस्थायी रूप से जब्त किया जा सकता है। यह केवल आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त या पीआर महानिदेशक या मुख्य आयुक्त या महानिदेशक या प्रधान आयुक्त या प्रधान निदेशक या आयुक्त या निदेशक, के पूर्व अनुमोदन से किया जा सकता है। ऐसा अनंतिम अधिहरण 6 महीने की अवधि के लिए वैध है। इसके अलावा, उक्त खंड निर्धारिती को अनंतिम अधिहरण के निरसन के लिए संलग्न संपत्ति के मूल्य की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। यदि निर्धारिती समय पर अपनी कर मांग का भुगतान करने में विफल रहता है तो उपरोक्त बैंक गारंटी को लागू किया जाएगा। इस अनुभाग के तहत शक्तियों का निर्धारण अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 271 एएडी को वित्त अधिनियम, 2020 के तहत किसी व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति पर जुर्माना लगाने के लिए डाला गया था, जो ऐसे व्यक्ति को गलत प्रविष्टि करने या उसके बही खातों की पुस्तकों से प्रविष्टि का लोप करने का कारण बनता है। यह दुरुपयोग (-) रोधी उपबंध है। इस तरह के दंड की कार्यवाही शुरू

करने पर, यह अत्यधिक संभावना है कि करदाता इस तरह का जुर्माना यदि लगाया गया है के भुगतान की वंचना भी कर सकता है। इसलिए, राजस्व के हितों की रक्षा के लिए, धारा 271 एएडी के तहत जुर्माना लगाने की कार्यवाही के लिए इस धारा के तहत शक्तियों का उपयोग करने के लिए यदि जुर्माना की मात्रा की राशि या कुल दो करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है तो मूल्यांकन अधिकारी को सक्षम करने के लिए अधिनियम की धारा 281बी के प्रावधान में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा।

[खंड 79]

<u>समकरण उद्ग्रहणों के उपबंधों का यौक्तिकीकरण</u>

वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 165ए के तहत, वित्त अधिनियम, 2020 की धारा 153 द्वारा सम्मिलित किए जाने पर, ई-कॉमर्स आपूर्ति या सेवाओं से ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा प्राप्त या प्राप्त या प्राप्त की गई प्रतिफल की राशि, इसके द्वारा प्रदान की गई राशि पर समान उद्ग्रहण दो प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा।

(i) भारत में रहने वाले व्यक्ति को; या

(ii) उप-धारा (3) में निर्दिष्ट निर्दिष्ट परिस्थितियों में एक अनिवासी व्यक्ति को; या

(iii) भारत में स्थित इंटरनेट प्रोटोकॉल पते का उपयोग करके ऐसे सामान या सेवाओं या दोनों के क्रेता को।

इस प्रयोजन के लिए, ई-कॉमर्स आपूर्ति या सेवा को परिभाषित किया गया है: -

(i) ई-कॉमर्स ऑपरेटर के स्वामित्व वाले माल की ऑनलाइन बिक्री;

(ii) ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का ऑनलाइन प्रावधान;

(iii) ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा सुगम माल या सेवाओं या दोनों की ऑनलाइन बिक्री; या

(iv) खंड (i), (ii) या खंड (iii) में सूचीबद्ध गतिविधियों का कोई संयोजन;

अधिनियम की धारा 10 का खंड (50) उस तारीख के बाद या उसके बाद प्रदान की गई किसी निर्दिष्ट सेवा से उत्पन्न होने वाली आय के लिए छूट प्रदान करता है, जिस पर 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद उस अध्याय के तहत समकरण उद्ग्रहण के लिए उसके बाद वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय VIII के प्रावधान लागू होते हैं या किसी ई वाणिज्य आपूर्ति या सेवाओं को बनाया या प्रदान किया गया या सुविधा प्रदान की गई से उत्पन्न होते हैं।

यह देखा जाता है कि इस लेवी से संबंधित विभिन्न उपबंधों की मंशा को सही ढंग से दर्शाने के लिए कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इसलिए, वित्त अधिनियम, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करना प्रस्तावित है: -

• वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 163 के लिए एक स्पष्टीकरण, यह स्पष्ट करते हुए सम्मिलित करें कि निर्दिष्ट सेवाओं के लिए प्राप्त या प्राप्य और ई-कॉमर्स आपूर्ति या सेवाओं के लिए प्राप्य या विचार योग्य है, इसमें वह प्रतिफल शामिल नहीं होगा जो भारत में आयकर अधिनियम की धारा 90 या धारा 90 ए के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित समझौते के साथ पठित आयकर अधिनियम के तहत तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या शुल्क के रूप में कर योग्य हैं।

• वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 164 के खंड (सीबी) के लिए एक स्पष्टीकरण यह प्रदान करते हुए कि सम्मिलित करें, ई-कॉमर्स आपूर्ति या सेवा को परिभाषित करने के उद्देश्य से, निम्न में से अधिक गतिविधियाँ ऑनलाइन हो रही "माल की ऑनलाइन बिक्री" और "सेवाओं का ऑनलाइन प्रावधान" में एक या एक से अधिक होगा शामिल होगा:

(क) बिक्री के लिए प्रस्ताव की स्वीकृति;

(ख) क्रय आदेश प्रस्तुत करना;

(ग) क्रय आदेश की स्वीकृति;

(घ) प्रतिफल का भुगतान; या

(ड.) आंशिक या पूर्ण रूप से वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति का प्रावधान,

• ई-कॉमर्स आपूर्ति या सेवाओं से प्राप्त या प्राप्त होने वाले प्रतिफल को प्रदान करने के लिए वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 165 ए में शामिल हैं:

(i) माल की बिक्री के लिए प्रतिफल, चाहे जो भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर माल का मालिक हो; तथा

(ii) ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा प्रदान की गई या सुसाध्य बनाई गई सेवा के बावजूद सेवाओं के प्रावधान पर प्रतिफल।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होंगे।

[खंड 159]

इसके लिए धारा 10 (50) में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है -

(i) यह कि धारा 10 (50) 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद प्रदान की गई या सुसाध्य बनाई गई ई-कॉमर्स आपूर्ति या सेवाओं के लिए लागू होगी।

(ii) स्पष्ट करने हेतु कि धारा 10 (50) के तहत छूट तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या शुल्क के लिए लागू नहीं होगी, जो अधिनियम की धारा 90 या धारा 90 ए के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित समझौते के साथ पठित अधिनियम के तहत कर योग्य है।

(iii) वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय VIII की धारा 164 के खंड (सीबी) में समनुदेशित अर्थ के रूप में धारा 10 (50) के तहत ई-कॉमर्स आपूर्ति या सेवाओं को परिभाषित करता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और उसके बाद के निर्धारण, वर्षों पर लागू होगा

[खंड 5]

<u>साख पर मूल्यह्रास</u>

अधिनियम की धारा 2 अधिनियम के उद्देश्यों की परिभाषा प्रदान करती है। उक्त धारा का खंड (11) "परिसंपत्तियों के ब्लॉक" को परिभाषित करता है, जिसका मतलब परिसंपत्तियों का एक समूह होता है जिसमें संपत्ति, वर्गीय संपत्ति, जिसमें मूर्त संपत्ति जैसे इमारत, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर और अमूर्त संपत्ति जैसे जानकारी, पेटेंट, कॉपीराइट, व्यापार-चिह्न, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी या किसी अन्य व्यवसाय या समान प्रकृति के वाणिज्यिक अधिकार, का एक समूह होता है, जिनके संबंध में मूल्यह्रास का एक समान प्रतिशत निर्धारित है।

अधिनियम की धारा 32 मूल्यह्रास से संबंधित है। उक्त धारा की उप-धारा (1) मूर्त संपत्ति (भवन, मशीनरी, संयंत्र और फर्नीचर) और अमूर्त संपत्ति (जानकारी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी या किसी अन्य व्यवसाय पर मूल्यह्रास के कारण कटौती है) या अन्य कोई कारोबार या समान प्रकृति के वाणिज्यिक अधिकार) जो अप्रैल, 1998 की 2 पहली अप्रैल या उसके बाद हासिल किए गए हैं, जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निर्धारिती के स्वामित्व में हैं, और जो व्यापार या पेशे के लाभ और मुनाफा शीर्ष के अंतर्गत आय की गणना करते समय पूरी तरह से और विशेष रूप से व्यवसाय और पेशे के उद्देश्य से उपयोग किए जाते हैं।

इसके अलावा, उपधारा (i) के लिए स्पष्टीकरण 3 के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "परिसंपत्ति" का तात्पर्य मूर्त संपत्ति, भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर और अमूर्त संपत्ति जानकारी पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी या किसी अन्य व्यवसाय या समान प्रकृति के व्यावसायिक अधिकार से है।

अधिनियम की धारा 50 में मूल्यह्रास योग्य संपत्ति के मामले में पूंजीगत लाभ की गणना के लिए धारा 48 और 49 के उपबंधों की प्रयोज्यता के लिए शर्तें प्रदान की गई हैं, जहां पूंजीगत संपत्ति के ब्लॉक का एक हिस्सा है जिसके संबंध में इस अधिनियम के तहत मूल्यह्रास की अनुमति दी गई है।

अधिनियम की धारा 55, अधिनियम की धारा 48 और 49 के प्रयोजनों के लिए "समायोजित", "सुधार की लागत" और "अधिग्रहण की लागत" शब्दों का अर्थ प्रदान करती है। एक पूंजीगत संपत्ति के संबंध में, किसी व्यवसाय या व्यापार चिह्न या ब्रांड नाम का व्यवसाय के साथ साख जुड़ा होना या किसी वस्तु या चीज का निर्माण, उत्पादन या प्रक्रिया करने का अधिकार या किसी व्यवसाय या पेशे, किरायेदारी के अधिकार, मंच पर ले जाने का अधिकार कैरिज परमिट या करघा घंटे, इसे खरीद मूल्य से परिभाषित किया जाता है यदि यह खरीद द्वारा अधिग्रहित किया जाता है। अन्य मामलों में जब यह धारा 49 की उप-धारा (1) के उप-खंड (i) द्वारा कवर किया जाता है, तब इसे छोड़कर शून्य है।

यह देखा जाता है कि किसी व्यवसाय या पेशे की साख विशेष रूप से संपत्ति के रूप में या तो अधिनियम की धारा 2 के खंड (11) या अधिनियम की धारा 32 के तहत परिभाषा में प्रदान नहीं की गई है। यह सवाल कि क्या किसी व्यवसाय की साख अधिनियम की धारा 32 के अर्थ के भीतर एक संपत्ति है और क्या उक्त धारा के तहत साख पर मूल्यह्रास स्वीकार्य है, एक मुद्दा है जो इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने आया है स्मिफ़ सेक्यारिटी लिमिटेड [(2012) 348 आईटीआर 302 (एससी)]। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकारोक्ति उत्तर में दिया। इस प्रकार, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है, व्यवसाय या पेशे की साख अधिनियम की धारा 32 के तहत एक मूल्यह्रास योग्य संपत्ति है।

हालांकि, अधिनियम के अन्य खंड भी हैं जो अधिनियम की धारा 32 के तहत मूल्यह्रास की गणना के लिए प्रासंगिक हैं। ये निम्नानुसार हैं:

• अधिनियम की धारा 32 में छठा परंतुक यह कहता है कि पिछले वर्ष के दौरान उत्तराधिकार / समामेलन / अवहेलना के मामले में, मूल्यह्रास की गणना इस तरह की जाएगी कि उत्तराधिकार या समामेलन या डी-मर्जर पिछले वर्ष के दौरान नहीं लिया गया है और पूर्ववर्ती और उत्तराधिकारी, या समामेलन करने वाली कंपनी और समामेलित कंपनी, या डिमर्जेड कंपनी और परिणामी कंपनी, जैसा भी मामला हो, उन दिनों जिनमें उनके द्वारा संपत्ति का उपयोग किया गया था, की संख्या के अनुपात में के बीच विभाजित किया गया।

• अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) का स्पष्टीकरण 2 के अनुसार शब्द "परिसंपत्तियों के खंड का लिखित मूल्य" अधिनियम की धारा 43 के उप-खंड (6) के खंड (सी) के समान ही होगा।

• अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (6) के खंड (सी), संपत्ति के ब्लॉक के संबंध में, अन्य के साथ-साथ, यह प्रदान करता है कि संपत्ति के उस ब्लॉक के भीतर आने वाली सभी परिसंपत्तियों के लिखित मूल्यों का कुल मूल्य पिछले वर्ष की शुरुआत पर उस ब्लॉक के भीतर आने वाली किसी भी संपत्ति की वास्तविक लागत से बढ़ाई जानी है, जिसे पिछले वर्ष के दौरान अधिग्रहण किया गया था।

• अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (1) जो निर्धारिती को संपत्ति की वास्तविक लागत के रूप में "वास्तविक लागत" को परिभाषित करती है। इस धारा में स्पष्टीकरण ऐसी स्थिति को समाहित करता है जहाँ समामेलन की योजना में, किसी भी पूँजीगत संपत्ति को समामेलन कंपनी द्वारा समामेलित कंपनी को हस्तांतरित किया जाता है और वह समामेलित कंपनी एक भारतीय कंपनी है। यह स्पष्ट करता है कि इस स्थिति में, समामेलित कंपनी को हस्तांतरित पूंजीगत संपत्ति की वास्तविक लागत को उसी रूप में लिया जाएगा जैसा कि यह होता कि यदि समामेलन करने वाली कंपनी ने अपने व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए पूँजीगत संपत्ति को जारी रखा होता।

• अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (6) के खंड (ग) का स्पष्टीकरण 2 भी एक स्थिति को समाहित करता है जहां समामेलन की योजना में, किसी भी पूंजीगत संपत्ति को समामेलन कंपनी द्वारा समामेलित कंपनी को हस्तांतरित किया जाता है और समामेलित कंपनी एक भारतीय कंपनी है। यह भी स्पष्ट करता है कि इस स्थिति में, समामेलित कंपनी के हाथ में परिसंपत्ति के अवरोधन की वास्तविक लागत उस खंड के मूल्य को तत्काल पिछले वर्ष में समामेलित करने वाली कंपनी के मामले में लिखी जाएगी, जैसा कि पिछले वर्ष से पहले वस्तुत: प्रतिनियुक्ति द्वारा कम की गई है

इस प्रकार, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि किसी व्यवसाय या पेशे की साख एक मूल्यह्रास योग्य संपत्ति है, साख पर मूल्यह्रास की वास्तविक गणना ऊपर सूचीबद्ध उपबंधों सहित अधिनियम के विभिन्न अन्य उपबंधों के अनुसार की जानी चाहिए। एक बार जब हम इन प्रावधानों को लागू करते हैं, तो कुछ स्थितियों में (जैसे कि व्यापार पुनर्गठन) वास्तविक लागत शून्य होने और पूर्ववर्ती / समामेलन करने वाली कंपनी के हाथ में उस संपत्ति के लिखित मूल्य का शून्य होने पर कोई मूल्यह्रास नहीं हो सकता है।

हालांकि, कुछ अन्य मामलों में (जैसे कि खरीद द्वारा साख का अधिग्रहण) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार एक व्यापार या पेशे की साख रखने वाली संपत्ति के रूप में मूल्यह्रास पर दावा वैध हो सकता है।

यह देखा जाता है कि साख, सामान्य रूप से, एक मूल्यह्रास योग्य संपत्ति नहीं है और वास्तव में यह निर्भर करता है कि व्यवसाय कैसे चलता है; साख, प्रशंसा या इसके मूल्य में वैकल्पिक मूल्यह्रास नहीं देखा जा सकता है। इसलिए, साख पर मूल्यह्रास का औचित्य नहीं हो सकता है क्योंकि अन्य अमूर्त संपत्ति या संयंत्र और मशीनरी के मामले में मूल्यह्रास के लिए प्रदान करने की आवश्यकता है। इसलिए तत्काल पूर्ववर्ती पैराग्राफ में संदर्भित मामलों की श्रेणी में भी साख पर मूल्यह्रास का औचित्य कम प्रतीत होता है।

उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, यह प्रस्ताव करने का निर्णय लिया गया है कि किसी व्यवसाय या पेशे की साख को एक मूल्यहीन संपत्ति नहीं माना जाएगा और किसी भी स्थिति में किसी व्यवसाय या पेशे की साख पर कोई मूल्यह्रास नहीं होगा। ऐसे मामले में जहां साख को एक निर्धारिती द्वारा खरीदा जाता है, तो साख की खरीद मूल्य को इस शर्त के अध्यधीन अधिनियम की धारा 48 के तहत पूंजीगत लाभ की गणना के उद्देश्य के लिए अधिग्रहण की लागत के रूप में माना जाएगा। इस स्थिति में कि यदि निर्धारिती द्वारा मूल्यह्रास प्राप्त किया गया

था निर्धारण वर्ष 2021-22 से पहले इस तरह के साख के संबंध में निर्धारिती द्वारा प्राप्त मूल्यह्रास को साख के खरीद मूल्य की मात्रा से कम किया जाएगा।

अत: यह उपरोक्त निर्णय को प्रभावी करने के लिए, प्रस्तावित किया गया है।

(क) अधिनियम की धारा 2 के संशोधन खंड (11) यह प्रदान करने के लिए कि 'संपत्ति का ब्लॉक' किसी व्यवसाय या पेशे की साख में शामिल नहीं होगा;

(ख) अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) का संशोधन खंड (ii) यह प्रदान करने के लिए कि किसी व्यवसाय या पेशे की साख उक्त खंड के उद्देश्य के लिए एक संपत्ति नहीं मानी जाएगी और इसलिए मूल्यह्रास के लिए पात्र नहीं है। इसके अलावा, उक्त खंड के स्पष्टीकरण 3 को उप-धारा (1) में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है ताकि किसी व्यवसाय या पेशे की साख उक्त उप-धारा के लिए एक परिसंपत्ति न मानी जाए।

(ग) अधिनियम की धारा 50 में संशोधन करके यह बताने के लिए कि 1 अप्रैल, 2020 से शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए किसी व्यवसाय या पेशे की साख का हिस्सा और अधिनियम के अंतर्गत मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यह्रास प्राप्त किया गया है। परिसंपत्ति और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के उस ब्लॉक का लिखित मूल्य, यदि कोई हो, निर्धारित तरीके से निर्धारित किया जाएगा।

(घ) उप-धारा (2) के खंड (क) को प्रतिस्थापित करके अधिनियम की धारा 55 में संशोधन करना, ताकि पूंजीगत संपत्ति के संबंध में, किसी व्यवसाय या पेशे की साख, या व्यापार चिह्न या ब्रांड नाम जुड़ा हो, व्यवसाय या पेशा, या किसी भी वस्तु या चीज़ के निर्माण, या प्रक्रिया का अधिकार या किसी व्यवसाय या पेशे, या किरायेदारी के अधिकार, या स्टेज कैरिज परमिट, या करघा घंटे, पर ले जाने का अधिकार, -

(i) पूर्ववर्ती मालिक से खरीद द्वारा निर्धारिती द्वारा ऐसी संपत्ति के अधिग्रहण के मामले में, खरीद मूल्य की राशि तथा

(ii) धारा 49 की उप-धारा (1) के उप-खंड (i) से (iv) के तहत आने वाले मामले में और जहां इस तरह की संपत्ति पिछले मालिक द्वारा अधिग्रहित की गई थी (जैसा कि उस खंड में परिभाषित किया गया है), खरीद से मतलब है ऐसे पिछले मालिक के लिए खरीद मूल्य की राशि; तथा

(iii) किसी अन्य मामले में, शून्य होने के लिए लिया जाएगा।

(ड.) पिछले मालिक (या तो प्रत्यक्ष रूप से या धारा 49 की उप-धारा (1) के उपखंड (i) से (iv) के तहत निर्दिष्ट माध्यम से खरीदे गए तरीके के माध्यम से) निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण व्यवसाय या पेशे की साख के मामले में) और अधिनियम की धारा 32 के तहत मूल्यह्रास के कारण कोई भी कटौती जो निर्धारिती द्वारा किसी भी पिछले वर्ष में प्राप्त की गई है, जो पिछले वर्ष से पहले के निर्धारण वर्ष से पहले या 1 अप्रैल, 2021 के बाद शुरू होने वाले वर्ष से प्रासंगिक है, तो लागत अधिग्रहण 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष से पहले निर्धारिती द्वारा प्राप्त मूल्यह्रास द्वारा कम किए करके मूल्य होगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार वर्ष 2021-22 और बाद के निर्धारण वर्षों पर लागू होंगे।

[खंड 7, 18 और 20]

<u>अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत वापस की गई आय को संसोधित करने और नोटिस जारी करने से संबंधित प्रावधान का यौक्तिकीकरण</u>

अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के खंड (क) के मौजूदा उपबंध के अनुसार धारा 139 के तहत वापस की गई आय को संशोधित करते समय, या धारा 142 की उप-धारा (1) के खंड (i) से (vi) तहत नोटिस की प्रतिक्रिया में में निर्दिष्ट समायोजन करने के बाद कुल आय या हानि की गणना की जाएगी।

यह अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (1) के निम्नलिखित प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव है, -

(i) अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के उपखंड (क) के उप-खंड (iv) में संशोधन, लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इंगित लेकिन इसमें ध्यान नहीं दिया गया। कुल आय की गणना में ध्यान में नहीं रखा गया, आय में वृद्धि के कारण समायोजन की अनुमति देने के लिए,

(ii) अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उप-खंड (v) में संशोधन करें ताकि वित्त अधिनियम, 2018 की धारा 80 एसी वीडीओ में किए गए संशोधन को परिणामी प्रभाव दिया जा सके।

(iii) वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष से नौ महीने की अवधि के लिए अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत सूचना भेजने की समय सीमा को कम करने के लिए धारा 143 के प्रावधानों को संशोधित करें जिसमें वापसी की सुविधा थी।

नतीजतन, यह वित्तीय वर्ष के अंत से छह महीने से तीन महीने तक अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत नोटिस जारी करने की समय सीमा को कम करने का भी प्रस्ताव है जिसमें रिटर्न विवरणी प्रस्तुत की गई है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे

[खंड 34]

<u>पीबीपीटी अधिनियम के तहत सहायक प्राधिकारी</u>

पीबीपीटी अधिनियम की धारा 71 में, *अन्य बातों के साथ-साथ,* यह भी उपबंध है कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा, यह उपबंधित कर सकती है कि जब तक कि अधिनिर्णय प्राधिकारी नियुक्त नहीं हो जाते हैं और अपीलीय न्यायाधिकरण पीबीपीटी अधिनियम के तहत स्थापित नहीं हो जाता, तब तक अधिनिर्णय प्राधिकारी को उप-धारा के तहत नियुक्त होते हैं 1) धन-शोधन निरोधक अधिनियम, 2002 की धारा 6 (यहां से अब पीएमएलए के रूप में संदर्भित) और पीएलएमए की धारा 25 के तहत स्थापित अपीलीय न्यायाधिकरण, पीबीपीटी अधिनियम के तहत क्रमशः अधिनिर्णय प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यों का निर्वहन ऐसी अवधि के लिए और ऐसे मामलों या मामलों के वर्ग के संबंध में कर सकता है, जैसाकि उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है।

चूंकि पीबीपीटी अधिनियम के तहत अधिनिर्णय प्राधिकारी की कोई नियुक्ति नहीं है, इसलिए पीएमएलए के तहत अधिनिर्णय प्राधिकारी पीबीपीटी अधिनियम के तहत अधिनिर्णय प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन कर रही है। अब यह उपबंधित करने का प्रस्ताव है कि स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स (संपत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 (सेफमा) की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत गठित सक्षम प्राधिकारी पीबीपीटी अधिनियम के तहत सहायक प्राधिकारी होगा जो कि 1 जुलाई, 2021 से कार्य का निर्वहन शुरू करना। जैसा कि पीबीपीटी अधिनियम के तहत कहा गया कि प्राधिकृत अधिकारी को 1 जुलाई, 2021 से कार्यों का निर्वहन शुरू करने का प्रस्ताव है, यह खंड की उपधारा (7) के तहत सीमा की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव है। पीबीपीटी अधिनियम के 26 यह उपबंधित करने के लिए कि पीबीपीटी अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (7) के तहत आदेश पारित करने की समय सीमा 1 जुलाई, 2021 से शुरू होने वाली अवधि के दौरान समाप्त हो रही है और 29 सितंबर, 2021 को समाप्त होने की समय सीमा गुजर रही है इस आदेश को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाया जाएगा।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2021 से प्रभावी होगा।

[खंड 142 से 147]

धारा 44एडीए के तहत पेशेवरों के लिए अनुमानात्मक कराधान के प्रावधान का यौक्तिकीकरण

अधिनियम की धारा 44एडीए, अनुमान के आधार पर मुनाफे और पेशे के लाभ की गणना के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है।

उक्त धारा की उप-धारा (1) में यह उपबंधित है कि निर्धारिती के मामले में, धारा 28 से धारा 43 ग तक में शामिल होने के बावजूद और धारा 44एए की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पेशे में संलग्न कुल सकल प्राप्तियां पिछले वर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक नहीं हैं, ऐसे पेशे के आधार पर पिछले वर्ष में निर्धारिती की कुल सकल प्राप्तियों के पचास प्रतिशत के बराबर राशि, या जैसा भी मामला हो, की तुलना में अधिक राशि निर्धारिती द्वारा अर्जित की गई पूर्वोक्त राशि को कर के लिए इस तरह के पेशे के लाभ और लाभ के रूप में समझा जाएगा।

अधिनियम की धारा 44एडीए के उपबंधों को व्यष्टि, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और साझेदारी फर्म पर लागू किया गया था, लेकिन एक सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के रूप में सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की उपधारा (1) के खंड 2 के खंड (ढ) के तहत परिभाषित नहीं किया गया था। यह इस कारण से है कि एलएलपी को एलएलपी अधिनियम के तहत किसी भी मामले में बही खातों की पुस्तकों को बनाए रखना आवश्यक है।

कानून में इस स्थिति को स्पष्ट करने का प्रस्ताव किया जाता है। इसलिए अधिनियम की धारा 44एडीए की उप-धारा (1) में संशोधन करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि इस खंड का उपबंध एक निर्धारिती पर लागू होगा, एक व्यष्टि, एचयूएफ या साझेदारी फर्म, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ढ) के तहत परिभाषित एलएलपी नहीं है। अन्य सभी प्रावधान जैसे कि भारत में निवासी होना एक पेशे में संलग्न है, जो खंड 44एए की उपधारा (1) में निर्दिष्ट है और जिसकी कुल सकल प्राप्तियां हैं पिछले वर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, वही रहेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2021-22 के संबंध में और आगामी निर्धारण वर्षों के लिए लागू होगा।

(खंड 12)

विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के दायरे के बारे में स्पष्टीकरण

लंबित आय कर मुकदमेबाजी को कम करने के उद्देश्य से, सरकार के लिए समय पर राजस्व उत्पन्न करना और करदाताओं को समय, और संसाधनों के आधार पर मन की शांति, निश्चितता और बचत प्रदान करके उन्हें लाभ पहुंचाना, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (इसके बाद संदर्भित) के रूप में 'वि से वि') 17 मार्च, 2020 को लागू किया गया था।

आयकर अधिनियम, 1961 (आयकर अधिनियम) के तहत निपटान प्रावधान एक करदाता को एक वैकल्पिक तंत्र प्रदान करते हैं, जो मूल्यांकन की नियमित प्रक्रिया से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है, जिसके परिणामस्वरूप कर देयता का निर्धारण होता है और इसके बजाय आयकर छूट का दृष्टिकोण आता है। आयकर अधिनियम के अध्याय XIX-क के तहत उसके मामले के निपटारे के लिए आयोग (आईटीएससी) को विवादित कर के समाधान के लिए वि से वि अधिनियमित किया गया था, न कि आयकर अधिनियम के अध्याय XIX-क के तहत एक मामले के निपटारे के लिए एक आदेश द्वारा कवर किए गए करों के लिए, ऐसे मामले जैसे कि अध्याय XIX-क द्वारा कवर

किए गए आयकर अधिनियम (चाहे वे अंतिम रूप से प्राप्त हुए हों या नहीं) हमेशा से रहे हैं, इसलिए, इसका उद्देश्य वि से वि के दायरे से बाहर है।

किसी भी अस्पष्टता को दूर करने की दृष्टि से, मूल विधायी मंशा को स्पष्ट करने के लिए वि से वि के प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए धारा 2 (1) (क), "विवादित कर" की धारा 2 (1) में "अपीलार्थी" की परिभाषाएँ शामिल हैं।) (जे) और वि से वि की धारा 2 (1) (ओ) में "कर बकाया", इस विधेयक द्वारा संदेह को दूर करने के माध्यम से संशोधित करने का प्रस्ताव है।

उक्त संशोधनों को 17 मार्च 2020 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने का प्रस्ताव है।

[खंड 160]

<u>शब्द "कर के लिए उत्तरदायी" की परिभाषा</u>

अधिनियम वर्तमान में "कर के लिए उत्तरदायी" शब्द को परिभाषित नहीं करता है, हालांकि इस शब्द का उपयोग धारा 6 में, धारा 10 के खंड (23एफई) में किया गया है और विभिन्न समझौते अधिनियम की धारा 90 या धारा 90 क के तहत दर्ज किए गए हैं। इसलिए, इसकी परिभाषा प्रदान करने वाले अधिनियम की धारा 2 में खंड (29क) सम्मिलित करना प्रस्तावित है। किसी व्यक्ति के संबंध में "कर के लिए उत्तरदायी" शब्द का अर्थ है कि किसी भी देश के कानून के तहत उस व्यक्ति पर कर की देयता है और इसमें एक ऐसा मामला भी शामिल होगा जहां बाद में इस तरह की कर देयता लगाने पर छूट प्रदान की गई है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार, आकलन वर्ष 2021-22 और बाद के मूल्यांकन वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 3]

<u>आय घोषणा योजना (आईडीएस) संशोधन</u>

वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय- IX में निहित आय घोषणा योजना, 2016 (योजना) उन लोगों को एक अवसर प्रदान करती है, जिन्होंने अतीत में किसी भी आय का खुलासा नहीं किया था, जो साफ-सुथरा हो तथा कर, अधिभार और जुर्माने का भुगतान करे। योजना के प्रावधान। यह योजना 01.06.2016 को शुरू हुई।

वित्त अधिनियम, 2016 की अन्य धाराओं की धारा 187 में यह प्रावधान है कि योजना के तहत देय कर, अधिभार और जुर्माना निर्दिष्ट तारीख को या उससे पहले भुगतान किया जाएगा और यदि आवेदक ऐसी राशि का भुगतान करने में विफल रहा है, तो घोषणाकर्ता द्वारा दायर की गई घोषणा को अमान्य माना जाएगा। इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 191, अन्य बातों के साथ, यह प्रावधान करता है कि योजना के तहत की गई घोषणा के अनुसरण में चुकाया गया कोई भी कर, अधिभार और जुर्माना वापस नहीं किया जाएगा। वित्त

अधिनियम, 2016 की धारा 191, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 की धारा में एक उपबंध डाला गया था, जिसमें बोर्ड को उन व्यक्तियों के एक वर्ग को निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया था, जिन पर ऐसे कर का भुगतान किया गया था, जो वापसी योग्य होंगे। अब वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 191 के प्रावधान को संशोधित करने का प्रस्ताव है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजना के तहत की गई घोषणा के अनुसरण में कर, अधिभार या जुर्माने की अतिरिक्त राशि किसी भी ब्याज के भुगतान के बिना व्यक्तियों (निर्दिष्ट वर्ग) को वापस कर दी जाएगी।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा।

[खंड 159]

<u>माल की खरीद पर स्रोत (टीडीएस) पर कर कटौती</u>

अधिनियम का अध्याय XVIIख स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित है। इस अध्याय के प्रावधान विभिन्न भुगतानों पर उसमें निहित दरों पर टीडीएस प्रदान करते हैं। माल की खरीद के लिए किसी भी निवासी को किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा टीडीएस के लिए प्रदान करना प्रस्तावित है। टीडीएस की दर 0.1% पर बहुत कम रखी गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुपालन बोझ केवल उन लोगों पर है जो इसका अनुपालन कर सकते हैं, यह प्रस्तावित है कि कर केवल उन लोगों (अर्थात "खरीदार") द्वारा काटे जाने की आवश्यकता है, जिनकी कुल बिक्री, सकल प्राप्तियां या कारोबार उनके द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद, वित्तीय वर्ष के दौरान दस करोड़ रुपये से अधिक की राशि जिसमें माल की खरीद की जाती है। केंद्र सरकार को इस अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों के पूरा होने पर इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को दायित्व से मुक्त करने के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिकार दिया जाना प्रस्तावित है। ऐसे व्यक्ति द्वारा कर की कटौती की जानी आवश्यक है, यदि विक्रेता से उसके द्वारा माल का खरीद मूल्य पिछले वर्ष में इस तरह के मूल्य से पचास लाख रुपये से अधिक है। यह भी प्रस्तावित है कि इस खंड के प्रावधान लागू नहीं होंगे, -

(i) लेनदेन, जिस पर कर अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत कटौती योग्य है; तथा

(ii) एक लेन-देन, जिस पर धारा 206 ग के प्रावधानों के तहत कर लेनदेन के योग्य है, जिस पर धारा 206 ग की उप-धारा (1 ज) लागू होती है।

इसका मतलब है, यदि लेनदेन पर स्रोत (टीसीएस) पर एक टीडीएस या कर संग्रह किसी अन्य प्रावधान के तहत किया जाना आवश्यक है, तो यह इस खंड के तहत टीडीएस के अधीन नहीं होगा। इस सामान्य नियम का एक अपवाद है। यदि लेन-देन पर टीसीएस को धारा 206ग के उप-भाग (1एच) के साथ-साथ इस खंड के अंतर्गत टीडीएस की आवश्यकता है, तो उस लेनदेन पर केवल इस खंड के अंतर्गत टीडीएस ही किया जाएगा।

इस खंड के प्रावधानों के प्रभाव में कठिनाई को दूर करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ बोर्ड को अधिकार दिया गया है। बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रत्येक दिशानिर्देश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखना आवश्यक है, और आयकर अधिकारियों और कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के लिए बाध्यकारी होगा।

इसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 206कक की उप-धारा (1) में संशोधन करने और दूसरा परंतुक डालने के लिए यह भी प्रस्तावित किया जाता है कि जहां धारा 194-त के तहत कर की कटौती की जानी है और स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रदान नहीं की जाता है , टीडीएस पाँच प्रतिशत की दर से होगा।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2021 से प्रभावी होंगे।

[खंड 48 और 50]

<u>उच्च दरों पर आयकर विवरणी न भरने वालों पर टीडीएस / टीसीएस</u>

अधिनियम की धारा 206कक पैन प्रस्तुत न करने पर टीडीएस की उच्च दर लागू करती है। इसी तरह अधिनियम की धारा 206गग में पैन को न प्रस्तुत करने के लिए टीसीएस की उच्च दर का प्रावधान है। यह देखा गया है कि इन प्रावधानों ने विभिन्न व्यक्ति द्वारा पैन प्राप्त करने और प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करने में अपना उद्देश्य पूरा किया है, उन लोगों द्वारा आय का रिटर्न फाइल करना सुनिश्चित करने के लिए इसी तरह के प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है, जिन्होंने टीडीएस / टीसीएस की उचित राशि कटौती का सामना किया हो।

इसलिए, आयकर रिटर्न के फाइल न करने वालों के लिए टीडीएस की उच्च दर वाले विशेष प्रावधान के रूप में अधिनियम में एक नया खंड 206कख सम्मिलित करना प्रस्तावित है। इसी तरह आयकर रिटर्न फाइल न करने वालों के लिए टीसीएस की उच्च दर के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में अधिनियम में धारा 206गगक सम्मिलित करना प्रस्तावित है।

अधिनियम की प्रस्तावित धारा 206कख किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति द्वारा किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को दी गई राशि या आय या देय राशि, या देय या क्रेडिट पर लागू होगी। यह धारा उस पर लागू नहीं होगी, जहां अधिनियम की धारा 192, 192क, 194ख, 194खख, 194एलबीसी या 194एन के तहत कर में कटौती की आवश्यकता है। इस खंड में प्रस्तावित टीडीएस की दर अनुवर्ती दरों से अधिक है: -

- अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान में दो बार निर्दिष्ट दर; या
- दो बार दर या बल में दरें; या
- पांच प्रतिशत की दर

यदि अधिनियम की धारा 206कक का प्रावधान एक निर्दिष्ट व्यक्ति पर लागू होता है, तो इस धारा के प्रावधान के अलावा, इस अनुभाग में और अधिनियम की धारा 206कक में प्रदान की गई दो दरों में से अधिक कर काटा जाएगा।

अधिनियम को प्रस्तावित धारा 206गगक किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त राशि या किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई राशि पर लागू होगा (एक निर्दिष्ट व्यक्ति से)। इस खंड में प्रस्तावित टीसीएस दर निम्न दरों से अधिक है: -

- अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान में निर्दिष्ट दर से दोगुना; या
- पांच प्रतिशत की दर

यदि अधिनियम की धारा 206गग का प्रावधान एक निर्दिष्ट व्यक्ति पर लागू होता है, तो इस धारा के प्रावधान के अलावा, इस अनुभाग में और अधिनियम की धारा 206गग में प्रदान की गई दो दरों में से अधिक पर कर एकत्र किया जाएगा।

निर्दिष्ट व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पिछले दो वर्षों से संबंधित दो आकलन वर्षों के लिए आय का रिटर्न दाखिल नहीं किया है, जो पिछले वर्ष के तुरंत पहले का है जिसमें कर की कटौती या एकत्र करना आवश्यक है, जैसा कि मामला हो। इसके अलावा अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के तहत कर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा इन दोनों आकलन वर्षों के लिए समाप्त हो गई है। एक और शर्त है कि स्रोत पर कर की कटौती और उसके मामले में स्रोत पर एकत्रित कर की रकम पिछले दो वर्षों में पचास हजार रुपये या उससे

अधिक है। निर्दिष्ट व्यक्ति में एक अनिवासी व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिसकी भारत में स्थायी रूप से अवस्थिति नहीं है।

अधिनियम की धारा 194-आईबी की उपधारा (4) में परिणामी संशोधन प्रस्तावित है

यह संशोधन 1 जुलाई, 2021 से प्रभावी होगा।

[खंड 46, 51 और 52]

<u>विभिन्न निधियों, जिनमें आय पर छूट है, पर ब्याज की कर देयता</u>

अधिनियम की धारा 10 का खंड (11) किसी भी भविष्य निधि से भुगतान के संबंध में छूट प्रदान करता है, जिसके लिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) लागू होता है या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी भविष्य निधि में इस ओर से आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित होता है। इसी तरह, इस खंड के धारा (12) के कारण, संचित भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी को देय देय राशि के संबंध में छूट और चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 8 में प्रदान की गई सीमा तक देय होता है।

ऐसे उदाहरण सामने आए हैं, जहां कुछ कर्मचारी इन फंडों में बड़ी मात्रा में योगदान दे रहे हैं और ऐसे योगदान पर प्राप्त / प्राप्त ब्याज को अधिनियम की धारा 10 के खंड (11) और खंड (12) के तहत कर से छूट प्राप्त है। किसी भी सीमा के बिना यह छूट केवल उन लोगों को लाभ देती है जो इन फंडों को अपने हिस्से के रूप में बड़ी राशि का योगदान दे सकते हैं। तदनुसार, अधिनियम की धारा 10 के खंड (11) और खंड (12) में अनंतिम रूप से सम्मिलित करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि इन खंडों के प्रावधान व्यक्ति के खाते में पिछले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज आय पर लागू नहीं होंगे। यह उस राशि में पिछले वर्ष में 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद निर्धारित राशि से दो लाख और पचास हजार रुपये से अधिक के व्यक्ति द्वारा दिए गए अंशदान की राशि या अंश से संबंधित है, इस तरह से निर्धारित किया जा सकता है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे और निर्धारण वर्ष 2022-23 और उसके बाद के निर्धारण वर्षों पर लागू होंगे।

[खंड 5]

कस्टम

टिप्पणीः

(क) "बेसिक कस्टम्स ड्यूटी" का मतलब सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत लगाया गया सीमा शुल्क है।
(ख) क्लॉज सं. वित्त विधेयक, 2021 के प्रासंगिक खंड का संकेत देते हुए वर्ग कोष्ठक में हैं।
(ग) वित्त विधेयक, 2021 के माध्यम से किए गए संशोधन, इसके अधिनियमित होने की तिथि पर प्रभावी होंगे, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हों।

I. <u>ग्राहक अधिनियम, 1962 में संशोधन</u>

क्र.सं.	संशोधन	वित्त विधेयक 2021 का खंड,
1.	धारा 2 में, एक नया खंड 7 (बी) एक "सामान्य पोर्टल" (सामान्य सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल) को परिभाषित करते हुए पेश किया जा रहा है।	[80]
2.	सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 5 में उप-धारा (3) को आयुक्त (अपील) को संशोधित करके अध्याय XV, धारा 108 और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 110 की नई उपधारा (1डी) के तहत निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए संशोधित किया जा रहा है।	[81]
3.	सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25 संशोधन किया जा रहा जिसमें विहित है कि सभी सशर्त छूट, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट या अलग किया या इसे रद्द कर दिया, सीमा शुल्क अधिनियम के तहत दिए गए 31मार्च का अंत आ जाएगा ऐसे अनुदान या बदलाव की तारीख दो साल के बाद तुरंत गिरने । तारीख, जिस पर वित्त विधेयक 2021 एक निर्धारित अंतिम तिथि नहीं होने जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त के रूप में बल के सभी मौजूदा सशर्त छूट, 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा 2023 (यदि विशेष रूप से लागू नहीं / पहले रद्द कर दिया) पर समीक्षा करें।	[822]
4.	इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही को पूरा करने के लिए आयोग द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए दो साल की समय-सीमा को आगे बढ़ाते हुए एक नई धारा 28 बीबी शुरू की जा रही है, जो सीमा शुल्क अधिनियम 1962। की धारा 28 के तहत नोटिस जारी करने में समाप्त होगी।	[83]

5.	धारा 46 की उपधारा (3) में संशोधन किया जा रहा है ताकि- क) माल के आगमन के दिन (छुट्टियों सहित) से पहले दिन के अंत से पहले बिल के प्रवेश का जनादेश दाखिल करना। ख) इसमें एक नया प्रोविंसो पेश किया जा रहा है, जिससे बोर्ड को कुछ मामलों में प्रवेश की बिल पेश करने की समय अवधि को सूचित करने में सक्षम किया जा सके क्योंकि यह फिट हो सकता है।	[84]
6.	सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 110 में संशोधन किया जा रहा है ताकि अधिसूचित किसी भी रूप में जब्त किए गए सोने के पूर्व परीक्षण निपटान के लिए प्रक्रिया को संशोधित किया जा सके । आयुक्त (अपील) का अधिकार क्षेत्र है , जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से सोने के निपटान से पहले जब्त माल की इन्वेंट्री की शुद्धता को प्रमाणित करने और निर्धारित की गई अन्य प्रक्रियाओं को करने के लिए है। इस प्रावधान को प्रभावी करने के लिए अन्य परिणामी संशोधन भी किए जा रहे हैं ।	[85]
7.	सब-सेक्शन (जेए) धारा 113 में जोड़ा जा रहा है ताकि किसी शुल्क या कर या लेवी के छूट या वापसी के दावे के तहत निर्यात के लिए दर्ज किए गए किसी भी सामान को जब्त किया जा सके, ताकि प्रावधानों के उल्लंघन में गलत दावा किया जा सके सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या किसी अन्य कानून के लागू होने के समय के लिए।	[86]
8.	विशिष्ट मामले में जुर्माना लगाने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम में एक नया खंड 114 एसी डाला जा रहा है, जहां किसी भी व्यक्ति ने किसी भी कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए इस तरह के चालान के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग करने के लिए धोखाधड़ी, मिलीभगत, विलफुल गलत बयान या दमन द्वारा कोई भी चालान प्राप्त किया है। किसी भी शुल्क या कर की वापसी के दावे के तहत निर्यात पर दर्ज माल पर कर।	[87]
9.	सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 139 के बारे में स्पष्टीकरण में संशोधन किया जा रहा है ताकि नए उप-धारा (1 डी) के तहत आयुक्त (अपील) द्वारा प्रमाणित आविष्कारों, तस्वीरों और सूचियों को शामिल किया जा सके ताकि उस खंड के अर्थ के भीतर दस्तावेजों को स्पष्टता मूल्य दिया जा सके।	[88]
10.	धारा 149 में संशोधन किया जा रहा है ताकि क) एक दूसरा प्रोविज़ो पेश करता है जो उपयुक्त चयन मानदंड के माध्यम से जोखिम मूल्यांकन के आधार पर सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली के माध्यम से संशोधन करने की अनुमति देगा । ख) एक तीसरे प्रोविटोस एनट्रोड्यूस करता है ताकि बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट कुछ संशोधन, सामान्य पोर्टल पर आयात या निर्यातक द्वारा किए जा सकें।	[89]

11.	धारा 153 तो के रूप में संशोधन किया जा रहा है एक नया खंड '(सीए) उप धारा (1) के तहत उसके इतनी के रूप में यह आम पोर्टल पर उपलब्ध करा कर आदेश, सम्मन, नोटिस, आदि की सेवा कर सकें।	[90]
12.	अध्याय XVII में संशोधन किया जा रहा है ताकि पंजीकरण की सुविधा के लिए एक सामान्य पोर्टल की अधिसूचना के लिए एक नया खंड 154सी सम्मिलित किया जा सके, प्रविष्टि के बिल दाखिल करना, शिपिंग बिल, इस अधिनियम के तहत या किसी भी अन्य कानून के तहत निर्धारित किसी अन्य दस्तावेज या समय के लिए किसी अन्य कानून के तहत लागू और विनियमों के कारण, ड्यूटी का भुगतान और ऐसे अन्य कार्यों को करने के लिए और ऐसे उद्देश्यों के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है।	[91]

II <u>कस्टमर्स टैरिफ अधिनियम, 1975 में संशोधन</u>

क्र.सं.	**संशोधन**	**वित्त विधेयक 2021 का खंड,**
1.	कुछ तकनीकी परिवर्तनों को शामिल करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8 बी में संशोधन किया जा रहा है।	[92]
2.	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 में विरोधी परिशोधन मामलों में जांच की दीक्षा से विरोधी अवशोषण, पूर्वव्यापी लेवी के प्रावधानों को शामिल करने के लिए संशोधन किया जा रहा है, माल से लेवी के संबंध में सुरक्षा उपायों में उन लोगों के साथ काउंटरवेट ड्यूटी प्रावधानों को संरेखित करना घरेलू टैरिफ क्षेत्र में ईओयू और एसईजेड , यह निर्धारित करते हुए कि जब काउंटरवेलिंग ड्यूटी अस्थायी रूप से निरस्त कर दी जाती है, तो इस तरह के निरसन की अवधि एक वर्ष में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और एक बार में 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वर्तमान में 5 वर्षों के बजाय समीक्षा पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाने के लिए प्रदान करना होगा ,	[93]
3.	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 ए में संशोधन किया जा रहा है, जिसमें ईओयू और एसईजेड से प्राप्त माल पर लेवी के संबंध में सुरक्षा उपायों में एंटी-डंपिंग लेवी, विरोधी-परिशोधन के मामलों में शामिल हैं, एंटी-डंपिंग ड्यूटी प्रावधानों को संरेखित करें। टैरिफ क्षेत्र, यह निर्धारित करते हुए कि जब डंपिंग रोधी शुल्क अस्थायी रूप से निरस्त किया जाता है, तो इस तरह का निरसन एक अवधि में एक वर्ष से अधिक नहीं होने के लिए होगा और 5 वर्ष के बजाय एक समय में 5 वर्ष से अधिक नहीं की अवधि के लिए समीक्षा पर एडीडी लगाने के लिए प्रदान किया जाएगा।	[94]

III <u>कस्टमर्स टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में</u>

	संशोधन			
क्र.सं.	**बेसिक सीमा शुल्क के लिए टैरिफ दर में परिवर्तन [से प्रभावी होने के लिए जब तक अन्यथा निर्दिष्ट, 2021/02/02] * [खण्ड [95 (i)] के वित्त विधेयक, 2021]**		**शून्य की दर**	
क.सं.	**शीर्ष, सब-शीर्ष टैरिफ आइटम**	पाण्य	**से**	तक
		रसायन		
1.	2803 00 10	कार्बन ब्लैक	5%	7.5%
		प्लास्टिक की वस्तुएं		
2.	3925	बिल्डर का प्लास्टिक का बर्तन	10%	15%
		रत्न और आभूषण क्षेत्र		
3.	7104	कटे हुए और पॉलिश किए गए जूबिक जिकॉनिया सहित पॉलिश पत्थर , पॉलिश	10%	15%
		इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर		
4.	8414 30 00	रेफीजरेटिंग उपयोग किए गए कोई भी कंप्रेशर्स उपकरण में	12.5%	15%
5.	8414 80 11	एयर कंडीशनिंग उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले कोई भी कंप्रेशर्स	12.5%	15%
6.	8504 90 90	चार्जर या एडॉप्टर का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली [पीसीबीए] (इस टैरिफ आइटम के तहत सभी सामान, ऊपर के अलावा, 10% पर बीसीडी की मौजूदा प्रभावी दर को आकर्षित करना जारी रखेंगे)	10%	15%
		ऑटोमोबाइल के पुर्जे		
7.	7007	सेफ्टी ग्लास, कड़े (टेम्पर्ड) या लैमिनेटेड ग्लास से युक्त । (इस शीर्षक के तहत सभी सामान, मोटर वाहनों के साथ उपयोग किए जाने वाले अन्य, 10% पर बीसीडी की मौजूदा प्रभावी दर को आकर्षित करते रहेंगे)	10%	15%
8.	8512 90 00	बिजली के प्रकाश और सिग्नलिंग उपकरण, विंडस्क्रीन वाइपर, डिफॉस्टर और डिमिस्टर के कुछ हिस्सों, एक प्रकार के क्रेन या मोटर वाहनों के लिए उपयोग किए जाते हैं।	10%	15%

9.	8544 30 00	इग्निशन वायरिंग सेट और अन्य प्रकार के वायरिंग सेट जो वाहनों, विमानों या जहाजों में उपयोग किए जाते हैं	10%	15%
10.	9104 00 00	इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लॉक और क्लॉक ऑफ़ व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट या वेसल्स	10%	15%
ख	**शुल्क दर में परिवर्तन (बेसिक सीमा शुल्क की प्रभावी दरों में कोई बदलाव किए बिना)**		**शून्य की दर**	
क्र.सं.	**शीर्ष, उप-शीर्ष टैरिफ आइटम**	**पाण्य**	**से**	तक
1.	8414 40	टाउंग के लिए पहिएदार चेसिस के ऊपर लगा हुआ एयर कंप्रेशर्स	7.5%	15%
2.	8414 80 (को छोड़कर) 8414 80 11)	गैस कंप्रेशर्स (अलावा में इस्तेमाल एयर कंडीशनिंग उपकरण में उपयोग के अलावा कोई भी मुक्त पिस्टन गैस टरबाइन, टर्बो चार्जर और अन्य कम्प्रेसर के लिए जनरेटर)	7.5%	15%
3.	8501 10 से 8501 53	विद्युत मोटर्स	10%	15%
4.	8536 41 00 और 8536 49 00	रिले	10%	15%
5.	8537	बिजली के नियंत्रण या बिजली के वितरण के लिए बोर्ड, पैनल, कंसोल आदि	10%	15%
6.	9031 80 00	अन्य उपकरण, उपकरण और मशीन	7.5%	15%
7.	9032 89	इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित नियामक और अन्य नियंत्रित करने वाले उपकरण या उपकरण	10%	15%
ग	**नई प्रविष्टियाँ वित्त विधेयक, 2021 की पहली अनुसूची [खंड 95 (ii) और 95 (iii) में जोड़ी गई]**			
1.	**सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 को एचएसएन 2022 के साथ सामंजस्य स्थापित करना** क) सीमा शुल्क अधिनियम को पहली अनुसूची में लटकाए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है जो 01.01.2022 से लागू होना है। यह एचएसएन 2022 के अनुसार है, जो मौजूदा सामंजस्यपूर्ण नामकरण के लिए 351 संशोधनों का प्रस्ताव करता है, जो सीमाओं के पार जाने वाले सामानों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है। ख) नए उत्पाद धाराओं की मान्यता के माध्यम से वर्तमान व्यापार के लिए अनुकूल करने के लिए आवश्यक हैं, वस्तुओं के बदलते स्वरूप, नई प्रौद्योगिकियों के आगमन और वैश्विक चिंता के पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करते हुए- सभी एक प्रमुख ध्यान के साथ। व्यापार और व्यापार सुविधा को आसान बनाने के लक्ष्य पर सभी प्रकार से ध्यान देना।			

2.	ना सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में शीर्षक 2709 के अंतर्गत टैरिफ लाइनों 2709 00 10 - पेट्रोलियम क्रूड 2709 00 20 - अन्य

1.4.2021 को लागू होगा ।

* कर अधिनियम, 1931 के अनंतिम संग्रह के तहत घोषणा से तुरंत प्रभाव में आ जाएगा।

IV कस्टम नियमों में परिवर्तन

(क)	**ट्रेड फैसिलिटेशन- आईजीसीआर नियमों 2017 संशोधन,**
1	सीमा शुल्क (ड्यूटी की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 [आईजीसीआर नियम] में निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने के लिए संशोधन किया जा रहा है: □) सामग्री की जॉब वर्क (सोने और आभूषण और अन्य कीमती धातुओं को छोड़कर) को रियायती दर के तहत आयात करने की अनुमति देने के लिए □) जॉब वर्क पर माल के निर्माण के लिए 100% आउट सोर्सिंग की अनुमति देना □) करने के लिए अनुमति देते हैं आयातित पूंजीगत वस्तुएं जिन्हें निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया है, अंतर ड्यूटी के भुगतान पर, हटाए जाने की ब्याज के साथ, मूल्य के लिए अनुमति देते हैं विदेश व्यापार नीति के अनुसार ईओयू के लिए पर। मूल्यह्रास मानदंड लागू किए गए एक समान होंगे।

V. <u>अन्य बुनियादी निवेश में परिवर्तन का प्रस्ताव , परिणामी अधिसूचनाओं में महत्वपूर्ण उदाहरण [2.2.2021 से प्रभाव के साथ, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो]</u>

क्र.सं.	**अध्याय, शीर्षक, उप-शीर्षक , टैरिफ आइटम**	**वस्तु**	**से**	**तक**
		कृषि उत्पाद और उप-उत्पाद		
1.	22072000	बहने योग्य वस्तुओं के निर्माण में उपयोग के लिए विकृत एथिल अल्कोहल (इथेनॉल)	2.5%	5%
2.	23	कुत्ते और बिल्ली के भोजन और झींगा लार्वा फ़ीड को छोड़कर सभी सामान	शून्य / 5% / 10% / 15% / 20% / 30%	15%
		खनिज		
3.	2528	प्राकृतिक बोर और उसके बाद केंद्रित होता है	शून्य / 5%	2.5%
		ईंधन, रसायन और प्लास्टिक		
3.	2710	नेफ्था	4%	2.5%

5.	2907 23 00	बिस- फेनॉल ए	शून्य	7.5%
6.	2910 30 00	एपिक्लोरोहाइड्रिन	2.5%	7.5%
7.	2933 71 00	कैप्रोलैक्टम	7.5%	5%
8.	3907 40 00	पॉली कार्बोनेट	5%	7.5%
9.	3908	नायलॉन चिप्स	7.5%	5%
10.	39209999	अन्य प्लास्टिक की अन्य प्लेटें, चादरें, फिल्में आदि	10%	15%
		चमड़ा		
11.	41	गीले नीले क्रोम चमड़े, क्रस्ट लेदर, सभी प्रकार के तैयार चमड़े, विभाजन और पूर्वोक्त के किनारों सहित	शून्य	10%
		कपड़ा		
12.	5002	कच्चा रेशम (फेंका नहीं गया)	10 %	15 %
13.	5004, 5005, 5006	रेशम के धागे से रेशम का धागा, सूत काता (खुदरा बिक्री के लिए रखा गया है या नहीं)	10 %	15 %
14.	5201	कच्चा कपास	शून्य	5% + 5% एआईडीसी *
15.	5202	कपास अपशिष्ट (यार्न अपशिष्ट या गार्नेट स्टॉक सहित)	शून्य	10 %
16.	5402, 5403, 5404, 5405 00 00, 5406 , 5501 से 5510	नायलॉन फाइबर और यार्न	7.5%	5%
		रत्न और आभूषण क्षेत्र		
17.	7106	चांदी	12.5%	7.5% + 2.5% एआईडीसी
18.	7106	चाँदी का डोर	1 1%	6.1% + 2.5% एआईडीसी
19.	7108	सोना	12.5%	7.5% + 2.5% एआईडीसी
20.	7108	सोने का डोर	11.85%	6.9% + 2.5%

				एआईडीसी
21.	7107 00 00, 7109 00 00, 7111 00 00	बेस धातू कीमती या कीमती धातुओं के साथ क्लैड	12.5%	10%
22.	7110	अन्य कीमती धातू जैसे प्लैटिनम, पैलेडियम , आदि।	12.5%	10%
23.	7112	कीमती धातुओं के साथ धातु या धातुओं का अपशिष्ट और स्क्रैप	12.5%	10%
24.	7112	खर्च किए ग उत्प्रेक या एक कीमती धातुओं युक्त श	11.85%	9.17%
25.	7113	सोने या चांदी की खोज	20%	10%
26.	7118	सिक्का	12.5%	10%
		धातु		
27.	7204	लोहा और स्टील स्क्रैप, स्टेनलेस स्टील स्क्रैप सहित [31.03.2022 तक]	2.5 %	शून्य
28.	7206 और 7207	गैर-मिश्र धातु इस्पात के प्राथमिक / अर्ध-तैयार उत्पाद	10 %	7.5 %
29.	7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 (7225 11 00 को छोड़कर) और 7226 (7226 11 00 को छोड़कर)	गैर-मिश्र धातु और मिश्र धातु इस्पात के फ्लैट उत्पाद	10 % / 12.5 %	7.5 %
30.	7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7221, 7222, 7223, 7227 और 7228	गैर-मिश्र धातु, स्टेनलेस और मिश्र धातु इस्पात का लंबा उत्पाद	10 %	7.5 %
31.	7225	क्रेगो स्टील के निर्माण में उपयोग के लिए कच्चे माल [31.03.2023 तक]	2.5 %	शून्य
32.	7404	कॉपर स्क्रैप	5 %	2.5 %
33.	7318	पेंच, बोल्ट , नट , लोहा और इस्पात के आदि	10%	15%
		पूंजीगत वस्तुएं		
34.	84 30	टनल बोरिंग मशीन	शून्य	7.5%
35.	8431	वास्तविक उपयोगकर्ता की स्थिति के साथ सुरंग बोरिंग मशीनों के निर्माण के लिए पुर्जे	शून्य	2.5%

		और घटक		
		आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय		
36.	8544 (8544 70 और 8544 30 00 से अधिक)	निर्दिष्ट इनशोल्यूटिड तार और केबल	7.5%	10%
37.	39, 74 और 85	पूर्व, आधार, बॉबिन, ब्रेकट्रो; सीपी तार; पीबीटी; फिनोल राल मोल्डिंग पाउडर; लेमिनेशन / एल सिलिकॉन स्टील स्ट्रिप्स ट्रांसफार्मर के निर्माण में उपयोग के लिए (क्र.सं. । 25/1999-198 कस्टम्स)	शून्य	लागू दर
38.	कोई भी अध्याय	सेलुलर मोबाइल फोन के मुद्रित सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) के निर्माण के लिए इनपुट या भाग (1.4.2021 से प्रभावी)	शून्य	2.5%
39.	कोई भी अध्याय	सेलुलर मोबाइल फोन के कैमरा मॉड्यूल के निर्माण के लिए इनपुट या भाग (1.4.2021 से प्रभावी)	शून्य	2.5%
40.	कोई भी अध्याय	सेलुलर मोबाइल फोन के कनेक्टर्स के निर्माण के लिए इनपुट या भाग (1.4.2021 से प्रभावी)	शून्य	2.5%
41.	कोई भी अध्याय	सेलुलर मोबाइल फोन के बैक कवर, साइड कीज आदि जैसे निर्दिष्ट भागों के निर्माण के लिए इनपुट या कच्चा माल (1.4.2021 से प्रभावी)	शून्य	2.5%
42.	कोई भी अध्याय	सेलुलर मोबाइल फोन के चार्जर या एडाप्टर के निर्माण के लिए इनपुट या कच्चा माल पीसीबीए और ढाला प्लास्टिक के अलावा)	शून्य	10%
43.	8504 90 90 या 3926 90 99	चार्जर या एडेप्टर के निर्माण के लिए मोल्डेड लास्टिक्स	10%	15%

44.	कोई भी अध्याय	सेलुलर मोबाइल फोन के चार्जर या एडॉप्टर के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली के इनपुट या हिस्से	शून्य	10%
45.	कोई भी अध्याय	चार्जर या सेल्यूलर मोबाइल फोन के एडॉप्टर के मोल्डेड प्लास्टिक के हिस्से	शून्य	10%
46.	कोई भी अध्याय	लिथियम आयन बैटरी या बैटरी पैक के इनपुट या कच्चे माल लिथियम - आयन सेल और पीसीबीए के अलावा) (1.4.2021 से प्रभावी)	शून्य	2.5%
47.	कोई भी अध्याय	लिथियम आयन बैटरी या बैटरी पैक के पीसीबीए के पुर्जे या पुर्जे (1.4.2021 से प्रभावी)	शून्य	2.5%
48.	कोई भी अध्याय	निम्नलिखित वस्तुओं के इनपुट या कच्चे माल: - (i) स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग मशीन या नेटवर्क से जुड़ने में सक्षम अन्य मशीनें (8443 32 90) (ii) स्याही कारतूस, प्रिंट हेड असेंबली (8443 99 51) के साथ (iii) स्याही कारतूस, बिना प्रिंट हेड असेंबली (8443 99 52) (iv) इंक स्प्रे नोजल (8443 99 53) (1.4.2021) से लागू	शून्य	2.5%
49.	कोई भी अध्याय	इनपुट और एलईडी लैंप या एलईडी लैंप सहित जुड़नार के कुछ हिस्सों	5%	10%
50.	कोई भी अध्याय	एलईडी लाइट्स या फिक्स्चर के लिए एलईडी ड्राइवर या एमसीपीसीबी (मेटल कोर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड) के निर्माण में उपयोग के लिए इनपुट	5%	10%
51.	9405 50 40	सौर लालटेन या सौर लैंप	5%	15%
52.	8504 40	सोलर इनवर्टर	5%	20%

53.	9503	इलेक्ट्रॉनिक खिलौने के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौने के कुछ हिस्सों	5%	15%
		विमानन क्षेत्र		
54.	कोई भी अध्याय	रक्षा क्षेत्र के अधीन रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा हवाई जहाजों या ऐसे विमानों के कुछ हिस्सों के निर्माण के लिए इंजन सहित घटक या भाग।	2.5%	0%
		चिकित्सा उपकरण		
55.	9018-9022	अंतर्राष्ट्रीय संगठन और राजनयिक मिशनों द्वारा आयातित चिकित्सा उपकरण	स्वास्थ्य उपकर 5 % की दर से	स्वास्थ्य उप कर शून्य की दर से
		परियोजना आयात योजना के तहत आयात किया गया माल		
56.	9801	हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट आयात के तहत लाया जा रहा है	लागू दर	5%
57.	8714 91 00, 8714 92, 8714 93, 8714 94 00, 8714 95, 8714 96 00, 8714 99	सभी सामान के अलावा अन्य साइकिल भाग और घटक	10%	15 %

क्र.सं.	अधिसूचना सं.	अधिसूचना विषय
1.	42/1996 - सीमा शुल्क दिनांकित 23 जुलाई 1996	हाई स्पीड रेल परियोजनाओं में शामिल परियोजनाओं की सूची जिनमें परियोजना आयात योजना लागू है
2.	230/1986 - सीमा शुल्क दिनांकित 3 अप्रैल 1986	राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड को परियोजना आयात विनियम, 1986 के तहत उच्च गति रेल परियोजनाओं के लिए परियोजना आयात योजना के तहत आयात की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के अनुमोदन के लिए 'प्रायोजन प्राधिकरण' के रूप में नामित किया जा रहा है।

VII सीमा शुल्क छूट रियायतों की कांट-छांट और समीक्षा:

क. अधिसूचना सं. 50/2017 - सीमा शुल्क 30.6.2017: में निर्धारित बीसीडी की रियायती दरों की समीक्षा कुछ सामानों पर उपलब्ध बीसीडी छूट को अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.6.2017 की निम्न प्रविष्टियों को छोड़ कर वापस लिया जा रहा है ।

क्र.सं.	अधिसूचना की संख्या	विवरण / सीटीएच
1.	209	स्पैन्डेक्स यार्न के निर्माण में उपयोग के लिए डीफेनिलमेटेन 4, 4-डायसोसायनेट (एमडीआई)
2.	230	कंप्यूटर के लिए प्रिंटर में उपयोग के लिए स्याही कारतूस, रिबन असेंबली, रिबन गियर असेंबली, रिबन गियर गाड़ी
3.	229 [1.4.2021 से लागू]	71 वस्तुएं जैसे मोम की वस्तुएं, लकड़ी की पॉलिश सामग्री, फोटो फ्रेम के लिए प्रिंट, मखमली कपड़े / कागज, कटलरी, जिगट , शराब उपकरण आदि के लिए हैंडल / ब्लेड ।
4.	311 [1.4.2021 से लागू]	35 आइटम जैसे फास्टनर, जिपर, कंधे के पैड, बकल, रिवेट्स, वेल्क्रो टेप, टॉगल, स्टड, इलास्टिक कपड़ा और बैंड, बॉबिन, हुक, एंगल आदि।
5.	312 [1.4.2021 से लागू]	42 आइटम जैसे बकल, बटन, स्टैम्पिंग फॉइल, सिलाई धागा, लूप रिवेट्स, ग्लोव लाइनर, शू लेस, इनले कार्ड आदि।
6.	313 [1.4.2021 से लागू]	18 वस्तुएं जैसे फीता, वेल्क्रो टेप, पर्दा हुक, लटकन, मोती, सेक्विन, सिलाई धागे, पॉली वैडिंग सामग्री, रजाई बना हुआ वैडिंग सामग्री आदि।

ख. अधिसूचना संख्या 50 / 2017- सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 में कतिपय छूट के बदले में कतिपय सशर्त प्रविष्टियों के लिए सीमा शुल्क (ड्यूटी की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 (आईजीसीआर नियम, 2017) का पालन करना। इसके अलावा, आयात के लिए कुछ अन्य शर्तों के साथ तर्कसंगत / सरलीकृत किया जा रहा है ।

- तदनुसार, उक्त सीमा शुल्क अधिसूचना में आईजीसीआर की स्थिति को निर्धारित करने के लिए 22, 24, 30, 38, 51, 52, 53, 54, 60, 61 और 74 की स्थिति में संशोधन किया गया है।
- इसके अलावा, यह निर्धारित किया गया है कि आईजीसीआर नियम, 2017 के तहत क्षेत्राधिकार प्राधिकरण नियमों के अनुसार विधिवत सत्यापन के बाद पिछली अवधि के लिए अंतिम उपयोग प्रमाण पत्र जारी करेगा।

ग. सीमा शुल्क की छूट, जिनमें शामिल अन्य स्टैंड-अलोन अधिसूचनाओं के माध्यम से दी गई हैं, की भी अधिसूचना को हटाकर समीक्षा की गई है :

क्र.सं.	अधिसूचना सं.	अधिसूचना विषय

1.	1/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 6.1.2011	सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना या सुविधा की प्रारंभिक स्थापना के लिए मशीनरी, उपकरणों, उपकरणों, घटकों या सहायक उपकरणों की सभी वस्तुओं को छूट
2.	34/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून, 2017	इस अधिसूचना ने टैग या लेबल (चाहे कागज, कपड़ा या प्लास्टिक से बना हो), या मुद्रित बैग (चाहे पॉलीथीन , पॉलीप्रोपाइलीन, पीवीसी, उच्च आणविक या उच्च घनत्व पॉलीथीन से बना हो) को निर्यात या वस्तुओं के लिए, वस्तु तय करने के लिए प्रदान किया। ऐसी वस्तुओं की पैकेजिंग इसी तरह की छूट अधिसूचना संख्या 50/2017-सी के एस .257 में दी गई है। इनका विलय क्र.सं. 257 में किया गया है और अधिसूचना संख्या 34/2017-सीयूएस को छोड़ दिया गया है।
3.	75/2017-सीमा शुल्क दिनांक 13 सितंबर, 2017	फीफा अंडर -17 विश्व कप, 2017 के आयोजन के लिए आयातित सामानों की छूट।

VII. कृषि के बुनियादी ढांचे और विशिष्ट आइटमों के आयात विकास उपकर लगाने से प्रभावी [वित्त विधेयक, 2021 के खण्ड [115] 2021/02/02

निर्दिष्ट वस्तुओं के आयात पर एक कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) प्रस्तावित किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपकर लगाने से उपभोक्ता पर इनमें से अधिकांश वस्तुओं पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, बीसीडी दरें कम कर दी गई हैं। इस उपकर का उपयोग कृषि अवसंरचना और अन्य विकास व्यय में सुधार के लिए किया जाएगा। जिन मदों पर उपकर लगाया गया है उन पर लागू शुल्क और एआईडीसी की सूची इस प्रकार होगी:

क्र.सं.	शीर्ष, उप-शीर्ष टैरिफ आइटम	वस्तु	मूल सीमा शुल्क	एआईडीसी
1.	0808 10 00	सेब	15%	35%
2.	1511 10 00	कच्चा पाम तेल	15%	17.5%
3.	1507 10 00	क्रूड सोया -बीन तेल	15%	20%
4.	1512 11 1०	कच्चे सूरजमुखी के बीज का तेल	15%	20%
5.	0713 10	मटर (पिसम सतिवम)	10%	40%
6.	0713 20 10	काबुली चना	10%	30%
7.	0713 20 20	बंगाल ग्राम (देशी चना)	10%	50%
8.	0713 20 90	चिकी मटर (गार्बनजोस)	10%	50%
9.	0713 40 00	मसूर (मसूर)	10%	20%
10.	2204	सभी सामान (शराब)	50%	100%

11.	2205	वर्माउथ और ताज़े अंगूर की अन्य शराब, स्वादिस्ट	50%	100%
12.	2206	अन्य किण्वित पेय उदाहरण के लिए, साइडर, पेरी, मीड , खातिर, किण्वित पेय या किण्वित पेय और गैर-पेय पदार्थों का मिश्रण	50%	100%
13.	2208	सभी सामान (ब्रांडी, बॉर्बन व्हिस्की, स्कॉच आदि)	50%	100%
14.	2701	विभिन्न प्रकार के कोयले	1%	1.5%
15.	2702	लिग्नाइट , बढ़े या नहीं	1%	1.5%
16.	2703	पीट, या नहीं संचित या नहीं	1%	1.5%
17.	3102 10 00	यूरिया	शून्य	5%
18.	3102 30 00	अमोनियम नाइट्रेट	2.5%	5%
19.	31	म्यूरेट ऑफ़ पोटाश, खाद के रूप में या जटिल उर्वरकों के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है	शून्य	5%
20.	3105 30 00	डायमोनियम फॉस्फेट, खाद के रूप में उपयोग करने के लिए या जटिल उर्वरकों के उत्पादन के लिए	शून्य	5%
21.	5201	कपास (कार्डेड नहीं या कॉम्बेड	5%	5%
22.	7106	चांदी (पात्र यात्रियों द्वारा आयात सहित)	7.5%	2.5%
23.	7106	चाँदी का डोर	6.1%	2.5%
24.	7108	सोना (पात्र यात्रियों द्वारा आयात सहित)	7.5%	2.5%
25.	7108	सोने का डोर	6.9%	2.5%

IX. अन्य परिवर्तन में संशोधन करके चुनिंदा प्रमाण/तकनीकी परिवर्तन सहित अधिसूचना सं. 50/2017- आयात दिनांकित 30.06.2017

क्र.सं.	अधिसूचना सं.	विवरण
1.	20	क) अधिसूचना सं. 22/2018-सीयूएस दिनांक 20.03.2020 के तहत एचएस (07132000) को (07132010), (07132020) और (07132090) में

क्र.सं.	अधिसूचना सं.	विवरण
		विभाजित किया गया था। हालाँकि, अधिसूचना सं. 20/50/2017 सीयूएस की प्रविष्टि 20 के लिए उसी का ट्रांसपोज़ेशन नहीं किया गया है। ख) इस प्रविष्टि में विशेष रूप से काबुली चना और बंगाल चना (देसी चना) का उल्लेख किया जाना प्रस्तावित है ।
2.	21 ई	प्रवेश निरर्थक है (केवल 31.12.2020 तक वैध था और इसे छोड़ दिया जाना प्रस्तावित है।
3.	44	प्रविष्टि निरर्थक है (वैध 2017/01/01 तक था) और छोड़ देना करने का प्रस्ताव है।
4.	131	एसिड ग्रेड एक प्रकार का फ्लोरस्पार 5% बीसीडी देखें क्र.सं. 120 और एस.एन. 131 को आकर्षित करती है अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 क्र.सं. 120 में प्रवेश किया जा रहा अनावश्यक छोड़े गए।
5.	175	इस प्रविष्टि के अध्याय / शीर्षक आदि में उल्लिखित "कोई भी अध्याय" को विशिष्ट प्रविष्टि शीर्ष 2501 द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।
6.	284	अधिसूचना संख्या क्रमांक 284 में एक स्पष्टीकरण डाला जा रहा है । 50/2017-सीमा शुल्क 30 दिनांकित जून 2017 प्रविस्टि के रूप में स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि छूट कवर टॉय प्राकृतिक रबर लेटेक्स से बना गुब्बारे के रूप में इस तरह के खिलौना गुब्बारे सीमा शुल्क के तहत वर्गीकृत किया जाता ताकि गलत वर्गीकरण करने के लिए 9503 शीर्षक के रूप में। वर्गीकरण को दूर किया जा सके।
7.	293 क और 293 ख	अखबारी कागज पर रियायती दरें प्रदान करने की छूट की भाषा और अखबारी कागज की विशिष्टताओं (इसकी सतह खुरदरापन के अलावा) के अनुरूप अन्य कागजों को सरलीकृत किया जा रहा है, ताकि अखबारों की छपाई के लिए इस्तेमाल किए गए बिना कागजात के विनिर्देश के बारे में किसी भी संदेह को दूर किया जा सके, जिस पर रियायती दरें लागू होती हैं।
8.	पहला प्रावधान	इसे छोड़ा जा रहा है क्योंकि खंड बेमानी हैं।

X. <u>विभिन्न मदों पर समाज कल्याण अधिभार की समीक्षा।</u>

क. एन ओटीफिकेशन नंबर 12/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 02.02.2018 , सोने और चांदी सहित कुछ वस्तुओं पर 3% की प्रभावी दरों को निर्धारित करते हुए, बचाया जा रहा है।

ख. 2515 11 और 2515 12 के तहत आने वाले माल पर SWS को भी बचाया जा रहा है

ग. एसडब्ल्यूएस को सोने और चांदी पर लगाए गए एआईडीसी के मूल्य पर छूट दी जा रही है। तदनुसार, ये वस्तुएं सामान्य मूल्य पर, केवल मूल्य से अधिक मूल सीमा शुल्क पर, एसडब्ल्यूएस को आकर्षित करेंगी ।

XI. एंटी-डंपिंग ड्यूटी (एडीडी) / काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) / सुरक्षा उपायों से संबंधित अन्य विविध परिवर्तन

1	सीमा शुल्क टैरिफ (पहचान, मूल्यांकन और डंप किए गए लेखों पर और चोट के निर्धारण के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी का संग्रह) नियम, 1995 घरेलू उद्योग को चोट पहुंचाने वाले सामानों की डंपिंग की जांच के लिए तरीके और प्रक्रिया प्रदान करते हैं। नियमों में परिवर्तन किए जा रहे हैं , यह प्रदान करने के लिए , 01.07.2021 से प्रभावी है, यह प्रदान करने के लिए कि अंतिम निष्कर्ष नामित प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने हैं, समीक्षा के मामलों में, समीक्षा के तहत एडीडी की समाप्ति से कम से कम तीन महीने पहले। परिधि जांच के मामलों में अनंतिम मूल्यांकन के लिए प्रदान करने के लिए एडीडी नियमों में भी संशोधन किया जा रहा है। इन नियमों के दायरे में स्पष्टता लाने के लिए कुछ अन्य बदलाव किए जा रहे हैं।
2	सीमा शुल्क टैरिफ (पहचान, मूल्यांकन और सब्सिडी लेखों पर और चोट के निर्धारण के लिए काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रह) नियम, 1995 घरेलू उद्योग को चोट पहुंचाने वाले सब्सिडी वाले सामानों के आयात के मामलों की जांच के लिए तरीके और प्रक्रिया प्रदान करते हैं। नियमों में परिवर्तन किए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 01.07.2021 से प्रभावी तरीके से अंतिम निष्कर्षों को निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना है, समीक्षा मामलों में, समीक्षा के तहत सीवीडी की समाप्ति से कम से कम तीन महीने पहले। सीवीडी नियमों को भी विरोधी परिधि जांच के मामलों में अनंतिम मूल्यांकन प्रदान करने के लिए संशोधित किया जा रहा है । इन नियमों के दायरे में स्पष्टता लाने के लिए कुछ अन्य बदलाव किए जा रहे हैं।
3	सीमा शुल्क टैरिफ (सेफगार्ड ड्यूटी की पहचान और मूल्यांकन) नियम, 1997 (सुरक्षित उपाय के लिए सुरक्षित ड्यूटी को बदला जा रहा है) घरेलू उद्योग को चोट पहुंचाने वाले बढ़ी हुई मात्रा में आयात के मामलों की जांच के लिए तरीके और प्रक्रिया प्रदान करते हैं। नियमों में परिवर्तन के कार्यान्वयन के तौर तरीकों विस्तृत ढंग से विस्तृत करने का प्रस्ताव किया जा रहा है रक्षा करने के लिए परिवर्तन सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8 बी में पहले किए गए तकनीकी संशोधनों के फलस्वरूप के वित्त अधिनियम, 2020
4	निम्न के आयात पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी को 2.2.2021 से 30.09.2021 तक की अवधि के लिए अस्थायी रूप से निरस्त किया जा रहा है क) सीधे लंबाई बार्स और में मिश्र धातु स्टील, उद्भव की छड़ या चीन जनवादी गणराज्य, लगाया से निर्यात अधिसूचना नं 54/2018-Cus (जोड़ें) दिनांक 18.10.2018; ख) गैर-कोबाल्ट ग्रेड की हाई स्पीड स्टील, ब्राजील, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और जर्मनी से उत्पन्न या निर्यात की गई, अधिसूचना संख्या 38/2019-सीयूएस (एडीडी) दिनांकित 25.09.2019; सी) एल्युमिनियम या जस्ता के मिश्र धातु के साथ स्टील, मढ़वाया या लेपित का फ्लैट रोल्ड उत्पाद, जिसका उद्भव पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वियतनाम और कोरिया आरपी से हुआ , जिसमें नोटिफिकेशन संख्या 16/2020-सीयूएस (एडीडी) लगाया गया , जो 23.06.2020 था। ।
5	कर्तव्य काउंटरवेलिंग अस्थायी रूप से अवधि 2021/02/02 से 2021/09/30 तक शुरू होने के लिए रद्द किया जा रहा है, कुछ गर्म के आयात लुढ़का हुआ है और शीत में रोल स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पाद, मूल या चीन जनवादी गणराज्य से निर्यात पर , लगाया अधिसूचना नंबर 1 / 2017-सीयूएस (सीवीडी) दिनांक 07.09.2017।
6	प्रोविजनल काउंटरवेलिंग ड्यूटी को स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पादों के आयात पर रद्द किया जा रहा है, जो इंडोनेशिया से उत्पन्न या निर्यात किया गया है, अधिसूचना संख्या 2/2020-सीमा शुल्क (सीवीडी) लगाया गया 9.10.2020।

7	सनसेट रिव्यू में, स्टेनलेस स्टील के कोल्ड-रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी 600 मिमी से 1250 मिमी चौड़ाई और 1250 मिमी से अधिक के गैर- बोनाफाइड उपयोग से उत्पन्न होती है या पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कोरिया आरपी, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका से निर्यात की जाती है। अमेरिका, ताइवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका को एंटी-डंपिंग ड्यूटी हाईथ्रो लेविएबल वीडी नोटिफिकेशन नंबर की समाप्ति पर बंद कर दिया गया है । 61/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 11 दिसंबर, 2015 और 52/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 24 अक्टूबर, 2017.

उत्पाद शुल्क

नोट: (क) "बेसिक एक्साइज ड्यूटी" का मतलब केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची में निर्धारित उत्पाद शुल्क है।

(ख) "रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस " का अर्थ वित्त अधिनियम, 2018 की धारा 112 के तहत लगाए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क है।

(ग) "विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क" का अर्थ वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के तहत लगाया गया उत्पाद शुल्क है।

(घ) "एनसीसीडी" का अर्थ है वित्त अधिनियम, 2001 के तहत राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क , वित्त अधिनियम, 2001 के लिए सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट दरों पर निर्दिष्ट वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क के रूप में लगाया गया।

(ई) वर्ग कोष्ठक में खंड खंड [ ] वित्त विधेयक, 2021 के प्रासंगिक खंड को इंगित करता है।

(च) वित्त विधेयक, 2021 के माध्यम से किए गए संशोधन, इसके अधिनियमित होने की तिथि पर लागू होते हैं, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

I. पांचवीं अनुसूची में शामिल हूँ

क्र.सं.	संशोधन	वित्त विधेयक, 2021 का खंड [ ]
1.	अधिसूचना संख्या 08/2019- सीई(डी) दिनांक 31.12.2019 द्वारा किए गए चौथे अनुसूची में संशोधन को प्रभावी प्रभाव बनाया जाएगा । 01.01.2020, पूर्व प्रभाव से।	[98]
2.	नया टैरिफ आइटम [2404 11 00] और [2404 1 9 00] अध्याय 24 में सीरीज़ में 24 अध्याय में सेंट्रल एक्साइज एक्ट, 1944 आगामी एच आर्मोनिज्ड सिस्टम 2०22 नामकरण के अनुसार और इन पर 81% की दर निर्धारित करने के लिए टैरिफ आइटम 01.01.2022 से प्रभावी ।	[96 (ii)]

II. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के अध्याय 27 में पूर्व प्रभाव से संशोधन।

सं.	संशोधन	वित्त विधेयक का खंड, 2021
1.	(i) यह टैरिफ आइटम 27101249 के विरुद्ध सही IS "17076" को निर्दिष्ट करने और 01.01.2020 से प्रभावी बनाने का प्रस्ताव है , पूर्व प्रभाव रूप से ।	[97 (i)]

2.	(ii) यह प्रस्तावित है कि टैरिफ दर 14% + रु । टैरिफ आइटम के खिलाफ 15.00 प्रति लीटर 2710 20 10 और 2710 20 20 निर्धारित किया जा सकता है और 01.01.2020 से प्रभावी ढंग से पूर्वव्यापी रूप से बनाया जा सकता है।	[97 (ii) और 97 (iii)]

III. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के अध्याय 27 में संशोधन।

टैरिफ आइटम 2709 10 00, 2709 20 00, और प्रविष्टियों को निम्नानुसार संबंधित संबंधित प्रतिस्थापित किया जा रहा है : [01.04.2021 से प्रभावी बनाने के लिए] [खण्ड [96 (i)] वित्त विधेयक, 2021]			
टैरिफ मद	**माल का विवरण**	**इकाई**	**कर्तव्य की दर**
2709	पेट्रोलियम तेल और तेल बिटुमिनस खनिज, कच्चे तेल से प्राप्त होते हैं		
2709 00 10	पेट्रोलियम क्रूड	किलोग्राम।	शून्य
2709 00 20	अन्य	किलोग्राम।	… ..

IV. <u>पेट्रोल और डीजल पर कृषि सूचना और विकास उपकर (एआईडीसी) का महत्व</u>

कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईटीसी) वित्त विधेयक, 2021 के खंड [116] के पेट्रोल और उच्च गति वाले डीजल पर एक्साइज के अतिरिक्त शुल्क के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इस उपकर का उपयोग कृषि अवसंरचना और सुधार के लिए किया जाएगा। अन्य विकास व्यय उपकर का विवरण निम्नानुसार है :

सं.	**वस्तु**	**एआईडीसी की दर [वित्त विधेयक, 2021का खंड [116]] ***
1.	मोटर भावना को आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है	रु 2.5 प्रति लीटर
2.	हाई स्पीड डीजल	रु 4 प्रति लीटर

* कर अधिनियम, 1931 के अनंतिम संग्रह के तहत एक घोषणा के कारण तुरंत प्रभाव में आ जाएगा।

V. <u>बेसिक और डेज़ेल पर विशेष अतिरिक्त शुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क के प्रभावी दर में परिवर्तन</u> ।

कृषि बुनियादी एवं विकास दर (एआईडीसी) लगाने के परिणामस्वरूप, पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल पर बेसिक उत्पाद शुल्क (बीईडी) और विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) को कम किया जा रहा है, ताकि एआईडीसी लगाए जाने के कारण उपभोक्ता को कोई अतिरिक्त बोझ न उठाना पड़े। पेट्रोल और एचएसडी पर संशोधित शुल्क संरचना निम्नानुसार होगी।

सं.	**मद**	**बीईडी (रु। / लीटर)**	**एसएईडी (रु। / लीटर)**	**एआईडीसी (रु। / लीटर)**

1.	पेट्रोल (अनब्रांडेड)	1.4	1 1	2.5
2.	पेट्रोल (ब्रांडेड)	2.6	1 1	2.5
3.	हाई स्पीड डीजल (अनब्रांडेड)	1.8	।	4
4.	उच्च गति डीजल (ब्रांडेड)	4.2	।	4

VI. M-15, E-20 और अन्य अनुमोदित ईंधन के लिए छूट

सं.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना में संशोधन
1.	अन्य मिश्रित ईंधन (जैसे ई -5 और ई -10) की तर्ज पर उपकर और अधिभार से छूट अगर ये मिश्रित ईंधन शुल्क भुगतान किए गए इनपुट से बने हैं

VII. वित्त अधिनियम 2001 की अनुसूची VII (एनसीसीडी अनुसूची) में संशोधन

1.	न्यू टैरिफ आइटम [2404 11 00] और [2404 19 00] आगामी एचएस 2022 नामकरण के अनुसार डाले गए हैं और 01.01.2022 से प्रभावी इन टैरिफ आइटमों पर 25% की एनसीसीडी निर्धारित करते हैं ।

माल और सेवा कर

नोट: (क) सीजीएसटी अधिनियम , 2017 का मतलब केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 है

(ख) आईजीएसटी अधिनियम , 2017 का अर्थ है एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

वित्त विधेयक, 2021 में किए गए संशोधन उस तारीख से प्रभावी होंगे जब इसे अधिसूचित किया जाएगा, जहां तक संभव हो, समान रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पारित समान अधिनियमों के अनुरूप संशोधन के साथ एल उदाहरण के साथ ।

I.सीजीएसटी अधिनियम, 2017 में संशोधन:

सं.	संशोधन	वित्त विधेयक का खंड, 2021
1.	एक नया खंड (आ सीजीएसटी अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में) डाला जा रहा है, पूर्व प्रभाग 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी है, तो के रूप में गतिविधियों या माल की आपूर्ति से संबंधित लेनदेन या पर कर की वसूली सुनिश्चित करने के लिए नकदी, आस्थगित भुगतान या किसी अन्य मूल्यवान विचार के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति	[99]

	के अलावा, उसके सदस्यों या घटकों या *उपाध्यक्षों के* लिए सेवाएं ।	
2.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) में एक नया खंड (एए) डाला जा रहा है ताकि चालान या डेबिट नोट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया जा सके, जब इस तरह के चालान या डेबिट नोट का विवरण दिया गया हो। आपूर्तिकर्ता द्वारा बाहरी आपूर्ति और इस तरह के विवरण के विवरण में इस तरह के चालान या डेबिट नोट के प्राप्तकर्ता को सूचित किया गया है।	[100]
3.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (5) को छोड़ा जा रहा है ताकि निर्दिष्ट पेशेवर द्वारा प्रस्तुत वार्षिक लेखा परीक्षित और सुलह कथन की अनिवार्य आवश्यकता को हटाया जा सके।	[101]
4.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 44 को प्रतिस्थापित किया जा रहा है, ताकि निर्दिष्ट पेशेवर द्वारा विधिवत एक सुलह कथन को प्रस्तुत करने की अनिवार्य आवश्यकता को दूर किया जा सके और स्व-प्रमाणन के आधार पर वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रदान किया जा सके। यह आगे आयुक्त को वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता से करदाताओं के एक वर्ग को छूट देने का प्रावधान करता है।	[102]
5.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 50 में संशोधन किया जा रहा है, पूर्वव्यापी रूप से उपधारा (1) को स्थानापन्न करने के लिए, ताकि 1 जुलाई, 2017 से शुद्ध नकद देयता पर ब्याज लगाया जा सके।	[103]
6.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 74 में संशोधन किया जा रहा है, ताकि माल की जब्ती और जब्ती को कर की वसूली से अलग कार्यवाही में परिवर्तित किया जा सके।	[104]
7.	एक *स्पष्टीकरण* सीजीएसटी अधिनियम की धारा 75 की उप-धारा (12) के लिए है कि "आत्म मूल्यांकन कर कर" स्पष्ट करने के लिए कर बाहर की ओर आपूर्ति के संबंध में देय शामिल होगा डाला जा रहा है, जिसका विवरण खंड 37 के तहत सुसज्जित किया गया है, लेकिन धारा 39 के तहत सुसज्जित रिटर्न में शामिल नहीं है।	[105]
8.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 83 में संशोधन किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अध्याय XII, अध्याय XIV या अध्याय XV के तहत किसी भी कार्यवाही की शुरूआत से पूरी अवधि के लिए अनंतिम लगाव पूरी तरह से वैध रहेगा, जब तक कि एक वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हो जाती आदेश की तारीख की गई।	[106]

9.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (6) के लिए एक प्रोविज़ो यह सुनिश्चित करने के लिए डाला जा रहा है कि धारा 129 की उप-धारा (3) के तहत किए गए आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की जाएगी, जब तक कि पच्चीस के बराबर राशि न हो। प्रति प्रतिशत है। का जुर्माना अपीलार्थी द्वारा भुगतान किया गया है।	[107]
10.	माल की जब्ती या अर्थदंड से संबंधित धारा 130 के तहत कार्यवाही से सीजीएसटी अधिनियम की धारा 129 के तहत उस धारा के तहत कार्यवाही को रोकने, जब्ती और माल जारी करने और पारगमन में माल भेजने से संबंधित संशोधन को संशोधित किया जा रहा है।	[108]
11.	माल की जब्ती या संप्रेषण से संबंधित उस धारा के तहत कार्यवाही को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 130 में संशोधन करने के लिए किया जा रहा है और धारा 129 के तहत कार्यवाही से माल की जब्ती, जब्ती और रिहाई से संबंधित है।	[109]
12.	अधिनियम के संबंध में किसी भी मामले से संबंधित किसी भी व्यक्ति से जानकारी के लिए कॉल करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 151 को न्यायिक आयुक्त को सशक्त बनाने के लिए प्रतिस्थापित किया जा रहा है।	[110]
13.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 152 में संशोधन किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धारा 150 और 151 के तहत प्राप्त किसी भी जानकारी का उपयोग अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना।	[111]
14.	सूचना के लिए कॉल करने के लिए धारा 151 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकार क्षेत्र आयुक्त को सक्षम करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 168 में संशोधन किया जा रहा है ।	[112]
15.	सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची II के सीजीएसटी अधिनियम पैरा 7 की धारा 7 में संशोधन के परिणामस्वरूप, 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी रूप से पूर्वव्यापी रूप से छोड़ा जा रहा है।	[113]

II. <u>आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में संशोधन:</u>

सं.	संशोधन	वित्त विधेयक का खंड, 2021
1.	आईजीएसटी अधिनियम की धारा 16 में संशोधन किया जा रहा है: (i) किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र डेवलपर या विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई को वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति शून्य दर, जब उक्त आपूर्ति अधिकृत संचालन के लिए हो; (ii) केवल करदाताओं के अधिसूचित वर्ग या वस्तुओं या सेवाओं की	[114]

	अधिसूचित आपूर्ति के लिए एकीकृत कर के भुगतान पर शून्य-रेटेड आपूर्ति को प्रतिबंधित करना; तथा (iii) रिफंड के साथ माल के निर्यात के मामले में विदेशी मुद्रा प्रेषण को लिंक करें।	